20 जून, 2020 * वर्ष-29, पृष्ठ संख्या 60, अंक-6

राजस्थान सुजस

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Rajas@75

पर्यावरण संरक्षण

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

अपील

कोरोना से बचाव के लिए 21 जून से 30 जून, 2020 तक जागरूकता अभियान

प्रिय प्रदेशवासियो,

आप सभी को जानकारी है कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। राजस्थान में कोरोना का पहला केस मार्च के प्रथम सप्ताह में सामने आया था। तभी से राजस्थान सरकार सभी राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं, प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, समाजसेवी संगठनों, उद्योग-व्यापार एवं सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी की राय लेकर इस महामारी से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाकर सतर्कता व तत्परता से काम कर रही है। इस महामारी से मुकाबले में चिकित्सा जगत, संविदाकर्मी, मानदेयकर्मी व अन्य कोरोना वॉरियर्स जान जोखिम में डालकर सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। इन योद्धाओं की कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर इनके परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। जीवन के साथ आजीविका भी चल सके इसलिए अनलॉक जरूरी है।

राजस्थान सरकार कोरोना की शुरुआत से ही ''राजस्थान सतर्क है'' के मूलमंत्र के साथ आगे बढ़ी। इसकी बदौलत राजस्थान में कोरोना महामारी प्रबंधन बेहतर रहा। प्रदेश ने अपनी कोरोना टेस्टिंग की क्षमता 25 हजार प्रतिदिन से ज्यादा कर ली है। समय पर जांच एवं इलाज से प्रदेश के अधिकांश लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान मॉडल देश और दुनिया में सराहा गया है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, यह लम्बा चल सकता है। हमारी छोटी-सी लापरवाही संक्रमण बढ़ा सकती है। इस महामारी से बिना घबराए सभी सावधानियों जैसे एक-दूसरे से 2 गज की दूरी, बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना, बार-बार साबुन से हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना की पूर्ण पालना करें ताकि हमारी अब तक की मेहनत बेकार न जाए। कोरोना के लक्षण हों तो तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराएं। होम/संस्थागत क्वारंटीन सलाह का पालन करें। रोगी और जरूरतमंद की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहें।

हमारी सरकार ने 'कोई भूखा न सोये' के संकल्प के तहत गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए 5 हजार करोड़ का सामाजिक सुरक्षा पैकेज लागू किया। जिसमें करोड़ों लोगों को निःशुल्क राशन, भोजन पैकेट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नकद आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। लगभग 20 लाख प्रवासी लोगों/श्रमिकों को घर पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। नरेगा के तहत 53 लाख लोगों को नियोजित किया गया है।

सरकार कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को और अधिक जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में 21 जून से 30 जून, 2020 तक जागरूकता अभियान चला रही है। इस दस दिवसीय अभियान में गांव, ढाणी, वार्ड और मोहल्ले तक इस महामारी से बचने के लिए विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाएगा।

मैं इस अभियान में सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं आमजन से सहयोग की अपील करता हूँ। हम सभी इस अभियान से दिल से जुड़ें और कोरोना को हराएं। आमजन के हित में इस संदेश को अपनी तरफ से भी छपवाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।

(अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री)

टोल फ्री 104/108 | सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान | स्टेट वॉर रूम 181

प्रधान सम्पादक
महेन्द्र सोनी, आईएएस
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

सम्पादक
डॉ. राजेश कुमार व्यास

उप सम्पादक
आशाराम खटीक

कला
विनोद कुमार शर्मा

आवरण छाया
सविता चौहान/पुष्प दीप पाण्डेय

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
पॉपुलर प्रिन्टर्स, जयपुर

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302 005
e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 29 अंक : 06 **20 जून, 2020**

इस अंक में

कोरोना जागरूकता के लिए...

08

विषम परिस्थितियों में भी.....

16

राज्य पक्षी गोडावण संरक्षण

42

सम्पादकीय	04
प्रकृति से सामजंस्य बिठाएं....	05
पर्यावरण का संतुलन है जरूरी	06
पर्यावरण संरक्षण समय की आवश्यकता..	07
भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा...	11
उत्कृष्ट सेवाओं पर मुख्यमंत्री पदक योजना...	12
चिकित्सा मंत्री ने 4 मोबाइल फूड सेफ्टी वैन...	13
कोराना वॉरियर चिकित्सक के परिजनों को...	13
कोरोना संकट में साबित हुआ मनरेगा का महत्त्व	14
प्रदेश के सभी 33 जिलों के गजेटियर्स तैयार..	15
निरोगी राजस्थान अभियान	17
सहकारी समितियों का व्यवसाय एवं आय...	18
कोरोनाकाल में किसानों के हित में संवेदनशील..	20
कृषक कल्याण शुल्क में राहत	21
जनजाति समुदाय को मिला संबल	22
रोजगार उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य..	23
प्रकृति, पर्यावरण और जीवन	24
पर्यावरण पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन	34
पर्यावरण संरक्षण एवं आयुर्वेद	35
लोक समाज में प्रकृति का आदर	36
पर्यावरण संरक्षण का लौकिक संविधान	40
अप्पिको आन्दोलन	41
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस	43
पर्यावरण की लोक संस्कृति	44
प्राचीन मूर्तिशिल्प में प्रकृति व पर्यावरण	46
ग्रामीण संस्कृति में पर्यावरण	52
वृक्षों के लिये प्राणोत्सर्ग..	55
लोक गीत-गान परम्परा 'रामभणत'	56
सेवाभाव से जीता आमजन का दिल	58

राजस्थान सुजस का आगामी जुलाई, 2020 अंक कोरोना से बचाव के लिए चले जागरूकता अभियान पर केन्द्रित होगा। तद्नुरूप सामग्री आमंत्रित है। इसके तहत कोरोना से बचाव के लिए चले अभियान से सम्बन्धित विशेष सामग्री के साथ ही इसके सकारात्मक परिणामों से जुड़ी सफलता की कहानियां प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

संकट की घड़ी में मोटर व्हीकल....

10

राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण

30

पर्यावरण संरक्षण से.....

50

कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर 'राजस्थान सतर्क है' के मूलमंत्र के साथ सभी वर्गों को विश्वास में लेकर आरंभ से ही राजस्थान में ऐसे फैसले किए गए हैं जिनसे प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने में विशेष रूप से सफलता मिली है। आज प्रदेश ने कोरोना टेस्टिंग की संख्या 25 हजार प्रतिदिन से ज्यादा कर ली है। समय पर जांच और इलाज से इससे संक्रमित लोगों में से अधिकांश ठीक हो चुके हैं। प्रति 10 लाख की जनसंख्या में जांचों की संख्या, केस डबलिंग रेट के औसत तथा पॉजिटिव से नेगेटिव होने की दर में राजस्थान आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

राज्य में कोरोनाकाल के दौरान महामारी पर नियंत्रण के प्रयासों के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी और अधिक सशक्त किया गया है। रूथलेस कंटेनमेंट, घर-घर स्क्रीनिंग, टेस्टिंग तथा गैर कोरोना बीमारियों के इलाज के लिए 550 मोबाइल ओपीडी वाहन सेवाओं, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण आदि के लिए किए गए कार्यों की व्यापक स्तर पर देशभर में सराहना हुई है। प्रदेश में 53 लाख से अधिक श्रमिकों को मनरेगा कार्यों के जरिए रोजगार मिल पा रहा है, जो देश में शीर्ष स्तर है। लगभग 20 लाख प्रवासी लोगों/श्रमिकों को घर पहुंचाने की राज्य सरकार ने व्यवस्था की है।

कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता पैदा करने के लिए ही प्रदेश में **21 जून से 30 जून तक दस दिवसीय विशेष अभियान** चलाया गया है। यह महत्त्वपूर्ण है कि पूरे देश में राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां पर वृहद स्तर पर इस तरह का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान से कोरोना से बचाव के लिए गांव-ढाणी, मोहल्ले तक जन-जागरूकता पैदा की जाएगी। अभियान का उद्देश्य यही है कि आमजन बार-बार हाथ धोने, दो गज की दूरी बनाए रखने, बिना मास्क पहने बाहर नहीं जाने और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने जैसी बातों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं।

जन जागरूकता अभियान के तहत पूरे प्रदेश में प्रचार-प्रसार के सभी माध्यमों का उपयोग करने की पहल की गयी है। ऑडियो-विजुअल सामग्री, समाचार पत्रों एवं टी.वी. पर विज्ञापन, रेडियो पर जिंगल्स, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर, सनबोर्ड, सनपैक, डिजिटल वॉल पेन्टिंग, बसों पर विनायल पेस्टिंग, पेम्पलेट, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर अभियान की सफलता की रणनीति का उद्देश्य यही है कि कोरोना पर काबू पाया जा सके।

पूरा विश्व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। यह दिवस इस बात का सूचक है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। स्वच्छ जल, शुद्ध पर्यावरण, हरियाली, वन्यप्राणी रहेंगे तभी धरती को हम बचा पाएंगे। स्वाभाविक ही है कि इसके लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से इस अंक में पर्यावरण संरक्षण की लोक परम्पराओं, पर्यावरण की संस्कृति आदि पर विशेष सामग्री दी जा रही है।

(महेन्द्र सोनी)
आई.ए.एस.
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

प्रकृति से सामंजस्य बिठायें, विकास की राह पर आगे बढ़ें

राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने कहा है कि प्रकृति से सामंजस्य बिठाते हुए ही विकास की राह पर हमें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो प्रकृति अपने दम पर सुधार करेगी और तब हमें प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई देगा, जैसा इस समय कोविड-19 के दौर में हो रहा है। श्री मिश्र ने कहा कि वर्तमान में चल रही वैश्विक महामारी कोविड-19 यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमें प्रकृति की शरण में, प्रकृति के नियमों के अनुसार ही विकास के नए मार्ग तलाशने होंगे।

राज्यपाल श्री मिश्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्राचार्यों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को राजभवन से ही वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सम्बोधित किया। ग्रीन बिल्डिंग से सतत विकास विषयक वेबिनार का आयोजन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा एवं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांउसिल के संयुक्त तत्त्वावधान में हुआ। राज्यपाल श्री मिश्र इस वेबिनार के मुख्य अतिथि थे।

राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण को मनुष्य केवल स्वयं के अस्तित्व से जोड़कर न देखें। उन्होंने कहा कि मानवता के अस्तित्व के साथ सभी पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को भी धरती पर रहने का अधिकार है। श्री मिश्र ने कहा कि यही सहअस्तित्व हमारे पौराणिक ग्रंथों और वैदिक संस्कृति का सार भी है। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन से जुड़े रहकर गांव में ही सभी का विकास हो सके, ऐसा प्रयास करना होगा। श्री मिश्र ने कहा कि कोविड-19 महामारी में हमने देखा कि बड़ी संख्या में कामगारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण भारत में रोजगारोन्मुखी व्यवस्थाओं का अभाव है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक गांव को एक इकाई मानते हुए आत्मनिर्भर बनाना, विकास का संशोधित मॉडल हो सकता है।

खेतों में बढ़ते रासायनिक पदार्थों के उपयोग से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के होने से अब हमें पुनः अपने मूल की ओर लौटने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना होगा तथा संसाधनों के समुचित प्रयोग से रासायनिक खेती के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करना होगा।

राज्यपाल ने कहा कि शहरों में भूमि लगातार कम पड़ रही है, तो कृषि भूमि का अधिग्रहण करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीमित दायरे में कृषि भूमि के रूपांतरण को कम किया जा सकता है। इससे भविष्य में खाने की समस्या से जूझने में सहायता मिल सकती है। निश्चित ही यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसे अपनाये जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि बनने वाले सभी भवन इस प्रकार बनाए जाएं कि ऊर्जा खपत न्यूनतम हो और ऊर्जा दक्षता अधिकतम हो। तब ही विकास के सोपान को सीधे जनता तक पहुंचाया जा सकता है।

जनजातीय क्षेत्रों में राज्यपाल ने भेजे हाइजीन किट

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजभवन से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के लिए हाइजीन किट भेजे हैं। राज्यपाल ने राजभवन के वाहन को हरी झण्डी दिखाकर राजभवन से रवाना किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ जिले के लोगों को हाइजीन किट भेजे गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में पांच हजार मास्क, तीन हजार दस्ताने और तीन हजार साबुन भेजे गये हैं। यह हाइजीन किट जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजे गये हैं। श्री मिश्र ने कहा कि यह हाइजीन किट गरीब व जरूरतमंदों को प्रदान किये जायेंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस
पर शुभकामनाएं

पर्यावरण संरक्षण करें, भावी पीढ़ी को दें सुखद भविष्य

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुखद एवं सुरक्षित भविष्य मिल सके।

श्री गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना और पर्यावरण संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति पूजन की मान्यता है। यहां पेड़ों की तुलना संतान से की गई है और नदियों को मां स्वरूपा माना गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के सीमित दोहन के साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम पर्यावरण रूपी इस अमूल्य धरोहर को बचाकर रख सकते हैं।

कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए

पर्यावरण का संतुलन है जरूरी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश का पर्यावरण जितना संतुलित रहेगा, कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप उतना ही कम होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह लॉकडाउन के दौरान बिना प्रदूषण के प्रकृति खिलखिलाने लगी थी, यदि सभी लोग पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखेंगे तो ऐसे नजारे स्थाई हो सकते हैं।

डॉ. शर्मा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नरेगा के कामों में भी ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण या वृक्षारोपण के काम को अनुमत किया है। इसके अलावा निरोगी राजस्थान के 10 बिंदुओं में पर्यावरण को अहमियत दी गई है। उन्होंने आमजन का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करके आने वाले कल को संवारा जा सकता है।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान पिछले 13 वर्षों से पौधारोपण का कार्य कर रहा है। ऐसे पुनीत कार्यों में सभी संगठनों और संस्थाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पर्यावरण जितना अधिक संतुलित रहेगा प्रदेश में उतनी ही अच्छी बारिश होगी। उन्होंने कोरोनाकाल में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे चिकित्सकों और स्टाफ की प्रशंसा की और बतौर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया। इस दौरान ट्रोमा प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया।

इस अवसर पर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी, सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक श्री राजेश शर्मा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान के संरक्षक डॉ. एसडी शर्मा, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह राना व अन्य गण्यमान्य लोगउपस्थित रहे।

पर्यावरण संरक्षण समय की आवश्यकता

फाइल फोटो

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की आवश्यकता है और सभी को इसमें पूरे मन से अपना योगदान देना चाहिए।

श्री विश्नोई विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि महामारी ने हमें पर्यावरण संरक्षण का महत्त्व स्पष्ट रूप से ज्ञात करा दिया है। इसलिये हम सबको जल, वायु और पर्यावरण का संरक्षण करते हुये प्रकृति का सम्मान करना चाहिये।

पर्यावरण एवं वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्त्वपूर्ण दिन है और वैश्विक महामारी ने हमें इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि पर्यावरण संरक्षण, जैव-विविधता संरक्षण तथा क्लाइमेट चेंज जैसे विषय हमारी प्राथमिकता में रहना अनिवार्य है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों ने स्पष्ट रूप से हम सबको एक सन्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान मानव की जीवनशैली में परिवर्तन से जल, वायु और पर्यावरण में सुधार आना महत्त्वपूर्ण संकेत है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि हमें अब पर्यावरण संरक्षण को एक अहम स्थान देते हुये निरंतर प्राथमिकता में रखना होगा।

वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. जी.वी. रेड्डी ने इस अवसर पर जैव विविधता के महत्त्व पर चर्चा करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों तथा भावी रणनीति पर भी प्रकाश डाला।

इस अवसर पर वन विभाग द्वारा विभिन्न वन्यजीव मंडलों में जैव विविधता संरक्षण के संबंध में बनाई गयी फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन श्री अरिजीत बनर्जी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने किया।

फाइल फोटो

राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता बढ़ाने के लिए ''हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए एवं महामारी से मिले सबक'' तथा भविष्य की योजना विषय पर एक सेमीनार आयोजित किया गया। साथ ही पर्यावरणीय संरक्षण पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी तादाद में आमजन एवं स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक रुपये कीमत पर पौध वितरण किया गया।

कोरोना जागरूकता के लिए 21 से 30 जून तक विशेष अभियान

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस विकट समय में लोगों का जीवन बचाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रदेश में 21 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने अपील की कि जनप्रतिनिधि, भामाशाह एवं समाजसेवी इस अभियान के तहत पेम्फलेट एवं अन्य प्रचार सामग्री छपवाकर लोगों को वितरित करें ताकि लोग जागरूक हों और संक्रमण से बच सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक-1 के बाद ये देखने में आया है कि लोग कोरोना के तहत हैल्थ प्रोटोकॉल की गंभीरता के साथ पालना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका भी बेहद जरूरी है, इसे देखते हुए लॉकडाउन खोला गया है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोग हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें अन्यथा संक्रमण बढ़ सकता है।

उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करे, उन्हें सख्ती से रोका जाए। उन्हें आगाह किया जाए कि नियमों की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमारी सरकार ने सभी वर्गों को विश्वास में लेकर ऐसे फैसले किए, जिनसे हम प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने में कामयाब हो सके। यह कामयाबी आगे भी बरकरार रहे और कोरोना से बचाव हो सके, इसके लिए जन जागरूकता सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। इसी के लिए प्रदेशभर में बड़ा अभियान 21 जून से शुरू किया गया है।

दस दिन तक विशेष जागरूकता अभियान चलाकर राज्य सरकार कोरोना से बचाव का संदेश गांव-ढाणी, मोहल्ले तक पहुंचा रही है। ताकि लोग इस बीमारी के खतरे को समझते हुए इससे बचाव के तरीके अपनाएं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों, ग्रास रूट स्तर के कार्मिकों को मिशन मोड पर काम कर इस अभियान को सफल बनाना है।

श्री गहलोत मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति तथा जागरूकता अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्य मंत्री परिषद् के सदस्यों, विधायकों की उपस्थिति में जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा तथा जागरूकता अभियान को लेकर चर्चा भी की। श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही राज्य सरकार ने कदम उठाते हुए इसे नियंत्रित रखा है। लोगों का जीवन बचाने के लिए इतने वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने वाला राजस्थान पहला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने संकट की इस घड़ी का सकारात्मक उपयोग प्रदेश में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया है। इसी का परिणाम है कि इस बीमारी की शुरुआत के समय जहां हमारे पास जांच की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहां आज हमने अन्य पड़ौसी राज्यों को 5 हजार टेस्ट प्रतिदिन करने जैसी पेशकश की है।

श्री गहलोत ने कहा कि जागरूकता अभियान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए नुक्कड नाटक, लोक गीत, कठपुतली आदि के जरिए जीविकोपार्जन करने वाले लोक कलाकारों की भी सेवाएं ली जाएं। इससे उन्हें जहां एक ओर आर्थिक संबल मिल सकेगा वहीं हम निचले स्तर तक स्थानीय बोली में कोरोना से बचाव और इसके खतरों की जानकारी पहुंचाने में उनकी मदद ले पाएंगे।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आज प्रदेश में 53 लाख से अधिक श्रमिकों को मनरेगा कार्यों के जरिए रोजगार मिल पा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा के कामों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए उन्हें अपना

टास्क पूरा कर 11 बजे या उससे पहले भी जाने की अनुमति दी जाए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के सतर्क और सजग नेतृत्व में चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना की रोकथाम में अब तक किए कार्यों की प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सहित सभी पार्टी के विधायकों ने की है। भले ही वह भीलवाड़ा व रामगंज मॉडल हो या फिर देश में सबसे बेहतर रिकवरी रेशो या सबसे कम मृत्यु दर, हर पहलू पर राज्य सरकार द्वारा किए कार्य हर स्तर पर सराहे गए हैं।

सरकार द्वारा चलाया जाने वाला विशेष अभियान भी देशभर में एक मॉडल बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि कोरोना की अभी तक कोई दवा या टीका नहीं बना है। उन्होंने आमजन से घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने, भीड़ या समूह में ना जाने, दो गज की दूरी रखने सहित सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन फॉलो करने की अपील की है।

डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल 17 जिलों में कोरोना की टेस्टिंग सुविधा विकसित कर ली गई है। आने वाले समय में हम सभी जिलों में जांच करने के लक्ष्य को हासिल करेंगे। साथ ही प्रतिदिन 40 हजार टेस्ट प्रतिदिन करने का भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है।

कला एवं संस्कृति मंत्री श्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि लोक कलाकारों की भी जागरूकता अभियान में सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अभियान में विभाग के स्तर पर भी पूरा सहयोग किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएंगी।

मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता ने कहा कि जन आधार से जुड़े हुए 1 करोड़ 93 लाख लोगों के मोबाइल पर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता संदेश भेजे जाएंगे। साथ ही जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रास रूट तक कार्मिकों को इससे जोड़ा जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप ने कहा कि महामारी अधिनियम के तहत इस बात को जोड़ा जाएगा जिसमें निजी कार्यस्थलों एवं वाणिज्यिक संस्थानों के परिसरों में कोरोना से सुरक्षात्मक उपायों को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर लोगों की अधिक आवाजाही बनी रहती है वहां इस तरह के होर्डिंग्स, बैनर आदि लगाये जाएं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या में जांचों की संख्या, केस डबलिंग रेट के औसत तथा पॉजिटिव से नेगेटिव होने की दर में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि सिविल सोसायटी, सामुदायिक संगठनों, 'ट्रिपल-ए' यानी आशा सहयोगिनियों, एएनएम तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अभियान में बड़ी भूमिका रहेगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी ने जागरूकता अभियान के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में प्रचार-प्रसार के सभी माध्यमों का उपयोग जागरूकता अभियान में किया जाएगा। ऑडियो-विजुअल सामग्री, समाचार पत्रों एवं टी.वी. पर विज्ञापन, रेडियो पर जिंगल्स, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर, सनबोर्ड, सनपैक, डिजिटल वॉल पेन्टिंग, बसों पर विनायल पेस्टिंग, पेम्फलेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर तक अभियान की सफलता की रणनीति तैयार की गई है। जिलों को अलग से बजट भी हस्तांतरित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि जागरूकता फैलाने के लिए जिलों में नवाचारों को अपनाएं। इस अभियान के माध्यम से राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को कोरोना से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया जाए ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। ●

कोरोनाकाल के दौरान राजस्थान देशभर में मरीजों की रिकवरी रेट में अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हाई रिस्क वाले लोगों की निरंतर मॉनिटरिंग एवं लगातार स्क्रीनिंग के कारण कोरोना से हमारी रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही।

मुख्यमंत्री के संवेदनशील फैसले पर बस ऑपरेटर्स ने व्यक्त किया आभार

संकट की घड़ी में मोटर व्हीकल टैक्स में छूट से मिली बड़ी राहत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से राजकीय निवास पर प्रदेश के विभिन्न निजी बस ऑपरेटर्स ने मुलाकात कर मोटर व्हीकल टैक्स में दी गई छूट के लिए श्री गहलोत का आभार व्यक्त किया। इन निजी बस ऑपरेटर्स ने कहा कि संकट की इस घड़ी में मोटर वाहन टैक्स में छूट देकर श्री गहलोत ने उन्हें बड़ी राहत दी है। पूरे प्रदेशभर के निजी बस संचालकों को मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील फैसले से बड़ा संबल मिला है।

उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण निजी बसों का संचालन नहीं होने के आधार पर प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्स का अप्रैल, मई एवं जून माह का शत-प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स माफ करने का निर्णय किया गया था। इसके अतिरिक्त जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह के लिए भी मोटर वाहन कर में राहत देने का फैसला किया गया था।

ऑल राजस्थान कांट्रेक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के श्री राजेन्द्र शर्मा, स्टेज कैरिज एसोसिएशन के श्री कैलाश शर्मा, टूरिस्ट बस एसोसिएशन के श्री अनिल जैन सहित अन्य निजी बस ऑपरेटर्स ने कहा कि प्रदेशभर में करीब 30 हजार से अधिक निजी बसें हैं। श्री गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से इन बसों के संचालकों में खुशी है।

परिवहन मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समाज के हर वर्ग को राहत प्रदान की है। बस ऑपरेटर्स की पीड़ा को समझते हुए लिया गया यह फैसला भी इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन श्री राजीव स्वरूप, परिवहन आयुक्त श्री रवि जैन तथा सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी भी उपस्थित थे।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देगी सरकार

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि 'निरोगी राजस्थान' के हमारे संकल्प को साकार करने में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी सहित अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार इन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने में कोई कमी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय इन चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों ने पूरे समर्पण भाव के साथ काम किया है।

श्री गहलोत वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी सहित अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े चिकित्साकर्मियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव में इन पद्धतियों ने भी अच्छा योगदान दिया है। आयुर्वेद विभाग ने काढा एवं अन्य औषधियों के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए उनके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। साथ ही अन्य पद्धतियों ने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपने-अपने तरीकों से योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक जीवनशैली में इन पद्धतियों की प्रासंगिकता और बढ़ी है। आमजन में इनके प्रति विश्वास बढ़ा है। इन पद्धतियों में रिसर्च को बढ़ावा देकर इन्हें वर्तमान जरूरतों के प्रति और उपयोगी बनाया जाए। उन्होंने लोगों को निरोगी बनाने के लिए योग एवं नैचुरोपैथी पर विशेष बल दिया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि आयुष चिकित्साकर्मियों ने महामारी के इस चुनौतीपूर्ण दौर में सराहनीय सेवाएं दी हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि ये पद्धतियां नए रूप में उभर कर आएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बजट में दो होम्योपैथी कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। इस दिशा में जल्द कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता ने कहा कि 6 हजार से अधिक आयुष चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मी कोविड-19 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, उपचार एवं क्वारंटीन की व्यवस्थाओं में उनका सहयोग लिया जा रहा है।

शासन सचिव आयुर्वेद श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में करीब 21 लाख लोगों को कोरोना से बचाव तथा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढा एवं अन्य औषधियों का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि ये चिकित्सा पद्धतियां निरोगी राजस्थान को जनान्दोलन के रूप में आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पुलिस को आवागमन के लिए मिलेंगे रोडवेज के स्थायी पास

उत्कृष्ट सेवाओं पर मुख्यमंत्री पदक योजना लागू होगी

प्रदेश में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू होगी। साथ ही पुलिसकर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में स्थायी पास की योजना भी प्रारम्भ की जाएगी। पुलिसकर्मियों के लिए हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी, जेडीए सहित अन्य संस्थाओं के माध्यम से आवास सुविधा तथा पुलिस लाइन, आर्म्ड बटालियन एवं पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही पुलिसकर्मियों का निःशुल्क वार्षिक चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से थाना स्तर तक के अधिकारियों से संवाद के दौरान ये महत्त्वपूर्ण घोषणाएं कीं। यह पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री ने थाना स्तर तक पुलिस कार्मिकों से संवाद किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय संकट के इस दौर में पुलिस ने समर्पण भावना के साथ दायित्वों को अंजाम देकर अपनी मानवीय छवि पेश की है। लॉकडाउन लागू करने से लेकर 'कोई भूखा नहीं सोए' के संकल्प को साकार करने में अधिकारियों से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक ने जो भूमिका अदा की है, वह प्रशंसनीय है। आगे भी राजस्थान पुलिस इसी जोश और जज्बे के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहण करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों कुछ पुलिसकार्मिकों द्वारा आत्महत्या करने की जो घटनाएं हुई हैं, वे दुखद और चिंताजनक हैं। पुलिस महानिदेशक से लेकर थाना प्रभारी स्तर तक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों की समस्याओं को समझें और उन्हें दूर करने के लिए भावनात्मक संरक्षण दें। ड्यूटी या अन्य किसी कारण से कोई पुलिसकर्मी अवसाद की स्थिति में है तो उसकी मनोस्थिति समझकर आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस के मनोबल तथा सम्मान को ऊंचा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जंग का अनुभव हम सबके लिए नया था। पुलिस ने इससे निपटने के लिए जो नवाचार किए, उनमें से कई सफल रहे और सामूहिक प्रयासों से हम इस लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरे प्रदेश में शांति और सद्भाव कायम रहा, उसमें पुलिस की बड़ी भूमिका है।

होमगार्ड एवं पुलिस मित्रों ने भी कोरोना के इस दौर में सराहनीय कार्य किया है। प्रवासियों को सकुशल अपने घर पहुंचाने, सुरक्षित प्रसव, वृद्धजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने और उनकी देखभाल करने, सुगमता के साथ यात्रा पास जारी करने के साथ ही अन्य कार्यों में पुलिस ने जिस भावना के साथ काम किया है, उससे नए रूप में पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है।

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में पुलिस ने जिस मुस्तैदी के साथ काम किया, वह काबिल-ए-तारीफ है। इससे जनमानस में उनकी छवि निश्चित रूप से बदली है।

परिवहन मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में श्रमिकों के आवागमन को लेकर परेशानियों की खबरें आईं, लेकिन राजस्थान ऐसा राज्य रहा, जहां पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से इस काम को सुगमता से अंजाम दिया गया।

चिकित्सा मंत्री ने 4 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन को दिखाई हरी झण्डी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने स्वास्थ्य भवन से 4 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन को हरी झंड़ी दिखाकर रवाना किया। ये वैन जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में भेजी गई हैं।

डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने और आमजन को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए सभी संभागों के लिए लैब युक्त वैन संचालित करने की योजना बनाई है। जयपुर में पहले से ही फूड सेफ्टी लैब मोबाइल वैन का संचालन हो रहा था अब जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभागों में भी लैब का संचालन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही अजमेर और कोटा संभाग के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी।

जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ. के. के. शर्मा ने बताया कि इन मोबाइल वैनों में अलग-अलग तरह की 36 प्रकार की जांचें करवाई जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी उपभोक्ता, उत्पादक किसी भी तरह की मिलावट होने पर क्षेत्र के सीएमएचओ के जरिए न्यूनतम शुल्क पर जांच करवा सकता है। इन पदार्थों की जांच रिपोर्ट ऑन स्पॉट 25 से 30 मिनट में उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि जांचें सर्विलांस के अधीन होती हैं और उनके अनसेफ, मिसब्रांड और सब स्टैंडर्ड होने पर एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

इस अवसर पर निदेशक आरसीएच डॉ. आर.एस. छीपी, परियोजना निदेशक एड्स डॉ. आर.पी. डोरिया एवं अतिरिक्त निदेशक डॉ. लक्ष्मण ओला भी उपस्थित रहे।

कोरोना वॉरियर चिकित्सक के परिजनों को दिए 50 लाख की राशि के दस्तावेज

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कोरोना ड्यूटी के दौरान मृतक चिकित्सक डॉ. रोहिताश कुमार के परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि के दस्तावेज प्रदान किए।

डॉ. शर्मा ने बताया कि कोरोना वॉरियर श्री रोहिताश का निधन 1 मई को कोविड ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में हो गया था। वे भरतपुर के उच्चौन सीएससी में कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स के प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि इंसान की जिंदगी का कोई मोल नहीं होता लेकिन प्रोत्साहन राशि से परिजनों को थोड़ा संबल मिल जाता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने मृतक के पिता श्री सुगढ़ सिंह को ये दस्तावेज सौंपे। गौरतलब है कि कोरोना वॉरियर्स हैल्थ इंश्योरेंस योजना के तहत 50 लाख रुपए की मदद पहली बार दी गई है।

सरपंचों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री

कोरोना संकट में साबित हुआ मनरेगा का महत्त्व

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर ने यूपीए सरकार की महत्त्वाकांक्षी रोजगार योजना मनरेगा के महत्त्व को स्थापित कर दिया है। संकट के इस समय में इस योजना ने देशभर के गांवों में करोड़ों लोगों को जो संबल दिया है, वह इस योजना की सफलता को दर्शाता है। ऐसे समय में जब लोगों का रोजगार छिन गया था, मनरेगा ने उन्हें राहत दी है।

श्री गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना की इस जंग में वॉरियर्स के रूप में प्रभावी भूमिका निभा रहे सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, बीएलओ, एएनएम, आशा सहयोगिनी सहित ग्राम पंचायत स्तर के लोगों से रूबरू हो रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी केन्द्र सरकार से मांग है कि मनरेगा में प्रति वर्ष कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन किए जाएं। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए काम के घंटे भी कम कर श्रमिकों को राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान अब तक इसीलिए सफल रहा, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक आमजन ने पूरा सहयोग किया और हैल्थ प्रोटोकॉल एवं सरकार की एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि अब हमारा प्रयास है कि आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौटें ताकि जीवनरक्षा के साथ-साथ आजीविका भी सुचारु रूप से चलती रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में होम क्वारंटीन में रखे गए प्रवासी लोगों का ध्यान रखने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों का अच्छा सहयोग मिला है। प्रवासी लोगों के लौटने के साथ कई जिलों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी थी, लेकिन ग्राम स्तर पर लोगों की जागरूकता से अब धीरे-धीरे यह नियंत्रण में आ रही है। इसमें सरपंच, वार्ड पंच से लेकर बीएलओ, ग्रामसेवक, पटवारियों सहित सभी ने टीम भावना से अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में अभी थकने का वक्त नहीं है, सभी लोग मिलकर व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने में अपना सहयोग जारी रखें।

टिड्डी नियंत्रण के लिए उठा रहे जरूरी कदम

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में अभी टिड्डियों का प्रकोप है और किसानों को इससे होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार टिड्डी नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। पेयजल व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने कन्टींजेंसी प्लान के तहत 65 करोड़ रुपये दिए हैं। इसमें हर जिले को 50-50 लाख रुपये आवंटित किए गए है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में विधायकों की अनुशंसा पर पेयजल से सम्बन्धित कार्य तत्काल प्रभाव से हो सकें, इसके लिए 25 लाख रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं।

मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में हमें काफी हद तक कामयाबी मिली है। हम आगे भी सुरक्षित रहें इसके लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं बार-बार हाथ धोने का महत्त्व समझें। सतर्कता बरतेंगे तो हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई आसानी से जीत पाएंगे।

मनरेगा में रोजगार देने में राजस्थान नम्बर वन

वीसी के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। आज राजस्थान में करीब 53 लाख लोग मनरेगा में नियोजित हैं, जो अब

तक की सर्वाधिक संख्या है। बाहर से आए प्रवासियों को भी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा में नियोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 83 प्रतिशत काम व्यक्तिगत की श्रेणी में किए जा रहे हैं। साथ ही नियोजित श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जा रहा है।

जलदाय मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि प्रदेश में गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से अभी तक 38 हजार हैंडपम्पों की मरम्मत की गई है और 3 हजार 417 नए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पानी की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए कन्टींजेंसी प्लान में उपलब्ध बजट का सदुपयोग किया जा रहा है।

कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कृषि विभाग किसानों के सहयोग से टिड्डी नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहा है। कृषि राज्य मंत्री श्री भजनलाल जाटव ने कहा कि बाजरा एवं मक्का के बीज किसानों को समय पर उपलब्ध होने से उन्हें बुवाई में राहत मिलेगी।

2 हजार डॉक्टरों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अभी कोरोना टेस्टिंग की क्षमता 17 हजार 650 प्रतिदिन तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में यह 25 हजार प्रतिदिन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 हजार डॉक्टरों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चिकित्सा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग ने कहा कि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही राज्य सरकार ने पानी, बिजली, रोजगार और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में शानदार प्रबन्धन किया है।

सरपंचों ने की राज्य सरकार के प्रबन्धन की सराहना

कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री से बूंदी जिले की नेगढ़ पंचायत के सरपंच श्री नरेन्द्र सिंह सोलंकी, भरतपुर की इकरान पंचायत के सरपंच श्री नेम सिंह, उदयपुर की सापेटिया पंचायत के सरपंच श्री भंवर पुष्करणा, जालोर की बीबलसर पंचायत के सरपंच श्री राजेन्द्र कुमार, जयपुर की गाड़ोता पंचायत के सरपंच श्री शिवजीराम, बांसवाड़ा की बागीदौरा की सरपंच श्रीमती रूक्मणी आर्य, डूंगरपुर की पालवड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री रमेशचंद डामोर, श्रीगंगानगर की फरसेवाला के सरपंच श्री बलराम सियाग, जैसलमेर की अमरसागर ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती पूनम देवी परिहार, पाली की निमाज ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती दिव्या कुमारी, नागौर की शिव पंचायत के सरपंच श्री लालाराम अणदा, प्रतापगढ़ के नौगांवा के सरपंच श्री रामलाल मीणा, सिरोही के उन्दरा के सरपंच श्री महेन्द्र कुमार तथा अलवर के राईखेड़ा के सरपंच श्री विक्रम सिंह ने संवाद किया।

इन जनप्रतिनिधियों ने कोरोना संक्रमण को रोकने एवं लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रबन्धन की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना की जांच, उपचार एवं क्वारंटीन सहित सभी व्यवस्थाएं प्रशासन के सहयोग से सुचारु रूप से चल रही हैं। संकट की इस घड़ी में असहाय, निराश्रितों एवं जरूरतमंदों को राज्य सरकार ने सूखे राशन किट, भोजन के पैकेट एवं आर्थिक सहायता देकर संबल प्रदान किया है। साथ ही लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अग्रिम भुगतान कर राहत दी है। मनरेगा में बड़ी संख्या में श्रमिकों का नियोजन करना भी सरकार की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

ग्राम पंचायत स्तर पर 11 हजार 341 प्रतिभागियों से संवाद

मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावी रूप से निपटने के लिए जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक संवाद स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज हुई ग्राम पंचायत स्तर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में 11 हजार 341 प्रतिभागियों से मुख्यमंत्री का सीधा संवाद हुआ है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिले जमीनी फीडबैक एवं सुझावों से हमें कोरोना के खिलाफ बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

प्रदेश के सभी 33 जिलों के गजेटियर्स तैयार कराएगी सरकार

राज्य सरकार चरणबद्ध रूप से प्रदेश के सभी 33 जिलों के गजेटियर्स का नए सिरे से लेखन कराएगी। इसके तहत हर साल कम से कम 6 जिलों के गजेटियर का लेखन कर इनका प्रकाशन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में कार्ययोजना को स्वीकृति दी है।

प्रथम चरण में अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर, करौली, हनुमानगढ़ तथा प्रतापगढ़ जिलों के गजेटियर्स के लेखन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इनमें से प्रत्येक जिले के लिए 5 लाख रुपए के अनुसार कुल 30 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगले चरण में चूरू, भरतपुर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं जालोर जिले की सूचना का संकलन एवं लेखन का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के गजेटियर्स लेखन में एकरूपता एवं प्रामाणिकता रखने के लिए इन्हें राज्य स्तर पर चुनिंदा लेखकों से ही लिखवाया जाए।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रकाशित सभी जिला गजेटियर्स 15 से 40 वर्ष तक पुराने हैं। ऐसे में श्री गहलोत ने इसे अद्यतन करने के लिए इस साल बजट में जिला गजेटियर्स के नए सिरे से लेखन करवाने की महत्त्वपूर्ण घोषणा की थी। इसे चरणबद्ध रूप से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने यह कार्ययोजना मंजूर की है।

बीसलपुर–पृथ्वीराज नगर स्टेज–1 एवं बीसलपुर–जयपुर पेयजल स्टेज–2 परियोजना का शिलान्यास

विषम परिस्थितियों में भी विकास कार्यों को गति

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुरवासियों के लिए महत्त्वपूर्ण बीसलपुर-पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज-1, स्टेज-1 तथा बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना फेज-1, स्टेज-2 का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर करीब 853 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना फेज-1, स्टेज-2 से जयपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 170 एमएलडी अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों की पेयजल आवश्यकताओं को देखते हुए कंटीन्जेंसी प्लान के तहत 65 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी थी। साथ ही विधायकगण अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्य करवा सकें, इसके लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 25 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी गयी है।

जलदाय मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि बीसलपुर-पृथ्वीराज नगर परियोजना पर करीब 563 करोड़ 93 लाख रुपये तथा बीसलपुर-जयपुर परियोजना पर 288 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च होंगे। बीसलपुर-पृथ्वीराज नगर परियोजना पृथ्वीराज नगर एवं आस-पास के इलाकों की वर्ष 2051 तक की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के लोगों को इस परियोजना से अक्टूबर, 2022 तक पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चिह्नित 30 किलोमीटर क्षेत्र की 4 लाख 60 हजार आबादी को पानी मिल सकेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी, राज्य मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य, विधायकगण एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बीसलपुर-पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना, फेज-1 स्टेज-1 के तहत 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वर्ष 2051 तक की पेयजल मांग के अनुरूप आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में 9 पम्पहाउस एवं स्वच्छ जलाशयों का निर्माण होगा। ये पम्पहाउस एवं स्वच्छ जलाशय, बालावाला, स्वर्ण विहार, वर्धमान सरोवर-सी, शिव विहार, वेस्ट वे हाईट (आईपीएस-01), केशोपुरा, कनक वृंदावन, गोकुलनगर (आईपीएस-02) तथा लोहा मंडी में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 19 उच्च जलाशयों का निर्माण भी कराया जाएगा। ये जलाशय नारायण विहार बी, 9-ए तिवाड़ी कॉलोनी, ग्राम गजसिंहपुरा, विजयनगर-एफ, ग्राम गजसिंहपुरा, अशोक वाटिका, ग्राम बदरवास, शिव विहार एफ-2, ग्राम मांग्यावास, निधि विहार, ग्राम मांग्यावास, राधामुकुट विहार, ग्राम गोल्यावास, सुन्दरनगर-प्रथम, ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास, सुमेरनगर-द्वितीय, ग्राम कल्याणपुरा, हीरावाला रजनी विहार, अयोध्या नगर, ग्राम धाबास, कच्ची बस्ती, गिरधारीपुरा, रंगोली गार्डन, बसंत विहार, बजरी मण्डी, जनक विहार, गोकुलनगर योजना, ग्राम गोकुलपुरा एवं गिरिराजनगर आदि जगहों पर निर्मित होंगे। प्रोजेक्ट के कार्य को 30 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान में जयपुर की आबादी करीब 36 लाख 50 हजार है तथा यहां जल की मांग 788 एमएलडी है। इसमें से बीसलपुर बांध द्वारा 460 एमएलडी की आपूर्ति हो रही है, बाकी मांग को अन्य स्रोतों से पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जयपुर शहर एवं इसके बाह्य क्षेत्र जैसे आमेर, जगतपुरा, खोह नागोरियन, जामडोली आदि में नई कॉलोनियों एवं आबादी क्षेत्र के विस्तार के तहत तथा आने वाले समय में यहां की जनता की दूरगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण का प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना से जयपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों को बीसलपुर से 170 एमएलडी पानी अतिरिक्त मिल सकेगा। इस परियोजना का कार्य अक्टूबर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

'निरोगी राजस्थान' अभियान

'स्वास्थ्य मित्र' निभाएंगे ब्रांड एंबेसेडर की भूमिका

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि 'निरोगी राजस्थान' अभियान को धरातल पर उतारने के लिए चुने गए स्वास्थ्य मित्र ब्रांड एंबेसेडर का काम करेंगे। स्वास्थ्य मित्रों का सही चयन प्रदेश के चिकित्सा विभाग के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है।

चिकित्सा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशकों, सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ सहित अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी राजस्व गांवों से 1-1 महिला और पुरुष का चयन किया जाएगा। ये स्वास्थ्य मित्र राज्य और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक ले जाने का काम करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ उठा सकें। इनका कार्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने 'निरोगी राजस्थान' अभियान की शुरुआत की थी और इसके लिए 27 हजार से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण भी दे दिया गया था। कोविड के दौरान कुछ महीनों से यह अभियान स्थिर था। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अधिकारियों को 'निरोगी राजस्थान' अभियान को गति देनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि लोग अभियान के तहत सुझाए 10 बिंदुओं पर काम करेंगे तो उनके बीमार होने की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी और वे कोरोना सहित अन्य बीमारियों का मुकाबला बेहतर तरीके से कर पाएंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य मित्र विभाग और जनता के बीच अहम कड़ी की भूमिका निभाएंगे। इनके चयन से योजनाओं को ग्रासरूट स्तर तक ले जाना आसान रहेगा। स्वास्थ्य मित्र 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छे चयन से विभाग और समाज को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

मिशन निदेशक श्री नरेश कुमार ठकराल ने इस अवसर पर निरोगी राजस्थान, राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। निदेशक जन स्वास्थ्य श्री के.के. शर्मा और निदेशक आरसीएच श्री आर.एस. छींपी ने स्वास्थ्य मित्रों के चयन के लिए योग्यता व चयन के तरीके का भी प्रस्तुतीकरण किया।

इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी ने कोरोना संबंधी लघु फिल्म को भी प्रदर्शित किया।

कोविड–19 में सहकारी समितियों के कार्यों में बदलाव की पहल

सहकारी समितियों के व्यवसाय एवं आय में हुई वृद्धि

ओटाराम चौधरी

कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के कारण किसानों को उपज बेचने की असुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा देने का जो निर्णय किया, उसके बेहतरीन परिणाम सामने आए है। प्रदेश में नियमों में शिथिलता देकर 604 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गौण मंडी घोषित किया गया। इन गौण मंडियों में से 427 गौण मंडियों ने सुचारु रूप से कार्य कर महामारी के दौर में किसानों को खेत के समीप ही उपज बेचान की सुविधा प्रदान की है।

लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए गौण मंडियों को सक्रिय करना चुनौतीपूर्ण था लेकिन सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना के मार्गदर्शन से प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र की एक तरह से कायापलट हो गयी है।

प्रदेश में हो रही खरीद में 427 ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियां गौण मंडी के रूप में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। बीकानेर संभाग में 141, उदयपुर संभाग में 71, जोधपुर संभाग में 66, अजमेर संभाग में 42, जयपुर संभाग में 40, भरतपुर संभाग में 39 तथा कोटा संभाग में 28 सहकारी समितियां गौण मंडी का कार्य कर रही है। इन गौण मंडियों के संचालन में सहकारिता के साथ कृषि विभाग के अधिकारियों का भी भरपूर सहयोग रहा।

गौण मंडी सहकारी समितियों के 31 मई तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 15 हजार से अधिक किसानों से 16 फसलों को गौण मंडी प्रांगण से विक्रय किया गया। जिसके पेटे 135 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को हुआ। 6 लाख 13 हजार 729 क्विंटल से अधिक उपज बेची गई। मंडी शुल्क के रूप में 1.66 करोड़ रुपए की आय हुई जिसमें से लगभग 1 करोड़ रुपए सहकारी समितियों को प्राप्त हुए।

सरकार की इस पहल से किसानों के धन एवं समय के साथ कोरोना संक्रमण का बचाव भी हुआ। पहले जहां किसान को 20-25 किलोमीटर दूर मंडी में उपज बेचने जाना होता था लेकिन इस व्यवस्था से यह दूरी घटकर 2 से 5 किलोमीटर हो गई। लॉकडाउन के दौरान ट्रैक्टर सहित अन्य वाहनों की किल्लत भी थी। ऐसे में सैम्पल के आधार पर ही बोली लग जाती थी और स्थानीय स्तर पर ही प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य में उपज बिकने से किसान की वित्तीय जरूरतें भी पूरी हुईं। अधिक किसानों के मंडी में जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग में भी समस्या रहती है, गौण मंडियां बनने से इसका लाभ हुआ।

427 गौण मंडी सहकारी समितियों के प्रांगण से किसानों ने 16 फसलों जिनमें गेहूं, बाजरा, सरसों, चना, मक्का, तारामीरा, जौ, मैथी, मसूर, सोयाबीन, अरंडी, लहसुन, अलसी, ग्वार, मोठ एवं ईसबगोल को विक्रय किया। संभागों में सर्वाधिक बीकानेर संभाग से 6 हजार 464 किसानों ने 4 लाख 47 हजार 569 क्विंटल उपज बेची। जिसकी राशि 75.80 करोड़ रुपए है। गंगानगर जिले के ही 6 हजार 117 किसानों ने 4.39 लाख क्विंटल उपज का बेचान गौण मंडी सहकारी समितियों के माध्यम से किया।

सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा मिलने से इनकी आय में बढ़ोतरी हुई। सरकार ने निर्णय लिया कि मंडी टैक्स का 60 प्रतिशत गौण मंडी सहकारी समितियों के पास रहेगा। इस प्रकार करीब 1 करोड़ रूपए इन समितियों को मिले। इससे समितियां अपने अन्य व्यवसाय में वृद्धि करेगी। गौण मंडी कार्य में लगे कार्मिकों को 10 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में भी मिल रही है। आज भी अधिकांश समितियां खाद-बीज एवं ऋण वितरण तक ही सीमित हैं लेकिन इस पहल ने सहकारिता की मजबूती की दिशा में एक नई सोच दी है।

पूरे भारत में यह एक तरह का नया प्रयोग था जिसने महामारी के दौर में किसानों को उपज बेचान के लिए अपने खेत एवं घर के नजदीक प्लेटफॉर्म दिया है। जिससे मुख्य अनाज मंडियों में भीड़ कम हुई एवं गौण मंडी सहकारी समितियों में मुख्य मंडियों जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। धीरे-धीरे यह किसान के खेत से ही उपज बेचान के चेन सिस्टम को विकसित करेगा। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना का कहना है- ''मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्णय से किसानों की कोरोना महामारी में तकलीफ दूर हुई है। ग्राम पंचायत पर जीएसएस एवं पंचायत समिति पर केवीवीएस का ढांचा होने से किसानों को इस सुविधा का लाभ मिला है और उन्हें खेत के समीप ही उपज बेचने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है।'' कोविड-19 में सहकारी समितियों की कार्यप्राणाली में आये इस सकारात्मक बदलाव से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिला है। राज्य सरकार की मंशा है कि किसान समृद्ध और सम्पन्न हो इस दृष्टि से गौण मंडी का दर्जा देने का निर्णय किसानों को सौगात है।

कोरोनाकाल में किसानों के हित में संवेदनशील निर्णय

डॉ. आशीष खण्डेलवाल

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए त्वरित और दूरदर्शी निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के हित में लिए गए दस प्रमुख सराहनीय निर्णय:

बिजली–पानी के बिल स्थगित

राज्य सरकार ने कोरोना से उत्पन्न संकट की घड़ी में किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान स्थगित किया है। इससे प्रदेश के करीब 13 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। साथ ही कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित अवधि में बिल भुगतान करने पर आगामी बिल में भुगतान की गई राशि की 5 प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा की गई।

ब्याज मुक्त फसली ऋण

प्रदेश के 25 लाख किसानों को वर्ष 2020-21 में 16 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण करने का निर्णय भी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का सराहनीय फैसला है। खरीफ सीजन में ऋण वितरण की शुरुआत लॉकडाउन के दौरान ही 16 अप्रैल को की गई। इसमें दस हजार करोड़ रुपये खरीफ सीजन में तथा 6 हजार करोड़ रुपये रबी सीजन में वितरित करने का लक्ष्य रखा गया।

समर्थन मूल्य पर खरीद

प्रदेश में 45 हजार 813 किसानों से समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना की 1 लाख 16 हजार 765 मीट्रिक टन जिन्स की खरीद की गई जिसकी राशि 541.52 करोड़ रुपये है। इस खरीद का 386.71 करोड़ रुपये का भुगतान 32 हजार 509 किसानों को उनके खाते में कर उन्हें लाभान्वित किया गया है।

भंडारगृह/जीएसएस को गौण मण्डी का दर्जा

किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया को गति देने हेतु 1500 से अधिक प्रसंस्करण इकाइयों को सीधी खरीद करने की अनुमति दी गई और 550 सहकारी समितियों को निजी गौण मण्डी के रूप में अनुज्ञा पत्र दिए गए। साथ ही राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के 93 गोदामों को भी निजी गौण मण्डी घोषित किया गया। 427 गौण मंडियों ने महामारी के दौर में किसानों को खेत के समीप ही उपज बेचान की सुविधा प्रदान की, जिससे 15 हजार से अधिक किसानों से 16 फसलों को विक्रय कर 135 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान राज्य सरकार से हासिल किया। सहकारी समितियों को गौण मंडियों का दर्जा देने से पहले जहां किसान को 20-25 किलोमीटर दूर मंडी में उपज बेचने जाना होता था, अब यह दूरी घटकर 2 से 5 किलोमीटर हो गई।

नि:शुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र किराए की योजना

फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए लॉकडाउन के दौरान किसान परेशान न हो, इसके लिए नि:शुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की जिसके तहत 60 हजार घण्टे से अधिक की मुफ्त सेवा दी जा चुकी है।

टिड्डी पर प्रभावी नियंत्रण

टिड्डी दल के हमले से प्रदेश के किसानों की फसल बचाने के लिए भी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रभावी कदम उठाए गए। इसके तहत प्रदेश में 1 लाख 11 हजार 625 हैक्टेयर क्षेत्र में सर्वे कर 306 स्थानों पर लगभग 87 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण किया। उच्चीकृत पौध संरक्षण उपकरणों से 47 हजार 948 हैक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण करने के लिये 47 हजार 21 लीटर मैलाथियान, 96 प्रतिशत यूएलवी का उपयोग किया। कृषि विभाग की ओर से 38 हजार 775 हैक्टेयर में 13 हजार 880 लीटर पौध संरक्षण रसायन का अकृषि क्षेत्र में तथा 5 हजार 917 काश्तकारों की ओर से कृषि क्षेत्र में उपयोग किया गया। साथ ही टिड्डी चेतावनी संगठन को 40 गाड़ियां उपलब्ध कराई गईं एवं 600 ट्रैक्टर किराए पर लेने की स्वीकृति जारी की गई।

संकर मक्का/बाजरा बीज की आपूर्ति

किसानों को कोरोना संकट में राहत देने के लिए अनुसूचित

जनजाति क्षेत्र के 5 लाख किसानों को 5 किलोग्राम की दर से निःशुल्क संकर मक्का बीज के मिनिकिट वितरित किए जाने के निर्देश दिए। इस पर करीब 25 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों के 10 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को 0.4 हैक्टेयर क्षेत्र तक के लिए प्रति कृषक 1 किलो 500 ग्राम के संकर बाजरा बीज के मिनिकिट नि:शुल्क वितरित किए जाने के भी निर्देश दिए गए। इस पर करीब 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है।

फसल रहन ऋण वितरण

एक जून को सभी जिलों में किसानों को फसल रहन ऋण वितरण का शुभारंभ किया गया। इसके लिए प्रतिवर्ष कृषक कल्याण कोष से 50 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है और 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार वहन कर रही है। लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.50 लाख रूपये तथा बड़े किसानों को 3 लाख रुपये रहन ऋण के रूप में दिया जा रहा है। इस कार्य के लिए 5,500 से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अधिकृत किया गया।

बीमा क्लेम का वितरण

खरीफ-2019 के दौरान हुए फसल खराबे का क्लेम भी लॉकडाउन के दौरान ही दिलवाया गया। किसानों को 2261 करोड़ रुपए का क्लेम मिला, जिससे 13 लाख से अधिक बीमित काश्तकारों को लाभ हुआ। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के 14 जिलों में खरीफ-2019 का पूरा क्लेम वितरित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी, 2019 के बाद 6041 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का वितरण किया गया, जिससे 42 लाख 31 हजार पात्र बीमित किसानों को राहत मिली।

ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकारों को सहायता राशि

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर रबी फसल ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकारों को बड़ी राहत दी गई। इसके तहत कृषि आदान-अनुदान भुगतान हेतु 67.85 करोड़ रुपये सहायता राशि आवंटित की गई। इस राशि से भरतपुर की 6 तहसीलों (भरतपुर, कुम्हेर, नदबई, डीग, नगर व रूपवास) के 71,661 एवं बीकानेर की तहसील खाजूवाला के 150 कृषक लाभान्वित हुए। सहायता राशि प्रभावित पात्र कृषकों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर उन्हें राहत पहुंचाई गई।

कृषक कल्याण शुल्क में राहत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कृषक कल्याण शुल्क को लेकर खाद्य पदार्थ से जुड़े प्रदेशभर के व्यापारियों एवं उद्योगों की चिंताओं को समझते हुए उन्हें राहत देने के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, ईसबगोल सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क पचास पैसा प्रति सैकड़ा है उन पर कृषक कल्याण शुल्क की वर्तमान दर दो रु पए प्रति सैकड़ा के स्थान पर पचास पैसा प्रति सैकड़ा प्रभारित की जाए।

इसी प्रकार तिलहन-दलहन, गेहूं सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क की दर एक रुपया तथा एक रुपया 60 पैसा प्रति सैकड़ा है उन पर भी वर्तमान में प्रभारित दो रुपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर एक रुपया प्रति सैकड़ा प्रभारित की जाए। ऊन को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।

श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर खाद्य पदार्थ के कारोबार से जुड़े प्रदेशभर के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद यह निर्णय किया। इससे पहले इस संबंध में उन्होंने बीते दिनों हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, उद्यमियों से भी राय जानी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण शुल्क के कारण उद्योगों एवं व्यापारियों को हो रही तकलीफ का एहसास राज्य सरकार को है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के खाद्य पदार्थ से जुड़े कारोबारियों एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को राहत मिलेगी। प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, कोटा, बारां, भरतपुर, धौलपुर, अलवर सहित प्रदेश के अन्य सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले दरों का अंतर कम होगा और उन्हें प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से व्यापार करने में आसानी होगी। व्यापार बढ़ने से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा साथ ही करापवंचन भी रुक सकेगा।

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण उद्योगों एवं कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लाई गई है। कृषि जिंसों पर प्रभारित होने वाली दरों को औचित्यपूर्ण किए जाने से कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और वे अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धात्मक हो सकेंगे। इन उद्योगों को बढ़ावा मिलने से किसानों को भी अपनी उपज उचित दरों पर बेचने के अधिक अवसर मिल सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस दौर में प्रदेश के व्यापारी वर्ग ने हमारे 'कोई भूखा न सोए' के संकल्प को साकार करने में पूरी मदद की है। राज्य सरकार ने मंडी व्यापारियों के हित में पूर्व में कई निर्णय किए हैं। हमारा हमेशा यह प्रयास रहा है कि प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा मिले और ईमानदारी से व्यापार करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिले।

चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि आढ़तियों की वाजिब मांगों के प्रति सरकार का नजरिया संवेदनशील है। मुख्यमंत्री कोरोना से निपटने के लिए लगातार सभी वर्गों के हित में निर्णय ले रहे हैं। यह उनके कुशल प्रबंधन का ही परिणाम है कि राजस्थान ऐसी चुनौती का मजबूती से सामना कर पा रहा है।

विषम परिस्थितियों में सरकार के अनूठे कदम

जनजाति समुदाय को मिला संबल

सोहनलाल

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल और जनजाति क्षेत्रीय विकास (टीएडी) विभाग मंत्री श्री अर्जुनसिंह बामणिया के निर्देशन में टीएडी विभाग ने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान उपजी विषम परिस्थितियों में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से प्रभावित हुए जनजाति समुदाय को सहायता प्रदान करने के लिए कई अनूठे कदम उठाए हैं। प्रत्यक्ष लाभ वाली योजनाओं में राशि का तुरंत भुगतान एवं संविदा स्टॉफ को नियमित भुगतान कर जरूरतमंदों को आर्थिक संबल दिया गया है। दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने, किसानों को संकर मक्का बीज, छात्रावासी बच्चों के लिए ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था तथा गरीब परिवारों एवं कोरोना वॉरियर्स को नि:शुल्क मास्क वितरित कर राहत पहुंचाई गई है।

विभाग की ओर से चालू वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना भी इस प्रकार तैयार की गई है कि जनजाति परिवारों को इस वैश्विक महामारी से निपटने के दौरान आर्थिक रूप से सम्बल प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुपालना में लाखों जनजाति किसानों को 5 किलोग्राम उन्नत किस्म के संकर मक्का बीज किट का वितरण एवं 13 हजार

पशुपालकों को पशु आहार खरीदने पर 5 रुपए प्रति किलोग्राम अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार 5 हजार भूमिहीन अकुशल श्रमिकों को आधुनिक टूल किट का वितरण तथा 4 हजार जनजाति युवाओं को रोजगार आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। कुसुम योजना के अन्तर्गत 5 हजार जनजाति किसानों को सोलर पम्प लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा।

विभाग के छात्रावासों में अवासरत छात्र-छात्राओं के अध्ययन की चिंता करते हुए ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था भी की जा रही है। स्माइल-एप के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन अध्ययन प्रक्रिया से जोड़ा गया है।

डूंगरपुर जिले में 47 मां बाड़ी केन्द्रों को किराने की दुकानों में परिवर्तित कर दूरदराज के क्षेत्रों में सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। अन्य जिलों में भी मां बाड़ी को किराने की दुकानों के रूप में उपयोग कर दूर-दराज के क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

कोरोना से निपटने के लिये विभाग के 8 आवासीय विद्यालयों एवं 17 छात्रावासों में लगभग दस हजार व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखने योग्य व्यवस्थाएं की गई हैं। इन विद्यालयों एवं छात्रावासों का उपयोग जिला कलक्टर्स की ओर से क्वारंटीन सेंटर के रूप में किया जा रहा है।

गाँवों के लिए वरदान बनी मनरेगा

रोजगार उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान

सम्पतराम चान्दोलिया

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) गांवों में स्थानीय लोगों और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में बेहद कारगर रही है। राजस्थान देशभर में मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने में पहला राज्य बन गया है। गांवों में रोजगार उपलब्ध नहीं होने से शहर की ओर हो रहे पलायन को रोकने में भी इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। मनरेगा के तहत 50 प्रतिशत महिला मेट लगाने के प्रावधान से महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप इस योजना से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग को रोजगार का अवसर और सामाजिक सुरक्षा से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत 260 प्रकार के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्य किये जा रहे हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि गांव के गरीब पात्र परिवार के सदस्य को रोजगार सुलभ करवाया जाएं। राज्य सरकार ने गांवों के चहुँमुखी विकास के लिए 'एक गांव-चार कार्य' को प्राथमिकता दी है। जिसमें प्रत्येक गांव एवं राजस्व गांवों में चारागाह विकास, चारदीवारी विकास, आदर्श तालाब एवं श्मशान/कब्रिस्तान विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं। इसी प्रकार जल संचय, जल संवर्धन, भू-जल पुनर्भरण, भूमि समतलीकरण, उद्यानिकी, वृक्षारोपण, फार्म-पोण्ड, डिग्गी, टांके, जल हौज, वर्मीकपोस्ट, नाडेप कम्पोस्टिंग, मेडबन्दी आदि कार्य करवाये जा रहे है। योजनान्तर्गत मानव श्रम से किये जाने वाले कार्यों के लिए मशीनों का उपयोग निषेध है।

उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री श्री सचिन पायलट की दूरदर्शी सोच से यह सुनिश्चित किया गया है कि गांवों में कोई भी अकुशल श्रमिक रोजगार से वंचित नहीं रहे। इसके लिए योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 'काम मांगों' अभियान चलाया गया। दिव्यांगों के रोजगार के लिए यह योजना संजीवनी बनी है। दिव्यांगों से कार्यस्थल पर पानी पिलाने, नर्सरी जैसे कार्य शारीरिक क्षमता के अनुसार करवाये जाने से उन्हें काफी राहत मिली है। आलौच्य वित्तीय वर्ष के दौरान 10 हजार 594 से ज्यादा दिव्यांगों को रोजगार मिला है। गत वित्तीय वर्ष में 55 लाख 79 हजार परिवारों द्वारा 32 करोड़ 89 लाख मानव दिवस सृजित कर प्रत्येक परिवार को 59 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया गया, जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है। कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों से प्रवासी-मजदूर लॉकडाउन के कारण रोजगार के अभाव में अपने मूल निवास पर लौट रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन 53 लाख से अधिक श्रमिक नियोजन के साथ प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। इनमें लगभग 13 लाख प्रवासी श्रमिक भी रोजगार पा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चुनौती भरे समय में मनरेगा के तहत रोजगार मिलने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र एवं दूरदराज के वासियों को भरपूर आर्थिक संबल मिल रहा है।

कोरोना वायरस संक्रमण के डर से लॉकडाउन के दौरान मार्च माह में सिफ 62 हजार श्रमिक ही रोजगार पा रहे थे लेकिन प्रवासी श्रमिकों के प्रदेश में आने से व मनरेगा जैसी महत्त्वाकांक्षी योजना में रोजगार पाने से इस संख्या में निरन्तर इजाफा होता गया व 15 जून को यह बढ़कर 53 लाख 27 हजार से अधिक हो गई जो कि देश में सर्वाधिक है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश्वर सिंह ने मनरेगा में प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण जॉब कार्ड बनाने, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने सम्बन्धित निरंतर मॉनिटरिंग की।

विभाग की ओर से कोरोना वायरस से बचाव के लिए दो सप्ताह तक अधिकारी, कर्मचारी, 'श्रमिक क्या करे क्या न करें', के संबंध में रोडमेप तैयार किया गया। राज्य सरकार व चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये गये। कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के सभी मनरेगा कार्यस्थलों पर विधायक कोटे, दानवीर भामाशाह एवं समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से मास्क, सेनिटाइजर वितरित किये। सभी कार्यस्थलों पर कार्यरत श्रमिकों में व्यक्तिगत दो गज दूरी बनाये रखने एवं संक्रमण से बचने के प्रति जन-जागरूकता लाई गई, साथ ही कार्यस्थल पर आने, खाना खाने से पहले व बाद में एवं कार्य समाप्ति पर आवश्यक रूप से साबुन से हाथ धोने के निर्देशों की पालना करवाई जा रही है। मनरेगा कार्य स्थल पर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जा रही है ताकि कोई श्रमिक संक्रमित नहीं हो सके।

प्रकृति, पर्यावरण और जीवन

इन्दिरा गांधी

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रकृति से गहरा लगाव था। वह लिखती हैं, 'पौधे, पक्षी और पत्थर मेरे साथी रहे और तारों भरे आकाश के बीच सोकर मैंने तारामंडलों के नामों और उनकी गति का परिचय प्राप्त किया।'

स्टॉकहोम में 14 जून, 1972 को संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के वृहद् अधिवेशन में श्रीमती गांधी ने एक महत्त्वपूर्ण भाषण दिया था। इसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों के साथ ही प्रकृति संरक्षण से जीवन को बचाने का एक तरह से संदेश ही दिया था। 'सुजस' के पाठकों के लिए उस भाषण का संपादित आलेख यहां दिया जा रहा है।

– सम्पादक

मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रकृति और इसके सभी रूपों के साथ अपनापन का नाता जोड़कर पली-पढ़ी हूं। पौधे, पक्षी और पत्थर मेरे साथी रहे और तारों भरे आकाश के बीच सोकर मैंने तारामंडलों के नामों और उनकी गति का परिचय प्राप्त किया। लेकिन अपनी इस अकेली पृथ्वी में मेरी जो गहरी रुचि रही, वह केवल इसी के साथ प्यार के कारण नहीं, बल्कि इस कारण भी रही कि यह मनुष्य का उपयुक्त घर है।

कोई व्यक्ति तब तक सच्चे अर्थ में मानव और सभ्य कहलाने का अधिकारी नहीं, जब तक वह अपने साथी मानव को ही नहीं, वरन् समूची सृष्टि को अपना मित्र न समझे। सारे भारत में जो भी शिलालेख और स्तंभ लेख हैं, वे हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि आज से बाइस सौ वर्ष पहले सम्राट अशोक ने राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए केवल यही नहीं बताया कि प्रजा की रक्षा करना और अपराधियों को दंड देना मात्र ही उसका कर्तव्य है, बल्कि पशुओं और वनों की रक्षा करना भी उसका कर्तव्य है।

अभी हाल तक शायद अशोक ही पहला और अकेला ऐसा शासक था जिसने भोजन या शिकार के लिए बहुत-सी जातियों के पशुओं का वध करना वर्जित कर दिया था। उसने विजय होने पर युद्धों में रक्तपात और नरसंहार पर पश्चाताप किया और अपने उत्तराधिकारियों को आदेश दिया कि वे सन्मार्ग पर चलकर प्राप्त होने वाली शांति को ही अपना एकमात्र सुख मानें।

अशोक के इस आदर्श के बावजूद सारी मनुष्य जाति के समान हम भारतवासी भी अपने जीवनदायी साधनों के प्रति घोर उपेक्षा के अपराधी हैं। जीव और वनस्पति के द्रुत ह्रास के प्रति आपकी चिन्ता में हम भी शामिल हैं। हमारे भी कुछ वन्य प्राणी खत्म हो चुके हैं। सुन्दर वृक्षों और वनों तक फैले जंगल जो हमारे इतिहास के मूक साक्षी हैं, नष्ट किये जा चुके हैं। यद्यपि हमारा औद्योगिक विकास अभी शैशव अवस्था में और बड़े कठिन चरण में है तो भी हम पर्यावरण के आरम्भिक असंतुलनों को ठीक करने के लिए कई प्रकार के कदम उठा रहे हैं। मानव जाति के प्रति अपनी चिन्ता की वजह से और भी अधिक ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी खतरा है। गरीबी में उसे खतरा है कुपोषण और बीमारी का, कमजोरी में युद्ध का और समृद्धि में प्रदूषण का, जो उसकी अपनी इस समृद्धि की ही देन है।

छायाचित्र : सविता चौहान

यह अफसोस की बात है कि एक के बाद दूसरे देश में उन्नति का अर्थ लगाया जा रहा है प्रकृति और आघात। हम लोग जो स्वत: प्रकृति के ही अंग हैं और अपनी हर जरूरत के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं, बराबर प्रकृति के शोषण की ही बात करते रहते हैं। जब 1953 में एवरेस्ट पर मानव ने पैर रखा तो जवाहरलाल नेहरू ने 'एवरेस्ट विजय' शब्द पर आपत्ति की थी। उनके विचार में यह अभिमान की भाषा थी। इसमें क्या आश्चर्य कि दूसरे के प्रति सद्भाव का अभाव और निरन्तर अपने को दूसरे से ऊंचा सिद्ध करने की आवश्यकता अपने साथी इंसानों के साथ अपने बर्ताव में प्रकट हो? मुझे याद है जब एक ब्रिटिश लेखक और भारत के अच्छे मित्र एडवर्ड थॉमसन ने एक बार महात्मा गांधी से कहा था कि वन्य प्राणी समाप्त होते जा रहे हैं, तो इस पर महात्माजी ने उत्तर दिया, 'हां जंगलों में घट रहे हैं और नगरों में बढ़ रहे हैं।'

धनी देश एक ओर हमारे निरन्तर गरीब रहने की वजह पूछते हैं और दूसरी तरफ वे हमें आगाह भी करते हैं कि हम उनके तौर-तरीके न अपनाएं। हम नहीं चाहते कि हमारा पर्यावरण जरा भी और बिगड़े, लेकिन साथ ही हम भारी संख्या में लोगों की गरीबी को भी एक क्षण के लिए भुला नहीं सकते। क्या गरीबी और अभाव सबसे बड़ी प्रदूषण फैलाने वाली चीज नहीं है। उदाहरण के लिए, जब तक जंगलों या उसके इर्द-गिर्द रहने वाले आदिवासी लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए रोजगार नहीं दे सकते और उसकी क्रय-शक्ति नहीं बढ़ा सकते, तब तक हमें उन्हें पेट भरने और गुजारा करने के लिए जंगलों का ही सहारा लेने, वहां से चोरी-छिपे लकड़ी काटने या शिकार करने और वहां के पेड़-पौधों को नष्ट करने से नहीं रोक सकते। जब वही यह समझें कि उनका सब कुछ छिन गया है, तो हम जानवरों की रक्षा करने को कैसे कह सकते हैं? जो लोग गांवों और गंदी बस्तियों में रहते हैं, उससे उन नदियों, सागरों और वायु को साफ रखने के लिए कैसे कह सकते हैं जबकि उनकी अपनी जिन्दगी ही अमूमन तौर पर गंदी और दूषित है? गरीबी की दशा में पर्यावरण का सुधार नहीं हो सकता, न ही गरीबी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना दूर की जा सकती है।

टेक्नोलॉजी और एक बेहतर दुनिया या आत्मोन्नति और ऊंचे जीवन स्तर में विरोध होना क्या लाजिमी है? विदेशी लोग अक्सर हमसे एक प्रश्न किया करते हैं जो हमें अजीब लगता है कि क्या भारत की प्रगति का अर्थ उसके अपने अध्यात्म या मूल्यों का ह्रास तो नहीं होगा। क्या अध्यात्म का गुण ऐसी सतही वस्तु है जो भौतिक सुख-सुविधा के अभाव पर ही निर्भर हो। देश के नाते हम किसी दूसरे देश की तुलना में न कम आध्यात्मिक हैं, न अधिक, लेकिन यह जरूर है कि परम्परा से हमारे लोग त्याग और अनासक्ति की भावना का आदर करते रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि हमारी महान् आध्यात्मिक उपलब्धियां उस काल में प्राप्त हुईं, जब समाज अपेक्षाकृत अधिक सम्पन्न था। संग्रह से विरक्ति का सिद्धान्त अभाव को युक्तिसंगत ठहराने की भावना से नहीं जन्मा, बल्कि इस भावना से जन्मा कि कहीं आराम और सुविधाएं मनुष्य की चेतना को कुंठित न कर दें। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा की समानता, मनुष्य की अन्त:चेतना की सबलता और अपनी अनुभूतियों की विस्तीर्णता। यह वह क्षमता है जो मनुष्य को हलचल में निश्चल, शांति के क्षणों में पूर्ण सचेत और सजीव बनाए रखती है और तत्त्व को काल और परिस्थिति से परे रखने और हर्ष व विषाद में समभाव रखने का गुण प्रदान करती है। दृष्टि और दया सच्चे अध्यात्म के लक्षण हैं।

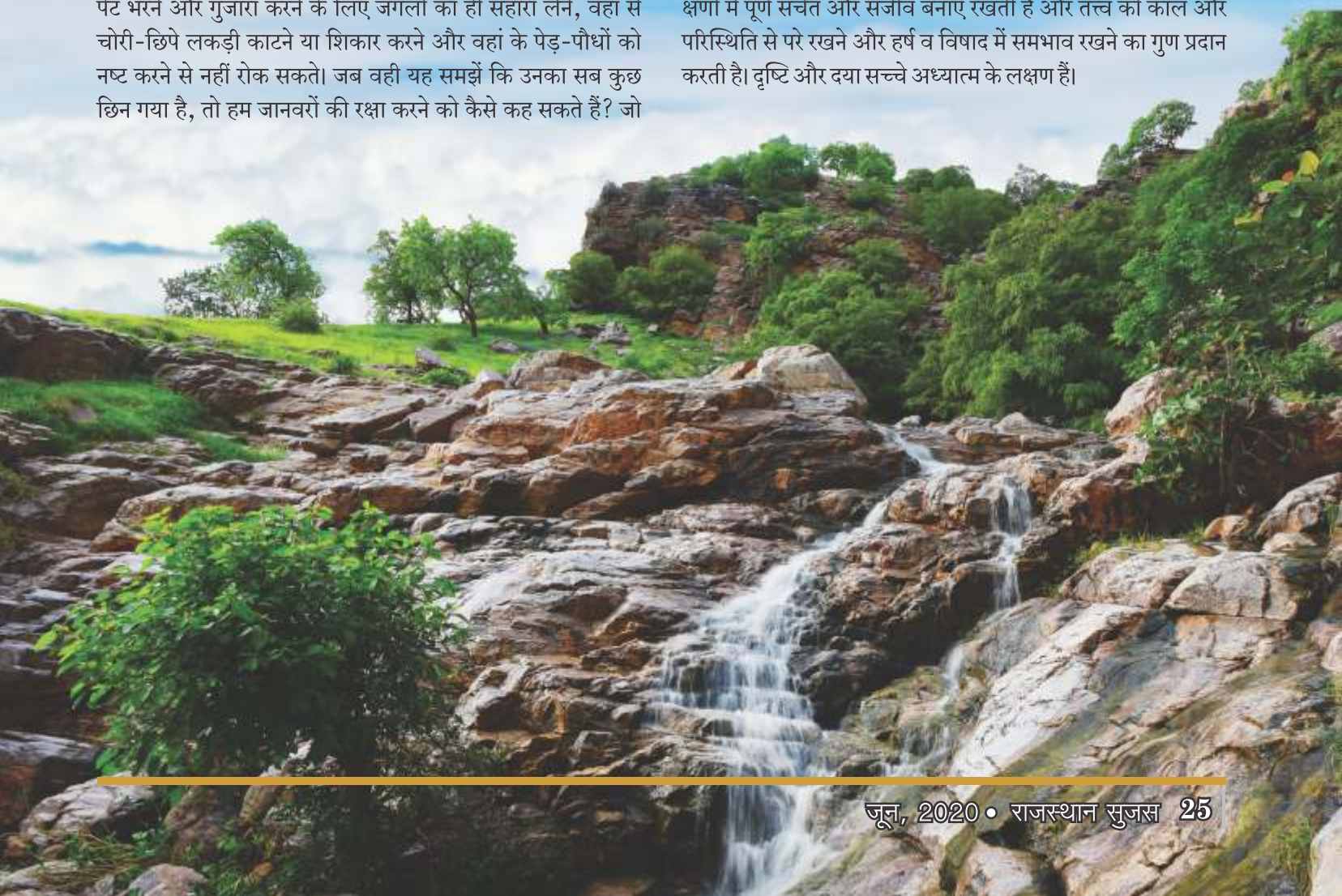

छायाचित्र : सविता चौहान

इस समय मुझे अपने एक आदिवासी क्षेत्र की एक घटना याद आती है। आदिवासी सरदार जोर-शोर से मांग कर रहे थे कि उनके रीति-रिवाजों में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए और उसकी इस मांग का प्रमुख नृ-वैज्ञानिकों ने भी समर्थन किया। भारत सरकार को इस बात की चिन्ता थी कि हमारे देश में जो अनेक रक्त, जाति और संस्कृति से जुड़े समूह हैं, वे कहीं बहुसंख्य समाज में विलीन न हो जायें। इस वजह से प्राय: उन्होंने उनकी सलाह माग ली। मैं भी उन लोगों में से थी जिसमें इसका अनुमोदन किया गया था। किन्तु जब मैं एक बार अपने उत्तर पूर्वी सीमा के एक सुदूर भाग में गई, तो एक दूसरा ही दृष्टिकोण मेरे सामने आया और वह था युवाओं का विरोध। वह यह कि जब शेष भारत आधुनिकीकरण की राह पर है, तो हमें ही क्यों संग्रहालय की वस्तु बनाकर रखा जा रहा है। हां, तो क्या हम यही बात समृद्ध राष्ट्रों से नहीं कह सकते?

गत सदी के चतुर्थांश से हम एक ऐसे अध्यवसाय में जुटे हैं जो इतिहास में अभूतपूर्व है, अर्थात् समूची मानव जाति के छठे हिस्से की बुनियादी जरूरतें जुटाना और वह भी केवल एक या दो पीढ़ियों के जीवन काल में ही। जब हमने यह अध्यवसाय आरम्भ किया तो, हमारे शुरू के आयोजनकर्ताओं के सामने उनसे कहीं अधिक कठिनाइयां थीं। न तो ऐसे आंकड़े थे और न किताबें ही जो आयोजन में सहायक हो सकतीं। अन्य देशों के अनुभवों से भी कोई मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो सकता था जिसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी परिस्थितियां बिल्कुल जुदा थीं। जिस ढंग से हम आयोजन की कोशिश कर रहे थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहीं उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन हम इंतजार भी नहीं कर सकते थे। अपने लोगों की स्थिति को सुधारना ही परम आवश्यक था। योजनाएं बनाना और क्रियात्मक रूप देना, बेहतर आयोजन के लिए आवश्यक आंकड़ों का सुधार करना और बेहतर क्रियात्मक कदम उठाना, ये सबकी सब चीजें एक साथ निरन्तर चल रही थीं। हमारा औद्योगीकरण प्राय: उस ढंग से चला जिस ढंग से अधिक उन्नत देश पहले चल चुके थे। छठे दशक में और खासकर पिछले पांच वर्षों में हमें चकित कर देने वाली बहुतेरी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसमें से कुछ हमारी अपनी गलतियों के कारण पैदा हुईं, पर अधिकांश ऐसी थीं जो इस प्रक्रिया में तथा वर्तमान मनःस्थितियों में अवश्यंभावी हैं। यह एहसास बढ़ता जा रहा है कि हमें अपनी

प्राथमिकताओं का फिर से निर्धारण करना चाहिए और अपने उस एक आयामी आदर्श या मण्डल को छोड़ देना चाहिए जिसके अधीन विकास को कुछ सीमित मापदंडों से मापा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि मनुष्य की बजाय वस्तुओं या पदार्थों का ऊंचा स्थान है और हमारे आनंद की बजाय हमारी आवश्यकताओं को ही बढ़ाया गया है। हमें जीवन के बारे में व्यापक और समग्र दृष्टि रखनी चाहिए जो मनुष्य को जड़ वस्तु न मानकर अनेक पक्षों से युक्त व्यक्तित्व वाला मनुष्य समझे। इन समस्याओं का हल साधारण महत्त्व के किसी अलग-थलग तरीके से नहीं निकल सकता, बल्कि इसे विकास की प्रकट प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग होना चाहिए।

जनसंख्या या पर्यावरण के प्रदूषण के सवालों को जिन अतिवादी रूपों में सामने लाया जाता है, उनमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को प्राय: नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत सरकार उन थोड़ी सी सरकारों में से एक है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी तौर पर चलाया है और यह कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ा है। हमारा विश्वास है कि आयोजित परिवारों से अधिक स्वस्थ और जाग्रत समाज का निर्माण होगा। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का कोई भी कार्यक्रम शिक्षा और जीवन स्तर में दिखाई देने वाले कुछ सुधार के बिना प्रभावी नहीं हो सकता। हमारे अपने कार्यक्रम शहरी या कस्बाई इलाकों में सफल हुए हैं। बहुत गरीब लोगों के लिए तो हर बच्चा कमाने वाला और मदद करने वाला होता है। हम नये-नये तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं और परिवार नियोजन कार्यक्रम के साथ प्रसूति एवं शिशु कल्याण, पोषाहार और सामान्य विकास के कार्यक्रमों को मिलाया जा रहा है।

दुनिया की सारी समस्याओं का दोष बढ़ती हुई आबादी के मत्थे मढ़ना एक प्रकार से अति सरलीकरण है। कुछ देश, जो दुनिया की आबादी के बहुत छोटे हिस्से हैं, दुनिया के खनिजों, खनिज तेल और इसी प्रकार के अन्य पदार्थों के बहुतायत भाग का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां तक प्राकृतिक साधनों के खत्म होने या पर्यावरण के प्रदूषण का सवाल है, समृद्ध देश में पैदा होने वाला और वहीं के जीवन स्तर पर जीने वाला एक व्यक्ति अपने आज के भौतिक जीवन स्तर पर जीने वाले बहुत से एशियाई, अफ्रीकी या लैटिन अमरीकी व्यक्तियों के बराबर है।

वास्तविक झगड़ा संरक्षण और विकास के बीच नहीं है, बल्कि पर्यावरण और कुशलता के नाम पर मनुष्य और पृथ्वी के बेसूझ शोषण या दोहन के बीच है। इतिहासकारों का कहना है कि आधुनिक युग का आरम्भ व्यक्ति की स्वतंत्रता की इच्छा से हुआ है और व्यक्ति ने यह सोचना शुरू कर दिया कि उसके पास तो केवल अधिकार ही अधिकार है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आदमी आगे बढ़ गया, उसी का सब आदर और प्रशंसा करने लगे। कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि इसके लिए उसने कौन-से तरीके इस्तेमाल किये या उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी। औद्योगिक सभ्यता ने एक कुशल व्यक्ति की संकल्पना प्रदान की है। वह कौन है? जिसकी सारी शक्तियां इस पर केन्द्रित हैं कि वह कितने कम समय में और कम जनशक्ति से कितना अधिक उत्पादन कर सकता है। वे वर्ग या व्यक्ति जो प्रतियोगिता करने की कम क्षमता रखते हैं या कम कुशल हैं, घटिया समझे जाते हैं, उदाहरण के लिए पुरानी सभ्यताएं, काले और भूरे लोग, स्त्रियां और विशेष व्यवसाय। पुराने ढंग की अप्रचलित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और जिन वस्तुओं की वास्तविक आवश्यकता नहीं है, उसे ही वस्तुओं के निर्माण की योग्यता मानी जाती है और जिसे हम बाजार में रखते हैं तो उसे बेचा नहीं जा सकता। तो ऐसी योग्यता का मूल्य क्या होगा और ऐसे व्यवहार को हम लापरवाह कहना ही उचित समझेंगे।

आधुनिक युग के सभी 'वादों' चाहे सिद्धान्त रूप में वे निजी लाभ के सिद्धान्त को न मानते हों, की मान्यता है कि मनुष्य की प्रमुख प्रवृत्ति संग्रह ही है। निजी या सामूहिक लाभ की प्रवृति सर्वोपरि प्रतीत होती है। आज 'स्व' को सर्वोच्च स्थान देने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, वही सारे पर्यावरण सम्बन्धी संकट का मौलिक कारण है।

प्रदूषण कोई तकनीकी समस्या नहीं है। त्रुटि विज्ञान या टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि हमारी आज की दुनिया के मूल्यों में है जो दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा करते हैं और दूरगामी दृष्टि नहीं रखते हैं।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्त्वपूर्ण दिवस

2 फरवरी	विश्व नम भूमि दिवस
21 मार्च	विश्व वानिकी दिवस
22 मार्च	विश्व जल दिवस
18 अप्रैल	विश्व विरासत दिवस
22 अप्रैल	विश्व पृथ्वी दिवस
3 मई	विश्व ऊर्जा दिवस
5 जून	विश्व पर्यावरण दिवस
17 जून	विश्व मरुस्थल नियंत्रण दिवस
जुलाई-अगस्त (वर्षा पर निर्भर)	वन महोत्सव दिवस
11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस
16 सितम्बर	विश्व ओजोन दिवस
2 से 8 अक्टूबर	वन जीव सप्ताह
4 अक्टूबर	विश्व प्राणी कल्याण दिवस
6 अक्टूबर	विश्व हैबीटाट दिवस
3 दिसम्बर	राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस
14 दिसम्बर	ऊर्जा संरक्षण दिवस
29 दिसम्बर	विश्व जैव विविधता दिवस
श्रावण-कृष्ण अमावस्या	हरियाली अमावस्या
श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार	वन सोमवार

छायाचित्र : सविता चौहान

यह एक जबरदस्त गलतफहमी है कि पर्यावरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने का उद्देश्य युद्ध और गरीबी की समस्याओं की तरफ से ध्यान हटाना है। हमें दुनिया के निरावलम्बी बहुजन के सामने यह सिद्ध करना है कि पर्यावरण और संरक्षण उनके हितों के विरुद्ध नहीं, बल्कि उनके जीवन में इनसे खुशहाली आयेगी। उन्हें टेक्नोलॉजी से दूर रखने का अर्थ होगा ऊर्जा और ज्ञान के अपार संसाधनों से वंचित रखना। यह अब न तो उचित होगा और न ही स्वीकार्य।

विकासशील देशों की पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं वहां अत्यधिक औद्योगीकरण के बुरे प्रभावों के कारण नहीं, बल्कि अधूरे विकास के कारण हैं। समृद्ध देशों की दृष्टि में पर्यावरण सम्बन्धी विनाश का कारण, विकास हो सकता है, किन्तु हमारे लिए तो यह जीवनदायी वातावरण के सुधार या रोटी, पानी, सफाई और मकान जुटाने, मरुस्थलों को हरा-भरा बनाने और पर्वतों को मनुष्य के रहने योग्य बनाने का साधन है। अनुसंधान और समर्पित लोगों के शांत श्रम ने हमको ऐसी अंतर दृष्टि प्रदान कर दी है जो अपनी भावी योजनाएं बनाने में हमें महत्त्वपूर्ण योग दे सकती है। बहरहाल हम देखते हैं कि मनुष्य भौतिक वस्तुओं के उपभोग के पीछे चाहे जितना दौड़े, पर वे उसे पूर्ण संतोष नहीं दे सकतीं। अत: उच्च जीवन स्तर इस ढंग से प्राप्त किया जाना चाहिए कि लोग अपनी विरासत से कट न जायें और प्रकृति अपना सौन्दर्य, ताजगी और निर्मलता न खो बैठे जो हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है।

यह स्पष्ट है कि पर्यावरण सम्बन्धी जो संकट सारे संसार के सामने मुंह बाएं खड़ा है, वह हमारी इस पृथ्वी के भविष्य को बहुत कुछ बदल डालेगा। हममें से कोई भी चाहे, वह छोटा हो या बड़ा, सबल हो या दुर्बल या जिस हालात में ही, इससे अप्रभावित नहीं रह पाएगा। परिवर्तन की प्रक्रिया वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय नीतियों को चुनौती दे रही है। आज 'एक पृथ्वी' और 'एक पर्यावरण' के प्रति जो जागृति दिखाई दे रही है, क्या वह हमें 'एक मानवता' की कल्पना की ओर ले जाएगी। क्या पर्यावरण के खर्च को अधिक समानता के आधार पर आपस में बांटा जाएगा और क्या कम विकसित संसार तेजी से तरक्की करेगा, इसके प्रति अन्तरराष्ट्रीय तौर से रुचि और बढ़ेगी या कि यह सिर्फ अपनी-अपनी आत्मनिर्भरता पर आधारित संकीर्ण विचार तक ही सीमित रह जाएगा?

जीवन एक है, विश्व एक है और ये सब सवाल एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, अज्ञान और रोग, हमारे पर्यावरण का प्रदूषण, परमाणु हथियारों की जमाखोरी तथा विनाश के जैविक और रासायनिक साधन सबके सब एक दुश्चक्र के ही हिस्से हैं। इनमें से प्रत्येक महत्त्वपूर्ण और फौरन ध्यान देने योग्य है, लेकिन इनमें से हरेक को एक-एक और अलग-अलग करके हल करने की कोशिश व्यर्थ श्रम ही होगी।

बड़े समाजों को अपने रहन-सहन का तौर-तरीका बदलना आसान नहीं होगा। उन्हें इसके लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता और न सरकार की तरफ से ही किसी तरह की कार्रवाई इसके लिए काफी हो

सकती है। लोगों को मानसिक रूप में तैयार किया जा सकता है और उन्हें बेहतर विकल्पों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

मेरा यह अनुभव है कि जो लोग प्रकृति के विपरीत चलते हैं, वे मानव-द्वेषी होते हैं और अपने आप से भी असंतुष्ट रहते हैं। आधुनिक मानव को प्रकृति और जीवन के साथ फिर से अपना अटूट नाता तोड़ना चाहिए। उसे विकासमान वस्तुओं की शक्ति को फिर से पहचानना और उनका आह्वान करने के लिए सीखना होगा, जैसा कि सदियों पहले प्राचीन भारतीयों ने चरितार्थ किया था, अर्थात् मनुष्य, धरती और वायुमंडल से उतना ही लेने का अधिकारी है, जितना वह उन्हें लौटा कर दे सके। उदाहरण के तौर पर अथर्ववेद की एक ऋचा को मैं पेश कर रही हूं जिसमें ऋषियों ने कहा है कि:-

हो शीघ्र परिपूर्ण, जो तेरे गर्भ से पाऊं।
पर न तेरे मर्मस्थल को दुख पहुंचाऊं।

इस प्रकार मनुष्य स्वयं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सक्रिय, सहृदय और सचेत बन सकता है।●

राजस्थान के संरक्षित वन क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य)

क्र.सं.	नाम उद्यान/अभयारण्य	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
1.	मरु राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य	बाड़मेर एवं जैसलमेर	3162.00
2.	तालछापर अभयारण्य	चूरू	7.19
3.	केवला देव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73
4.	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान	सवाई माधोपुर	392.50
5.	सरिस्का अभयारण्य	अलवर	557.50
6.	माउन्ट आबू अभयारण्य	सिरोही	112.98
7.	कुम्भलगढ़ अभयारण्य	राजसमंद, उदयपुर, पाली	608.57
8.	सीतामाता अभयारण्य	चित्तौड़गढ़, उदयपुर	422.94
9.	फुलवारी की नाल अभयारण्य	उदयपुर	492.68
10.	जयसमंद अभयारण्य	उदयपुर	52.34
11.	टाटगढ़ रावली अभयारण्य	अजमेर, पाली, राजसमंद	463.03
12.	रामगढ़ विषधारी अभयारण्य	बून्दी	252.79
13.	जवाहर सागर अभयारण्य	कोटा	153.41
14.	भैंसरोडगढ़ अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	229.14
15.	सवाई मानसिंह अभयारण्य	सवाई माधोपुर	127.76
16.	कैलादेवी अभयारण्य	सवाई माधोपुर, करौली	676.40
17.	बांध बरैठा अभयारण्य	भरतपुर	199.50
18.	नाहरगढ़ अभयारण्य	जयपुर	50.00
19.	जमुवा रामगढ़ अभयारण्य	जयपुर	300.00
20.	सज्जनगढ़ अभयारण्य	उदयपुर	5.19
21.	बस्सी अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	138.69
22.	वन विहार अभयारण्य	धौलपुर	25.6
23.	रामसागर अभयारण्य	धौलपुर	34.4
24.	केसरबाग अभयारण्य	धौलपुर	14.76
25.	दर्रा अभयारण्य	कोटा, झालावाड़	274.41
26.	शेरगढ़ अभयारण्य	बारां	98.70
27.	राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य	कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर	280.00

राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण

आलेख : डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
छाया : पुष्प दीप पाण्डेय

पर्यावरण शब्द के गहरे निहितार्थ हैं। असल में यह शब्द दो शब्दों का मेल है। 'परि' और 'आवरण' यानी जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वह है पर्यावरण। यह उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारिस्थितिकीय आबादी को प्रभावित करता है। ऑक्सफोर्ड एडवान्स्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश के अनुसार इनवायरमेंट का अर्थ है - आसपास की वस्तु स्थिति, परिस्थितियां अथवा प्रभाव।

जो समाज अपने पर्यावरण के साथ शांति स्थापित नहीं कर पाता वह कभी शांति से नहीं रह सकता। आज के युग में हर व्यक्ति, समाज और देश तीव्र आर्थिक विकास की लालसा रखता है। स्वाभाविक है कि राजस्थान इसका अपवाद नहीं हो सकता। फिर भी, आज मानवता के समक्ष सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं में से कुछ का सामना करना पड़ रहा है: जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता का विनाश, शहरीकरण, और हवा, पानी और पर्यावरण का प्रदूषण। इन भारी-भरकम समस्याओं का समाधान केवल सरकार के भरोसे नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक को खोजाना होगा। जहाँ एक ओर सरकार का उत्तरदायित्व इन समस्याओं का हल निकालने हेतु मजबूत पर्यावरणीय सेवाएं, नियामक और न्यायिक व्यवस्था स्थापित करना है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है कि अपने वायु, जल और पर्यावरण संरक्षण में वांछित योगदान तत्परतापूर्वक करें। नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह मानव के जीवित रहने की मूल आवश्यकता है।

अर्थव्यवस्था समाज और पर्यावरण यह तीनों आपस में इस तरह से मिले हुए हैं कि जब तक हम इन तीनों को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ते तब तक सतत विकास की अवधारणा बेमानी है। सतत विकास के लिए एक ऐसा समाज चाहिए जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी करे जिसके कारण वायु, जल, मिट्टी तथा ऋतुओं का प्रदूषण ना हो।

राजस्थान में जलवायुवीय परिस्थितियां अत्यंत चुनौतीपूर्ण हैं। एक तरफ वर्षा जल की कमी है। दूसरी तरफ जो वर्षा होती है उसे संचित कर जाने पर भी भारी गर्मी के कारण जल का वाष्पीकरण बड़ी तेजी से होता है। राज्य का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है और यहां की जलवायुवीय परिस्थितियों में भिन्नता के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र भी भिन्न है। राजस्थान में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो देश के अन्य भागों में नहीं मिलती।

विकट जलवायुवीय परिस्थितियों ने राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की उन अद्भुत परंपराओं को जन्म दिया जिन पर देश गर्व करता है। उदाहरण के लिये जल संरक्षण को ही लें तो राजस्थान में वर्षा जल को

एकत्र कर विभिन्न प्रकार की जल संग्रह संरचनाओं में संग्रह करने का कम से कम 4500 वर्ष पुराना इतिहास है। मानव समाज द्वारा निर्मित झीलें, सागर, तलाई, तालाब, कुएं बावड़ी आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो राजस्थान में प्रायः प्रत्येक गांव में मिल जायेंगे।

एक रोचक बात यह है कि पर्यावरण का प्रदूषण प्रत्येक नागरिक द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। तब स्वाभाविक है कि इस समस्या का समाधान भी प्रत्येक नागरिक के स्तर पर ही संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए पानी को ही लेते हैं। पानी सबको पीने के लिए चाहिये। रोजमर्रा के जीवनयापन में पानी का ऐसा योगदान है जिसके बिना जीवनयापन संभव नहीं है। यदि हम स्वयं के स्तर पर यह सोचें कि प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि विश्राम में जाने के समय तक पानी का आप किस प्रकार उपयोग करते हैं और किस प्रकार उसे प्रदूषित कर छोड़ देते हैं, तो आपको यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर खड़ी होती है। स्वाभाविक है कि इसका निदान भी व्यक्तिगत स्तर पर ही संभव है।

पानी की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हममें से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रदूषित किए गए जल को प्रतिदिन स्थानीय निकायों द्वारा साफ किया जाकर पुनर्चक्रण के माध्यम से पुनर्प्रयोज्य बनाना आवश्यक है। यह व्यवस्था देश के प्रत्येक शहर और गांव में स्थापित की जानी आवश्यक है। स्वाभाविक है कि यदि हमने जल को प्रदूषित किया है तो उसको साफ करने की कीमत भी हमें अदा करनी होगी। इसी प्रकार उद्योगों में जल का प्रयोग होता है अतः उन्हें भी पुनर्चक्रण की व्यवस्था के लिए उचित और पर्याप्त क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र स्थापित करने होंगे। इन व्यवस्थाओं की स्थापना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि राजस्थान में बारिश कम होने के बावजूद भी यदि प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले जल को पुनर्चक्रण कर पुनः उपयोग हेतु लोगों और औद्योगिक गतिविधियों में प्रयोग किया जाने लगता है तो उपलब्ध जल का बार-बार उपयोग कर हम अपना जीवन स्तर बेहतर बना सकते हैं।

जहां तक वायु प्रदूषण का प्रश्न है, यह भी प्रत्येक नागरिक के स्तर पर ही होता है। कल्पना कीजिये कि शहरों में जिस समय नावेल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा था उस समय भारत का शायद ही कोई शहर ऐसा रहा हो जहां वायु की गुणवत्ता भारत के परिवेशी वायु

राजस्थान राज्य जैव-विविधता बोर्ड

राजस्थान राज्य जैव-विविधता बोर्ड का गठन जैव-विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 14 सितम्बर, 2010 को किया गया। यह बोर्ड राज्य की जैव-विविधता के संरक्षण एवं जैव-विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों की नियामक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

सांस लेने के लिए हवा सबको चाहिए। पीने के लिए पानी भी सबको चाहिए। रहने के लिए छत भी सबको चाहिए। अनाज उगाने के लिये मिट्टी सबको चाहिये, और अंत में मिट्टी में मिल जाने के लिये मिट्टी सबको चाहिये। पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा विषय है जिसमें विश्वभर में बातचीत तो खूब होती आई है किंतु जहां तक क्रियान्वयन का प्रश्न है, अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

धंधा करने की सुगमता आवश्यक है, किंतु हवा, पानी और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ समझौता करके नहीं। समकालीन विश्व का ऐसा कोई भी कदम मानवता के लिए आत्मघाती होगा। कारण साफ है कि अर्थव्यवस्था कितनी भी बेहतर हो जाए, अगर हवा, पानी और पर्यावरण सुरक्षित नहीं बचे तो आर्थिक विकास का आनंद लेने के लिये समाज ही नहीं बचेगा। आशा है कि आने वाला समय पर्यावरण संरक्षण का समय होगा।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा जल की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 सितम्बर, 1975 को किया गया। वर्तमान में पर्यावरण संबंधी अधिनियमों/ नियमों को लागू करने का कार्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया जाता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रशासनिक नियंत्रण पर्यावरण विभाग के अधीन है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का पुनर्गठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2016 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की विभिन्न उप धाराओं के अन्तर्गत तीन वर्ष तक के लिए किया गया है।

गुणवत्ता मानकों के अंदर ना रही हो। लॉकडाउन के समय वाहनों की आवाजाही में हुई कमी और उद्योग धंधों से निकलने वाले प्रदूषण में गंभीर कमी आई। देश की कई नदियों का जल भी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना प्रारंभ हो गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे व्यक्तिगत वाहन, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था और उद्योग धंधे परिवेशी वायु में प्रदूषणकारी तत्त्वों को नहीं छोड़ रहे थे या प्रदूषित जल को सीधे ही पर्यावरण में छोड़ने वाले उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, उस समय पर्यावरण प्रदूषण का स्तर अपने आप नीचे आ चुका था। इस विषय में आंकड़े तो बहुत हैं किन्तु उनकी चर्चा कभी बाद में होगी। आइये, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयासों पर एक दृष्टिपात करते हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम

- राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वर्ष 2019 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गयी है।
- राज्य में झीलों के संरक्षण एवं प्रबंध को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया है।
- राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न विभागों को समय-समय पर तकनीकी सहायता हेतु मुख्य सचिव पर्यावरण प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इस प्रकोष्ठ में 5 पर्यावरण इंटर्न्स को नियोजित किया गया है।
- राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला पर्यावरण योजना तथा राज्य के लिए राज्य पर्यावरण योजना विकसित किया जाना प्रक्रियाधीन है।
- राज्य में चिह्नित किए गए 6 वेटलैंड्स की वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन कर वेटलैंड इंडेक्स विकसित किया गया। यह राज्य की झीलों के प्रबंध के लिए उपयोगी है।
- राज्य में कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर तथा स्थानीय निकायों के अधिकारियों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कराई गई।
- प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का अध्ययन तथा अनुकूलन हेतु विभिन्न विभागों के सामंजस्य से क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान निर्माणाधीन है।

- राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा राज्य में लगभग 10,000 जैव विविधता प्रबंधन कमेटियों का गठन किया गया है।
- राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी द्वारा त्वरित गति से अब तक 1200 से अधिक पर्यावरणीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।
- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 70,000 से अधिक विभिन्न उद्योगों व इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निरंतर मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण किया जा रहा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने हाल ही में एक मुहिम चलाकर पर्यावरण संरक्षण में नियामकीय प्रक्रिया को सरलीकृत कर पर्यावरण संरक्षण तथा औद्योगिक विकास को गति देने में ठोस योगदान दिया है।
- राज्य में प्रमाण आधारित पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विश्व की विभिन्न शोध पत्रिकाओं में राजस्थान के पर्यावरण पर आज तक प्रकाशित प्रत्येक शोधपत्र का डेटाबेस तैयार किया गया है। इस डेटाबेस में 65,000 से अधिक शोधपत्र सम्मिलित हैं।

राज्य में विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन के लिए निरंतर कदम उठाए जाते रहे हैं। इन्हीं के अन्तर्गत प्रदेश में झीलों के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष योजनाओं के अन्तर्गत कार्य किया गया है। यथा-

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन एल सी पी)

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राज्य की 5 झीलों, यथा फतेहसागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर सरोवर एवं नक्की झीलों में कार्य करवाया गया । इन सभी झीलों के संरक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है। इस केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में भारत व राज्य सरकार के द्वारा 60:40 प्रतिशत का अंश दिया जा रहा है।

राज्य स्तरीय राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार

राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था/नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका को ''राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार'' प्रदान किया जाता है।

सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जयपुर एवं जोधपुर में सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये गये थे। तत्पश्चात् राज्य के 7 शहरों (जयपुर में 2 एवं अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, कोटा, पाली तथा उदयपुर में एक-एक स्थान पर) में नये केन्द्रों की स्थापना की गई। इन स्थानों पर वायु गुणवत्ता की जांच हेतु सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, विविक्त पदार्थ- ओजोन, कार्बन मोनो ऑक्साइड, अमोनिया एवं बेन्जीन के अतिरिक्त वायु मण्डल में वायु मण्डलीय दबाव, सापेक्षिक आर्द्रता, वायु गति, तापमान, सोलर रेडिएशन, वायु की दिशा, ऊर्ध्व वायु गति इत्यादि की सतत् जांच की जाती है एवं परिणामों का प्रबोधन केन्द्रों पर स्थापित सूचना पट्टिका पर सतत् प्रदर्शन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीयकृत सूचना पट्टिका जयपुर में रामबाग सर्किल पर भी स्थापित की गई है। इस पट्टिका पर उपरोक्त सभी स्थानों के वायु गुणवत्ता के परिणाम प्रदर्शित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परिणामों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को भी सतत् प्रेषित किया जाता है तथा एयर क्वालिटी इण्डेक्स जारी किया जाता है।●

लेखक भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं।
शासन सचिव, पर्यावरण

पर्यावरण पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन

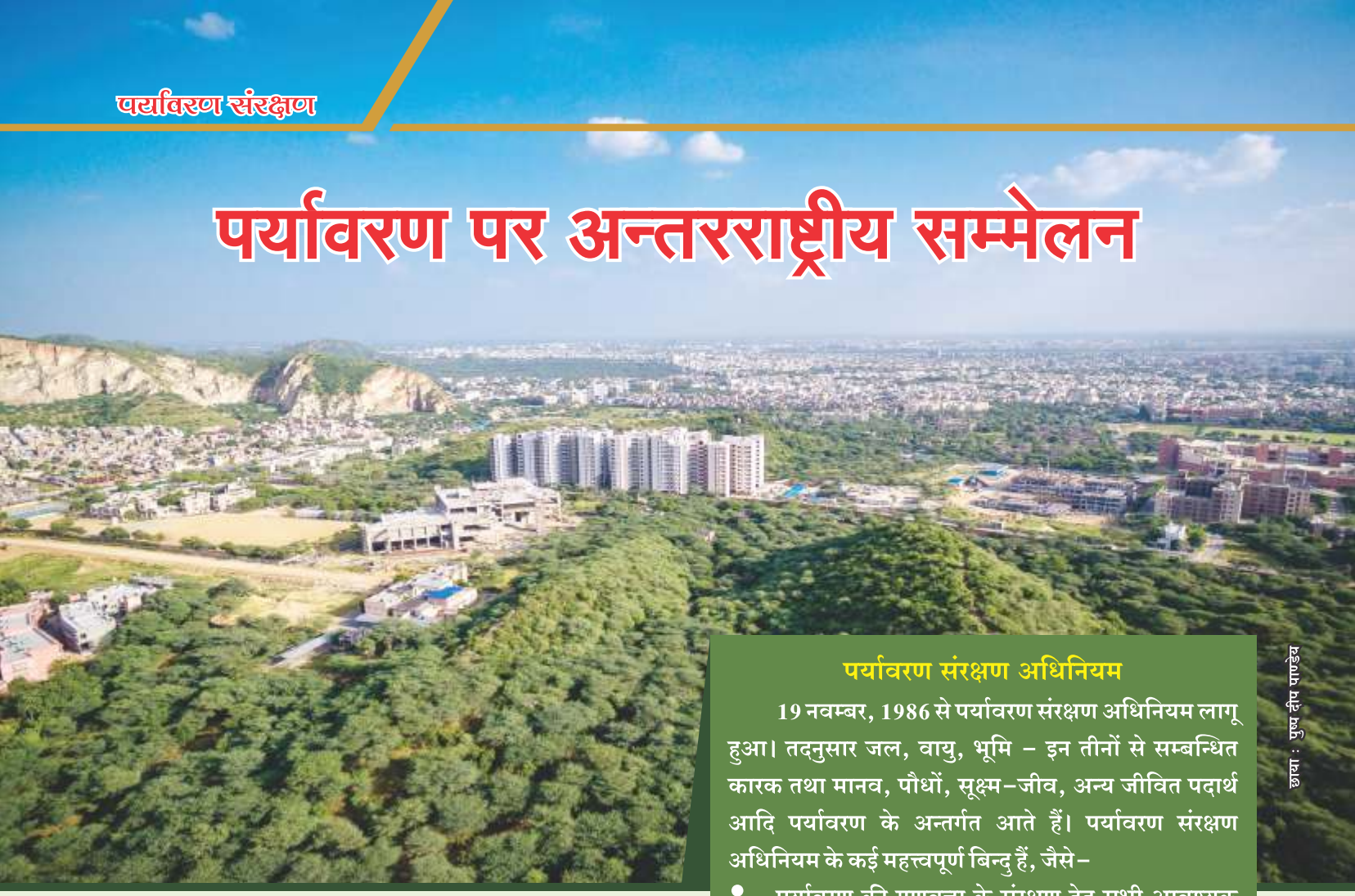

छाया : पुष्प दीप पाण्डेय

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम

19 नवम्बर, 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तदनुसार जल, वायु, भूमि – इन तीनों से सम्बन्धित कारक तथा मानव, पौधों, सूक्ष्म–जीव, अन्य जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अन्तर्गत आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के कई महत्त्वपूर्ण बिन्दु हैं, जैसे–

- पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना।
- पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।
- पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना।
- पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य–सरकारों, अधिकारियों और सम्बन्धितों के काम में समन्वय स्थापित करना।
- ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन करना, जहाँ किसी भी उद्योग की स्थापना अथवा औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित न की जा सकें। उक्त–अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिये कठोर दंड का प्रावधान है।

पर्यावरण प्रदूषण के सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय चिन्ता 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में बढ़ गई थी। 30 जुलाई, 1968 को मानव पर्यावरण की समस्या पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ने प्रस्ताव संख्या 1946 के तहत एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य सम्बन्धों में महती परिवर्तन हुआ है। सामान्य सभा ने जल प्रदूषण, क्षरण तथा भूमि के विनिष्टीकरण के अन्य प्रारूप, ध्वनि, कूड़ा-करकट तथा कीटनाशकों के गौण प्रभावों पर भी विचार किया। मानव पर्यावरण की कुछ समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी अन्य एजेंसियाँ यथा - अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तरराष्ट्रीय परमाणु अभिकरण आदि कार्य कर रहे हैं।

मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन

इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था। पर्यावरण के संरक्षण के सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का यह पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में 119 देशों ने पहली बार 'एक ही पृथ्वी' का सिद्धान्त स्वीकार किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ। सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण का संरक्षण करने तथा उसमें सुधार करने के लिये राज्यों तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं को दिशा-निर्देश दिये गए। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इसी सम्मेलन में की गई।

सन् 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का 'पृथ्वी सम्मेलन' आयोजित किया गया। इसके पश्चात् सन् 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिये अनेक उपाय सुझाये गए। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल आदि ग्रहों की तरह धरती का जीवन-चक्र भी एक दिन समाप्त हो जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण एवं आयुर्वेद

डॉ. विजय प्रकाश गौतम

जल-वायु, मृदा, पादप, प्राणी आदि। अर्थात् जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक और जैविक परिस्थितियों का योग पर्यावरण है। वेद हमारे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक ग्रंथ हैं। वेदों में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक ऋचाएं हैं। पर्यावरण तत्त्वों में समन्वय होना भी सुख-शांति का आधार हैं। ऋग्वेद में आया है- शीघ्र चलने वाली वायु हम लोगों के लिए सब ओर से सुखपूर्वक होकर बहे। विशेष दीप्ति वाली ऊष्माएं हमारा कल्याण करें। अथर्ववेद में आया है कि, समस्त दिशाएं हमें मित्रवत सुख दें। इसी तरह यजुर्वेद में औषधियों को हमारे लिए शांतिकारक किए जाने की प्रार्थना के साथ ही अभ्यर्थना है- संसार में वायु मधुर होकर चले, नदियां मधुर होकर बहे, औषधियां मधुर हों, रात व प्रभात मधुर हो।

पर्यावरण के संतुलन में वृक्षों के महान् योगदान को स्वीकार करते हुए मत्स्य पुराण में कहा है-दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष का महत्त्व होता है। वेदों में पर्यावरण के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए अध्यात्म और देवी-देवताओं से जोड़ दिया है ताकि हम इनके संरक्षण में सदैव प्रयत्नशील रहें। भगवान् सूर्य, पृथ्वीमाता, वायुदेवता की स्तुति की है। चरक-संहिता में पानी की शुद्धता व उसके औषधीय महत्त्व पर जोर दिया है। पेड़ पौधों को भी मनुष्य के जीवन में अपरिहार्य माना गया है।

पर्यावरण और औषध

प्राचीन कृषिगण औषधि के पर्यावरणीय महत्त्व से भली भांति परिचित थे। वह औषधियों को प्रदूषण मानते थे। पर्यावरण पर औषधियों के प्रभाव को बताते हुए कहा गया है कि जहाँ भी प्रदूषण होता है वह उसे बाहर निकाल देती है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि पृथ्वी के जिस भाग में अधिक पौधे होते हैं वह स्थान प्राणियों के लिए अतिशय जीवनोपयोगी होता हैं। महर्षि पुनर्वसु ने स्नूति, अर्क, करंज, संहिजन, पठानीलोद्र को पर्यावरण शुद्ध करने वाली औषधियां बताया हैं। अथर्ववेद में अरवक्ष, शमी, वरणवर्ती, अजश्रृंगी, अपामार्ग, उदुंवर, दर्भ, जड़िगड़, शतावरी, गुग्गुल, करीर, पलास, इन 12 औषधीय पौधों को प्रदूषण नाशक कहा है। पशु और पर्यावरण - पशुओं की उपस्थिति से वायु और भूमि में विद्यमान दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। पशुओं द्वारा प्रदत्त दूध, घी, मलमूत्र भी रोग एवं विषनाशक है।

हिरण, बैल, घोड़े आदि को भी प्रदूषण नाशक माना गया है। इनकी हत्या करने वाले को भी दंड का प्रावधान था। पर्यावरण और पर्वत-पर्वतों को भी पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण भाग माना गया है। यह औषधि, जल और विभिन्न रत्नों के केन्द्र होने के कारण पर्वत की उपयोगिता है।

विषाक्त प्रदूषित वायु से बचने के लिए प्रतिविष के रूप में लाक्षा, हरिद्रा, पतीस, हरीतकी, मोधा, हरेणुका, इलायची, दालचीनी, तगर, कूठ, प्रियंगु आदि द्रव्यों को अग्नि में जलाकर वायु प्रदूषण को दूर करने का विधान हैं। 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में 5 मिनट में 16 आहूतियां दैनिक देने से वायु प्रदूषण दूर हो जाता है।

आधुनिक पर्यावरणविदों ने अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा है। प्रदूषणों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सुगंधित पदार्थों को अग्नि में होम करने व मौन रहने को श्रेष्ठ उपाय बताया हैं। ऋग्वेद के अनुसार 'जल अमृतमय हैं', 'जल महा औषध है', 'जल पा संशोधक है' कहकर जल का पर्यावरणीय महत्त्व प्रतिपादित किया है। सूर्य एवं वायु प्रदूषित जल को शुद्ध करते हैं। आयुर्वेद में भी धाराजल, समुद्रजल, तोषरजल, हिमजल, आनूपजल, जाँगलजल, साधारण जल, नादेय जल का निरूपण कर उनके गुणों को प्रदर्शित किया है।

छायाचित्र : सविता चौहान

लोक समाज में प्रकृति का आदर

पंकज चतुर्वेदी

हमारे पूर्वजों ने चंद्रमा हो या सूर्य, धरती हो या सर्प, हाथी हो या बैल , वृक्ष हो या पुष्प, नदी हो या समुद्र; जिससे उन्होंने कुछ भी पाया, सभी को आदर दिया, सम्मान दिया, पूजा। भले ही कथित आधुनिक समाज उनकी इस आस्था का मखौल उड़ाए लेकिन उनकी मूल भावना थी कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना व उसके हर रूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समाज में जागरूकता फैलाना। इसमें पूजा, पर्व, गीत, मान्यताएं, मिथक आदि सभी कुछ का सहारा लिया गया। यदि अतीत को खंगालें तो अठारहवीं सदी के अंत तक दुनिया में ना तो पानी की कमी थी और ना ही सांस लेने को साफ हवा की किल्लत। यूरोप व इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने भारत में सबसे पहले हथकरघे व हाथ से बने कपड़े को अपने आसुरी आगोश में लिया और उसके बाद मशीनी दानवों ने ऊर्जा की मांग बढ़ाई। साल के अधिकतर महीने ठंड व बर्फ में बिताने वाले कथित विकसित देशों ने मशीनों की ऊर्जा की आपूर्ति की पूर्ति के लिए भारत के जंगलों की लकड़ी और कोयला खदानों व अरब के तेल के कुओं का रुख किया। । तेल की तकनीकी उतनी विकसित नहीं थी लेकिन लकड़ी व कोयला को सीधे जला कर ही इंजन को चलाया जा सकता था। और तभी से प्रकृति का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि पहले जिस विकास पर लोग सफलता के गीत गाते थे, आज उसी से उपजे पर्यावरणीय संकट पर शोक-गान बज रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति इंसान की जरुरतें तो पूरी कर सकती हैं लेकिन लालच को नहीं।

भारतीय जनजातियों का दर्शन पर्यावरण के मूल तत्त्वों - जल, अग्नि, आकाश, जंगल, पहाड़, नदी, मैदान, जीव-जंतु पर आधारित है। ये मूल रूप से प्रकृति के उपासक होते हैं। इनके असंख्य देवता हैं और सभी प्रकृति के अंग होते हैं। आदिवासी समुदाय धरती, जंगल, नदी-नाला-झरने आदि के निकट अपनी वेदी बनाकर प्रकृति का सम्मान करते रहे हैं। यदि सन् 2011 की जनगणना को आधार मानें तो हमारे देश की कुल आबादी के दसवें हिस्से से अधिक यानी 10145 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। कोई 600 जनजातियां भारत की वैविध्य संस्कृति की सहभागी हैं। भले ही इनके रूप-रंग, गीत-संगीत, मान्यताएं अलग-अलग हों लेकिन सभी में एक ही बात समान है कि वे प्रकृति का संरक्षण व उपासना करते हैं। इनमें से अधिकांश अभी भी आधुनिकता की आंधी से बेखबर नैसर्गिक वातावरण में रहते हैं, प्रकृति को सहेजते हैं और जल-जंगल-जमीन-जानवर-जन के नियोजित विकास व सहअस्तित्व के सिद्धांत का पालन करते हैं।

छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग आदिवासी परम्पराओं और मान्यताओं से सराबोर है। बस्तर में नीम, महुआ, बरगद, आम, पीपल,

नींबू, अमरूद, कुल्लू, मुनगा, केला, ताड़ी, सल्फी, गुलरबेल एवं कुल 16 प्रकार के पेड़ों को आराध्य माना जाता है व इनकी विधि-विधान से पूजा की जाती है। इसके अलावा सौ प्रकार से ज्यादा वृक्ष, 28 प्रकार की लताएं, 47 प्रकार की झाड़ियां, 9 प्रकार के बांस तथा फर्न को भी पूजा जाता है।

वनों को देवता तुल्य मानने वाला आदिवासी समुदाय वनों में निवास करना, वन प्रांतों में खेती, वनोपज संग्रहण को अपना गौरव मानते हैं। बीजा पंडुम एवं तीज-त्यौहारों में वन देवताओं की विधि-विधान से पूजा की जाती है। बस्तर के गांव-गांव में गुनिया-ओझा और बुजुर्ग अपनी अगली पीढ़ी को बताते हैं कि सती माता- बरगद, शीतला माता- पीपल, गुलर में मावली माता, आम व महुआ में साल, साज में भैरमदेव, साल साज, महुआ, आम में मां दुर्गा, मां सरक्का एवं मां दंतेश्वरी का वास महुआ एवं बरगद में होता है। नीम पेड़ को श्रेष्ठतम माना जाता है। असल में आदिवासी ना तो संचय करते हैं और ना ही आवश्यकता से अधिक की उम्मीद रखते हैं। तभी वे अपनी जरूरत का सारा सामान प्रकृति से तत्काल लेते हैं।

महुआ अकेले बस्तर ही नहीं मध्य भारत के सभी आदिवासियों का ईष्ट देव है। उनकी संस्कृति में महुए के वृक्ष का महत्त्व सबसे बढ़कर है। आदिवासी परम्परा में जन्म से लेकर मरण तक महुआ का उपयोग किया जाता है। बस्तर के आदिवासियों का दूसरा सबसे लोकप्रिय वृक्ष है - ताड़ प्रजाति के कारयोटा यूरेंस यानी सल्फी। इससे निकलने वाला सफेद पेय 'बस्तर-बियर' के नाम से मशहूर है। आदिवासी इसे '' पैसे का पेड़'' कहते हैं। बस्तर के आदिवासी सल्फी का पेड़, अपनी बेटियों को दहेज में देते रहे हैं।

राजस्थान के मीणा आदिवासियों में अपने एक आराध्य वृक्ष को धराड़ी मान लेते हैं और वे उसको न तो कभी काटते हैं और न ही उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। धराड़ी यानी धरा और आड़ी शब्दों

का संगम। धरा यानी धरती और आड़ी का अर्थ रक्षा करना। हर कबीले की कुल देवी या धराड़ी होती है। कहा जाता है कि मीणा आदिवासियों के पहले 5248 गौत्र हुआ करते थे और आज भी कोई 1200 गौत्र हैं। प्रत्येक गौत्र की एक धराड़ी। कई कुलों की एक धराड़ी भी हो सकती है। किसी की धराड़ी नीम तो किसी की आम। जैसे घुसिंगा गौत्र की धराड़ी गिरीजाड तो गुणावत की नीम। मंडावत लोग बेल को पूजते हैं। किसी का पील तो किसी का खेजड़ी।

बच्चों के जन्म के समय धराड़ी का पत्ता बच्चे के सिरहाने रखा जाता। विवाह भी धराड़ी वाले पेड़ के फेरे लेकर ही होता। हां, मृत्यु के समय अपनी धराड़ी की ही लकड़ी से दाह संस्कार का रिवाज इनमें होता है। हालांकि वे इसके लिए पेड़ नहीं काटते हैं। सूखे, गिर गई डाल को ये लोग ऐसे ही अवसर के लिए एकत्र कर रखते हैं। मीणा जनजाति स्वयं को सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन मानती है। हालांकि बदलते वक्त साथ मीणा आदिवासी भी धराड़ी को एक मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा मानने लगे हैं और अब उनके संस्कार में धराड़ी का काष्ठ प्रतीकस्वरूप ही

छायाचित्र : सविता चौहान

शामिल होता जा रहा है। इसका बड़ा कारण है कि मीणा जनजाति के बहुत से लोग बड़ी सरकारी नौकरियों में आए। फिर वे शहरी परिवेश में ढल गए और उनके गांव-कबीले कहीं पीछे छूट गए।

झारखंड व बस्तर और बंगाल के कुछ हिस्सों में आदिवासियों का पर्व सरहुल एक ऐसा अवसर है जब वे सामूहिक रूप से धरती को संरक्षित करने का संकल्प करते हैं। जब सर्दी के मौसम की विदाई के बाद जंगलों में पलाश फूल की लालिमा, कोयल की कूक मन को मोहती है, सरई फूल की खुशबू से जंगल का कोना-कोना महक उठता है, ऐसे ही मादक मौसम में आदिवासी सरहुल महापर्व मनाते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष की अमावस्या पर प्रकृति यानी सखुआ वृक्ष की पूजा कर नए साल का स्वागत किया जाता है। द्वितीया तिथि को सरहुल की पूजा की जाती है। इस पूजा में गांव को रोग से दूर रखने, जंगल व खेत में अच्छी पैदावार की कामना की जाती है। पाहन राजा इस मौसम में आए नये फल और सात प्रकार की तरकारी -जिसमें सहजन, कटहल, पुटकल, बड़हर, ककड़ी, कचनार, कोयनार की सब्जी और मीठी रोटी बनाते हैं। सबसे पहले धरती को मां के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद मांदर की थाप पर नाच-गाना और जुलूस निकलता है। तीसरे दिन फूलखोंसी की जाती है। सरहुल साक्षात् प्रकृति की पूजा है।

माड़िया आदिवासी मध्य भारत में सर्वाधिक प्राचीन यानी पांच हजार साल से अधिक पुरानी जनजाति है। उनके जीवन का मूल आधार खेती ही है। बाकी अपनी जरूरतों के लिए वे जंगल पर निर्भर होते हैं। इसमें औषधि, मांसाहार आदि शामिल हैं। चूंकि माड़िया धरती को अपनी मां मानते हैं अत: खेती करने के लिए वे हल नहीं चलाते। खेती की इस पद्धति को बेरवा पद्धति कहा जाता है। आदिवासी हर दो या तीन वर्षों में नया जंगल साफ़ करते और उसमें आग लगाकर नये खेत बना लेते हैं। यह खेत की जुताई नहीं करते। इनका मानना है कि धरती हमारी मां है, उस पर हल चलाना यानी कि मां के शरीर को घायल करना होगा। आधुनिक समाज सोच सकता है कि आदिवासी तो जंगल उजाड़ रहे हैं लेकिन ध्यान दें जिस स्थान को वे दो-तीन साल खेती कर छोड़ते हैं वहां अपने आप चारागाह विकसित हो जाता है जो उनके पालतु व जंगल के जानवरों के लिए जीवनदायी होता है। चूंकि आदिवासी किसी भी तरह की खाद या रसायन इस्तेमाल नहीं करते सो जल्द ही उस क्षेत्र में नए जंगल उग आते हैं। बगैर जुताई के खेती का प्रयोग जापान में बेहद सफल रहा है। भारत में बिना जुताई की खेती का चलन आदिवासी अंचलों में अभी भी देखा जा सकता है।

भले ही शहरी समाज के लिए सागौन 'ग्रीन गोल्ड' हो लेकिन माड़िया इस पेड़ को पसंद नहीं करते। उनकी मान्यता है कि सागौन के पत्ते खेती के लिये अशुभ होते हैं। हाल ही में हुये शोध में यह बात साबित हुई है कि सागौन के पत्तो से मिट्टी की उर्वरता में भारी कमी आती है।

लेपचा जनजाति हिमाच्छादित हिमालय में निवास करती है। हिम-रेगिस्तान कहलाने वाले इस अंचल में प्रकृति के सहारे अपना जीवन जीना लेपचाओं की आदिकालीन परंपरा है। यह एकमात्र ऐसी जनजाति है, जो पहाड़ों को अर्धमानव, येती के रूप में पूजते हैं। लेपचा की कहानियों में पर्यावरणीय ज्ञान कूट-कूट कर भरा है। इनमें जटिल सामाजिक मुद्दों का समाधान भी प्रकृति के तत्त्वों का उपयोग करके किया जाता है। इसी इलाके की जनजाति है, किराती। किराती का संस्कृत में अर्थ है- पहाड़ों पर रहने वाले। ये लोग प्रकृति को ही अपना धर्म मानते हैं। इनके यहां हर साल अप्रैल-मई महीने में उभौली (जिसे सकेला या सकेवा भी कहा जाता है) नाम से 14 दिन का पर्व मनाया जाता है चूंकि यह समय पहाड़ की मछलियों के गर्भधारण या अंडे देने का होता है, अत: इस पर्व की अवधि में वे मछली का शिकार नहीं करते।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू अंचल में जंगलों के संरक्षण की अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहां कुछ जंगलों को देव-वन कहा जाता है, वहां से लकड़ियों को काटना तो दूर, समाज के लोग वहां की पत्ती या गिरी हुई लकड़ी भी इस्तेमाल नहीं करते। इन जंगलों में पवित्रता का ख्याल रखा जाता है और लोग यहां शौच को भी नहीं जाते। फौजल

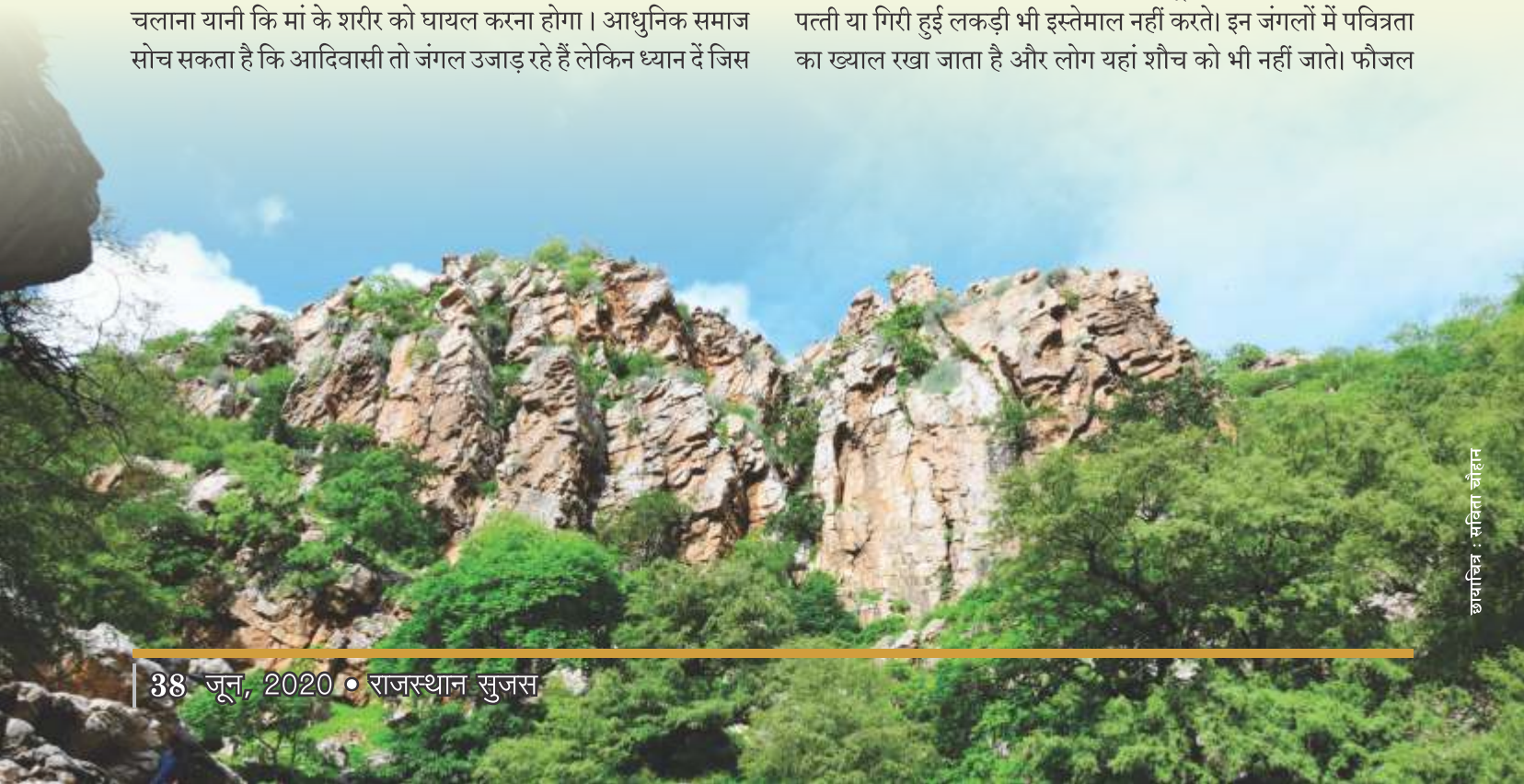

छायाचित्र : सविता चौहान

सहित आठ जंगल इस तरह की मान्यता से संरक्षित हैं। इनके नाम भी देवताओं के नाम पर हैं। लगवैली फॉरेस्ट बीट में फलाणी नारायण जंगल हैं तो पास ही में माता फुंगणी और पंचाली नारायण वन। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में बंजार वैली का कुछ हिस्सा, शांगण के साथ लगा हुआ जंगल, मणिकर्ण घाटी में पुलगा जंगल को देच-जंगल के रूप में जाना जाता है।

हिमाच्छादित पहाड़ों के विपरीत भीषण गर्मी वाले राजस्थान के लोक समाज में भी देव-वनों की परम्परा मिलती है। कोटा के वन तो राजस्थान के सबसे घने जंगलों में से एक है। बारां के छीपाबड़ोद के समीप देवनारायण की राड़, गराड़िया महादेव के पास का जंगल सहित कई दर्जनों जंगलों को समाज देव-वन के रूप में पूजते और संरक्षित करता है। यहां मान्यता है कि

''लीलो रूंख नीं घावणो, अनि घावै द्यो प्राण

सिर साटै जे रूंख रहे, तो भी सस्तो जाण।।

अर्थात्- हरा पेड़ यदि है तो उसे काटना नहीं चाहिए, भले ही इसके लिए प्राण चले जाएं। पेड़ के बदले यदि सिर कलम हो जाए तो इसे सस्ता मानना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राजस्थानी में रूंख का अर्थ है पेड़।

पेड़ व हिरण के लिए जान देने वाले बिश्नोई

बिश्नोई समाज की स्थापना संत जम्भेश्वर ने प्रकृति की रक्षा के लिए ही की थी। बिश्नोई सम्प्रदाय के संस्थापक जम्भोजी (1451-1536 ई.) ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम स्थापित किए थे। 20 और नौ के कारण ही यह समाज बिश्नोई कहलाया। संत जी के इन नियमों में अधिकांश पर्यावरण के साथ सहचारिता बनाये रखने पर बल देते हैं जैसे हरे-भरे वृक्षों को काटने तथा पशुवध की पाबंदी। उस समय राजस्थान के जो कल्पवृक्ष थे, वे खेजड़ी के पेड़ थे, जो रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी पनप जाते थे। उनसे केवल पशुओं को चारा ही नहीं मिलता था, उनकी फलियों से मनुष्यों को खाना भी मिलता था।

बिश्नोई समुदाय वन्यजीवों को अपने परिवार जैसा मानता है। इतना ही नहीं बिश्नोई समाज की महिलाएं तो हिरण के बच्चों को अपना बच्चा मानती हैं। यहां तक कि महिलाएं अपना दूध तक हिरण के बच्चों को पिलाती हैं। यहां के पुरुषों को जंगल के आसपास कोई लावारिस हिरण का बच्चा या हिरण दिखता है तो वह उसे घर पर लेकर आते हैं, बच्चों की तरह उसकी सेवा करते हैं। कहा जाता है कि पिछले 500 सालों से यह समुदाय इस परंपरा को निभाता आ रहा है। रेगिस्तान और अल्प वर्षा के लिए बदनाम राजस्थान में आज भी बिश्नोई लोगों के रिहायशी इलाकों में घने जंगल देखने को मिल जाएंगे।

इसी तरह उत्तरांचल के पहाड़ पर चिपको और कर्नाटक का अप्पिको आंदोलन हमारे लोक समाज के पर्यावरणीय संवेदनशीलता की बानगी हैं। ●

लेखक सुप्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ हैं।

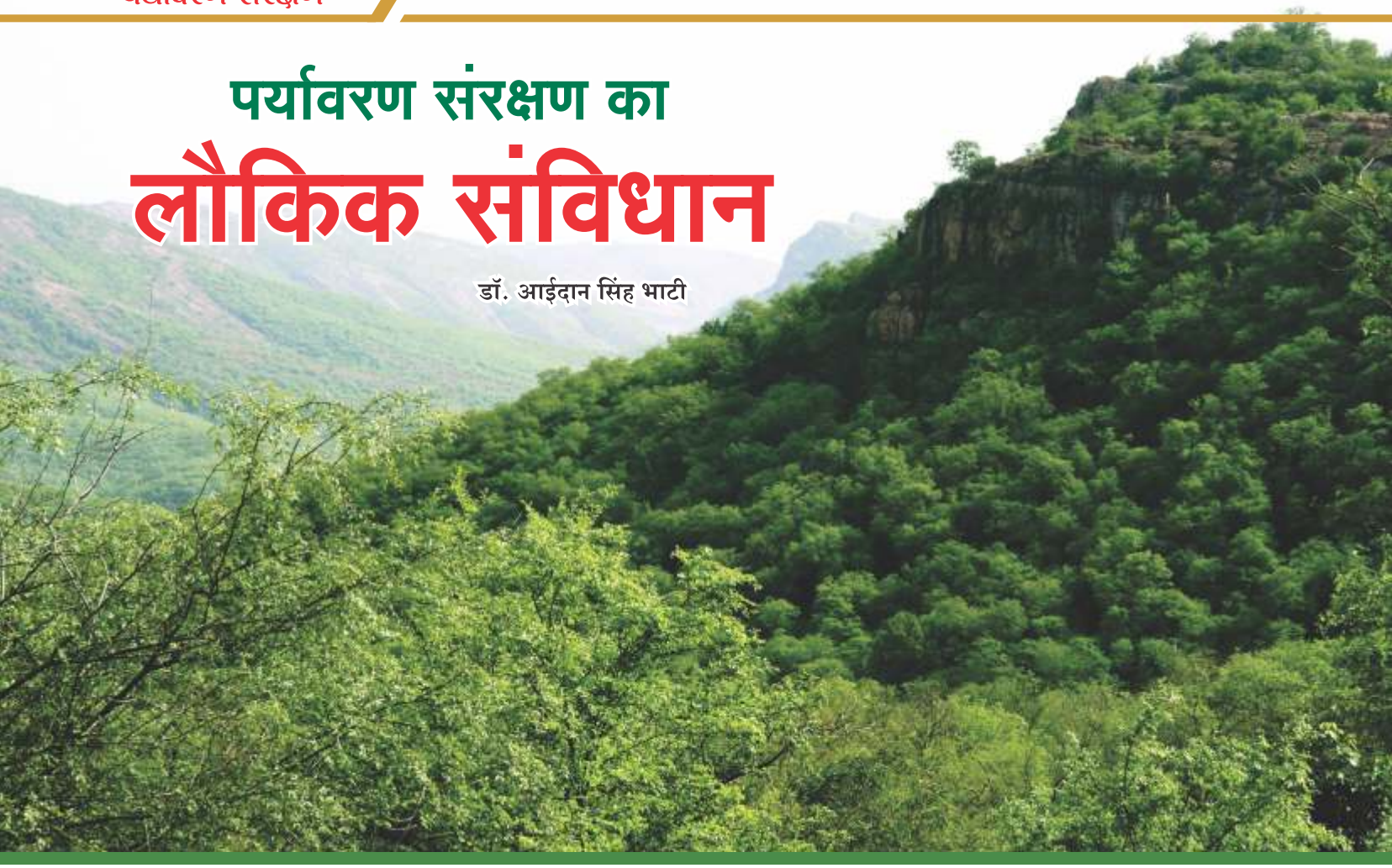

पर्यावरण संरक्षण का लौकिक संविधान

डॉ. आईदान सिंह भाटी

लगभग डेढ़ सदी पुरानी कहानी है यह। राजस्थान के गांवों में पर्यावरण संरक्षण का अपना लौकिक तरीका अपनाया हुआ था। देवी-देवताओं के नाम से राजस्थान में ओरण (वन-भूमि) छोड़े जाते थे। पाबूजी, रामदेवजी, तेजाजी, झरड़ाजी, गोगाजी, आईनाथजी और अन्य स्थानीय देवी-देवता व जूंझार-भोमियों (गायों व भूमि की रक्षा लिए हुए शहीद) के नाम पर ये ओरण संरक्षित होते थे। इसलिए लोग उन जगहों से तिनका भी नहीं तोड़ते थे, लकड़ी काटने का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसी तरह गायों के चरने के लिए गोचर भूमि और उनके बैठने के लिए खैड़ा (गाँव के चारों ओर की जमीन) और तांडा (कुओं व तालाबों के पास की जमीन) होता था। तालाबों के आगोरों (पानी आवक का क्षेत्र) में कोई भी शौचादि नहीं जा सकता था। बच्चों के खेलने और बुजुर्ग लोगों के बंतळ- हथाई के लिए खुला स्थान बाखळ होता था। इन सभी स्थानों पर कोई न तो बस सकता था और न ही कोई सार्वजनिक स्थान खड़ा किया जा सकता था। ब्रिटिश संविधान की तरह गाँवों का अपना अलिखित संविधान होता था। इस संविधान का उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाता था।

जैसलमेर रियासत में एक गाँव था 'भादरिया'। इस गाँव में भाटी राजपूतों की कुलदेवी का देवालय था। लोक में 'सप्तमातृका' के रूप में पूज्य यह देवी आईनाथजी के नाम से जानी जाती है। 'आई' का अर्थ माँ के संदर्भ में गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर सुदूर पूर्व में आसाम तक में प्रयोग में आता है। थार में यह देवी के अर्थ में रूढ़ है। नाथ सम्प्रदाय का प्रभाव होने से आईनाथ शब्द आदरसूचक रूप में लोकमान्य है। इस देवी के नाम से 'भादरिया' गाँव के आसपास विशाल ओरण है। रियासत के राजा की भी यही कुलदेवी थी।

इसी जैसलमेर रियासत का दीवान था मोहता नथमल। जैसलमेर जाने वाले पर्यटकों ने इस दीवान की भव्य हवेली अवश्य देखी होगी, 'दीवान नथमल की हवेली'। इसी दीवान की कहानी है यह। दीवान ने अपने पुत्र के पालने के लिए पेड़ काटने का आदेश दिया। दीवान के कारिंदे भादरिया के ओरण से पेड़ काटकर ले आए। उस ओरण से पेड़ काटकर ले गए जिस ओरण से राजा तक पेड़ नहीं काट सकता था। प्रजा की पुकार राजा तक पहुंची। राजा ने दीवान को इस कृत्य के लिए फटकारा और देवी के देवालय में सोने का पेड़ चढ़ाने का आदेश दिया। नथमल ने देवालय पहुँच कर माफी मांगी और देवी के देवालय में सोने का पेड़ चढ़ाया।

इस घटना को लोक-कवि ने अपने ही अंदाज में वर्णित किया। नथमल के नाम से देवी आईनाथजी की एक 'चिरजा' (प्रार्थना) रची, जो लोकगीत का रूप ले चुकी है। इस 'चिरजा' में वर्णित है कि दीवान

नथमल के घर में पुत्र जन्मा। हरख-बधावे हुए, खुशियाँ मनाई गईं। घर में एक पालने की जरूरत महसूस की गई। नथमल ने खाती के बेटे को लुहार के घर जाकर एक बीजलसार(बिजली की तरह धारदार) कुल्हाड़ी लेकर आने को कहा। कुल्हाड़ी लेकर नथमल भादरिये के ओरण में पहुंचा और बोरड़ी (बेर का पेड़) को काटने लगा। लोक रचित इस गीत में खुद नथमल पेड़ काट रहा है, दीवान का कारिन्दा नहीं -

'घात्यौ नथमल बोरड़की रै घाव,

बोरड़की करळाई नैनैबाळ ज्यौं।

बोरड़की करळाई कायर मोर ज्यौं।

(नथमल ने जब बोरड़ी पर कुल्हाड़ी से वार किया तो बोरड़ी का पेड़ नन्हे बालक की तरह विलाप करने लगा। वह पेड़, करुण स्वर में मोर की तरह कुरळाया)

पेड़ नथमल को शाप देते हुए कहता है-

'मरजौ नथमल थारोड़ी घरनार

पाळणियै में मरज्यौ मोभी डीकरौ

झोकड़ल्यौं में मरज्यौ भूरियौ ऊँट

पैंखड़लयां में मरज्यौ भूरोड़ी भैंसड़ी

(हे नथमल! तेरी घरवाली मर जाए। पालने में अठखेलियाँ करता तेरा ज्येष्ठ बच्चा मर जाए, अपने स्थान पर बैठा तेरा ऊँट मर जाए। पांवों में सांकल डाली तेरी भैंस मर जाए।) और फिर नथमल के घर में यही सब घटित हुआ। दीवान मुंह में घास डालकर माफीनामा लेकर भादरिये के देवालय पहुंचा। फिर उसने वह सब जुर्म कबूल किया द्य उसने सोने का पेड़ देवी को चढ़ाया तब उसके घर में स्थितियाँ सामान्य हुई।

'जीवौ रे नथमल थारोड़ी घरनार

पाळणियै में हींडै मोभी डीकरौ

झोकड़ल्यौं में बैठौ भूरियौ ऊँट

पैंखड़लयां में रिड़कै भूरोड़ी भैंसड़ी

(हे नथमल ! तेरी घरवाली सलामत रहे। पालने में तेरा बड़ा बच्चा किलोळ करता रहे। तेरा ऊँट अपनी जगह सलामत रहे। तेरी भैंस अपनी जगह बंधी मिले)

इस तरह नथमल के घर की स्थितियाँ सामान्य हुईं। इस चिरजा की खूबसूरती यह है कि लोक-कवि ने नथमल को एक सामान्य गृहस्थी की तरह बताया है। जिसके घर में स्त्री, बच्चा, ऊँट और भैंस होती है। यहाँ गाय की जगह लोक-कवि दीवान के कारण भैंस लाया है, नहीं तो भैंस जैसलमेर में विरल पशु है। यह कथा पर्यावरण संरक्षण की लौकिक स्थितियों की जीती जागती तस्वीर है। जब रियासत का दीवान जैसा अधिकार संपन्न व्यक्ति भी दण्डित किया गया। लोकतंत्र में इन कथाओं ने पर्यावरण संरक्षण में महत्त्व को स्वयं सिद्ध है। ●

लेखक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं।

अप्पिको आन्दोलन

कन्नड़ भाषा में अप्पिको का अर्थ होता है-चिपको। दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक में चिपको आंदोलन से प्रेरित अप्पिको आंदोलन बेहद सफल रहा है। यह आंदोलन 1980 के दशक में प्रारम्भ हुआ। उत्तर कन्नड ज़िले के गांववासियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इलाके के अमूल्य वनों को बचाने के लिए इसके तहत जगह-जगह पर पहल की थी।

पांडुरंग हेगड़े नामक युवक ने कर्नाटक के पश्चिमी वनों को बचाने के लिये 'अप्पिको आन्दोलन' आरम्भ किया। उत्तर कर्नाटक के पश्चिमी घाट वाले वन-प्रदेश, जो कि जीव वैविध्य के भंडार माने जाते थे। सन् 1983-84 में बुरी तरह नष्ट किये गये, प्राकृतिक वनों के स्थान पर नीलगिरी तथा सागौन के वृक्ष बड़ी संख्या में लगाये गये, इसका प्रभाव पर्यावरण संतुलन पर पड़ा। वहां की स्थानीय जनता के कान खड़े हुए। बालेगड्डे गांव के कुछ युवकों ने सरकारी नीतियों का विरोध किया। श्री सुन्दरलाल बहुगुणा को आमंत्रित किया गया, उनके समक्ष लोगों ने प्रतिज्ञा की कि वे वृक्ष लगाएंगे, यहीं से अप्पिको आंदोलन आरम्भ हुआ। 1983 में जब पेड़ काटने लकड़हारे आये तो ग्रामीणों ने पेड़ों से चिप कर उन्हें बचाया। यह आंदोलन शीघ्र ही सारे प्रांत में व्याप्त हो गया। कुर्ग, दक्षिण कर्नाटक तथा शिमोगा जिले में यह आंदोलन तीव्र हो उठा। जनता के सामने सरकार को झुकना पड़ा। वन-नीति में परिवर्तन किये गये। वन-प्रदेश के संरक्षण को प्राथमिकता दी गयी।

अप्पिको आंदोलन के तीन पक्ष हैं- उलिसु (संरक्षण), बेलुसु (वृक्षारोपण) तथा बुलुसु (समुचित उपयोग)। इस आंदोलन का प्रभाव पड़ोसी राज्यों केरल तथा तमिलनाडु पर भी पड़ा। अप्पिको वस्तुत: एक ऐसा जनजागरण है जिसने जनता को अपने अधिकारों से अवगत कराया कि वे अपनी पारिस्थितिकी धरोहर की रक्षा स्वयं कैसे कर सकते हैं। इस आंदोलन ने वन संरक्षण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की। ●

राज्य पक्षी गोडावण संरक्षण

आलेख : ओमप्रकाश चौधरी
छाया : विजय बोराना

गोडावण यानी 'द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' राजस्थान का राज्य पक्षी है। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे अधिक वजनी यह पक्षी अपने बड़े आकार के कारण शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है।

राज्य पक्षी गोडावण (Great Indian Bustard) प्रदेश ही नहीं, बल्कि विश्व के दुर्लभतम पक्षियों में से एक है। IUCN Red Data List के अनुसार इसे Critically Endangered विलुप्त प्राय: पक्षी घोषित किया गया है। यह मात्र भारत एवं संभवतया पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत में इसके आश्रय स्थल मुख्यत: राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य के कुछ भागों में बचे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा वैज्ञानिक तरीके से वर्ष 2017-18 में कराई गई गणना आकलन अनुसार राजस्थान के थार क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में इनकी संख्या लगभग 128 है।

वर्तमान में गोडावण पक्षी के संरक्षण में आ रही प्रमुख चुनौतियां निम्नानुसार हैं:

- धीमी प्रजनन दर
- प्राकृतिक पर्यावासों की कमी
- मानवजनित हस्तक्षेपों जैसे बढ़ते विकास व कृषि भू-उपयोगों के कारण उत्पन्न व्यवधान
- शिकारी व मांस भक्षी वन्यजीवों जैसे सियार/लोमड़ी तथा आवारा कुत्तों द्वारा गोडावण पक्षी के अण्डों को नष्ट कर दिया जाना/खा लिया जाना
- उड़ान के दौरान हाइटेंशन पॉवर लाइन एवं विण्डमील से टकरा जाने से होने वाली मृत्यु की घटनायें।

वन विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर आमजन एवं विषय विशेषज्ञों की सहायता से गोडावण के संरक्षण व संवर्धन एवं इनके पर्यावासों की सुरक्षा करने तथा इनके प्रति आमजन में संवेदनशीलता लाने हेतु प्रोजेक्ट बस्टर्ड, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-2, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वन धन योजना, कैम्पा फंड के माध्यम से तत्परता से प्रयास किये जाते रहे हैं एवं वर्तमान में भी ग्रासलैण्ड रिकवरी संचालित किया जा रहा है।

गोडावण संरक्षण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति देने के लिए वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता (MoU) दिनांक 12.06.2018 को हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते के अनुसार आगामी 35 वर्षों के लिए एक वृहत् गोडावण संरक्षण परियोजना (जी.आई.बी. स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम) पर काम किया जायेगा। उक्त परियोजना अनुसार भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा गोडावण के प्रजनन एवं संरक्षण हेतु जैसलमेर जिले के रामदेवरा क्षेत्र में GIB Egg Collection and Hatching Centre एवं बारां जिले के सोरसन क्षेत्र में GIB Breeding Centre की स्थापना की जानी है।

वर्तमान में जैसलमेर में स्थित रामदेवरा एन्क्लोजर में अण्डा

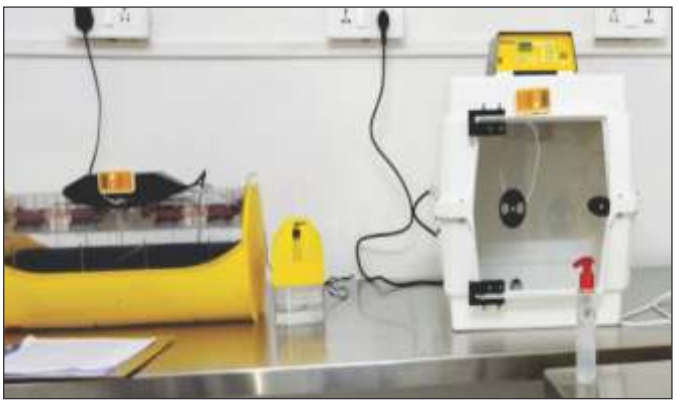

एकत्रीकरण एवं कृत्रिम हेचिंग सेन्टर का निर्माण भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रगतिरत है। वर्तमान में अण्डा एकत्रीकरण करने हेतु जैसलमेर के सम क्षेत्र में अस्थाई रूप से कृत्रिम हेचिंग सेंटर स्थापित किया जाकर कुल 10 अण्डे हेचिंग सेंटर पर इनक्यूबेशन हेतु पहुंचाए गए जिसमें 10 अण्डों से चूजे बाहर सुरक्षित आ चुके हैं। इन चूजों को वैज्ञानिकों की देखरेख में पाला जा रहा है एवं इन्हें भोजन हेतु कीट इत्यादि सेन्टर पर ही एकत्रित एवं परिष्कृत किए जा रहे हैं। समझौते अनुसार तीन वर्षों में 25 अण्डे एकत्रित किये जाकर पक्षियों की Viable Founder Population स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त गोडावण पक्षी के विचरण क्षेत्र व ऋतु अनुसार क्षेत्र उपयोग की बहुत ही सीमित जानकारी उपलब्ध होने के कारण उक्त प्रोग्राम के अन्तर्गत इस वर्ष भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की सहायता से 2 गोडावण पक्षियों को जी.पी.एस. टेग लगाया गया है जिससे कि इस पक्षी के Local Migration एवं क्षेत्र उपयोग के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे उक्त नवीन प्रयासों की प्रारंभिक सफलता से राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई है और विश्वास किया जा सकता है कि हम आने वाले समय में प्रकृति की इस अनुपम कृति को आगामी पीढ़ी के लिए संजोये रखने में कामयाब होंगे।●

मां और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए प्रदेशभर में शुरू हुआ

'मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस'

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार गतिविधियों के अलावा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित कर प्रसूताओं एवं बच्चों को टीकाकरण सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से प्रदान की गई हैं।

प्रदेशभर में 'एमसीएचएन-डे' के 7 हजार 798 से अधिक सत्रों का आयोजन कर 27 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं और 70 हजार से अधिक बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण एवं परामर्श सेवाओं से लाभान्वित किया गया है। इन सत्रों में से 4 हजार 123 सत्रों की मॉनिटरिंग विभिन्न स्तर पर अधिकारियों द्वारा कर की गई है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए लाइव कॉलिंग कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस के आयोजन का अवलोकन किया और एएनएम, आशा सहयोगिनी सहित स्वास्थ्य कार्मिकों, स्वास्थ्य अधिकारियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने कोरोना के दौरान प्रसूताओं एवं बच्चों को टीकाकरण सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं समुचित स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करते हुए सुचारु रूप से उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।

निदेशक आरसीएच डॉ. आर.एस. छींपी ने बताया कि एमसीएचएन डे पर प्रदेशभर के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन कर गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच यथा हिमोग्लोबिन जांच, वजन, मूत्र, मधुमेह, लम्बाई, रक्तचाप की जांच की और आवश्यक परामर्श भी दिया गया।●

छाया : सविता चौहान

पर्यावरण की लोक संस्कृति

प्रो. भंवर सिंह सामौर

महाभारत काल ने अन्त में सार रूप में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इस धरती पर मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। बात भी सही है। संसार में चौरासी लाख योनियों की लोक-मान्यता है। इसमें देव योनि भी आ जाती है। इनमें मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो अपनी मर्जी की खुद मालिक है। मनुष्य ही है जो राजपाट, राजरानी, राजकुमार आदि सबकुछ छोड़कर वन की और चल पड़ता है। स्वेच्छा से सुख सुविधाएं छोड़कर घास की रोटी खाना स्वीकार कर लेता है। वस्त्र त्यागकर एक लंगोटी धारण कर लेता है। अन्य सब योनियाँ जिनमें देव योनि भी शामिल है, केवल भोग योनियाँ हैं। ये योनियाँ अपनी मर्जी की खुद मालिक नहीं हैं। देवता भी स्वर्ग में रहने को अभिशप्त हैं।

इसके दूसरे पक्ष पर विचार करें तो कुछ प्रश्न उभरते हैं। आज पर्यावरण का प्रश्न विश्व में मुख्य मुद्दा बन गया है। इस पर विचार करें तो स्पष्ट है कि अन्य योनियाँ प्रकृति के अनुसार चलती हैं, इसलिए प्रकृति के संतुलन को चुनौती देता है। यह दृष्टि उसे पश्चिम ने दी है। हमारी यह दृष्टि कभी नहीं रही।

पर्यावरण के पांच बड़े केन्द्र हैं-आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। आज ये सभी लहूलुहान हैं। आकाश में ओजोन को हमने घायल कर दिया है। वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। अग्नि का हाल सब से बेहाल है। जल प्रदूषण भी छुपा हुआ नहीं है। पृथ्वी का हाल सबसे बुरा है। पृथ्वी को आज मनुष्य ने खोखला कर दिया है।

हमारे यहाँ के लोग अपने हिसाब से पृथ्वी का नाप रखते हैं। उन्होंने पृथ्वी को पचास क्रोड़ में विभाजित कर किसके हिस्से में क्या आया है उसे इस प्रकार बांटा है-

पांच क्रोड़ परवतां, सात समदरां रूद्धी।
आठ क्रोड़ अहिराव, क्रोड़ दोय खारज खद्दी।
उमै क्रोड़ अंधियार, उभै पंछियां मथी।
तेरह क्रोड़ तरवरां, मानव इग्यारा मप्पी।
सिद्ध राव सिद्ध साची कहै, फेर न को जबतल रहै।
पचास पुणंजे प्रथी, कवत यहै पिंगल कहै।

इस प्रकार इस छन्द में बताया गया है कि पांच क्रोड़ भाग में पर्वत है। सात क्रोड़ हिस्से में समुद्र हैं। आठ क्रोड़ हिस्से में नाग हैं। दो क्रोड़ हिस्सा बेकार खाद्ययुक्त है। दो क्रोड़ हिस्से में अंधियारा है। दो क्रोड़ भाग में पक्षी है। तेरह क्रोड़ हिस्से में पेड़-पौधे हैं। इस प्रकार पृथ्वी के ये पचास क्रोड़ हिस्से हैं। यह भूमण्डल का हाल है। पंजाब में इस भूमि की ऐसी दुर्दशा कर दी गई है कि असाध्य रोगों से मानवता कराह रही है। पंजाब से रोगियों को बीकानेर जाने वाली रेल गाड़ी का नाम ही 'कैंसर एक्सप्रेस' हो गया है।

भूमण्डल के बाद जलमण्डल आता है। यह भूमण्डल से सूक्ष्म है। जल जीवन का आकार होता है। जल नहीं तो जीवन नहीं। इसीलिए

राजस्थान का मनुष्य जल का प्रयोग घी की तरह करता है। 'बरतै जल ज्यूं घीव'। आज के जल संकट के दौर में राजस्थान में कुंड ही मनुष्य एवं पशु पक्षियों की जल की जरूरत पूरी करता है। रेगिस्तान से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार जल ही होता है। राजस्थान के चूरू जिले में खेतों में कृषि कुण्ड बनाने का अभियान पिछले कई वर्षों से चल रहा है। आगे आने वाले जल संकट से ये कुण्ड ही उबारेंगे। कुओं का पानी तो पाताल में पहुँच गया है। तालाब खत्म होते जा रहे हैं।

पानी के सब साधन वर्षा पर निर्भर हैं। वर्षा का ज्ञान राजस्थान के लोगों की जुबान पर अंकित है। अभी रोहिणी नक्षत्र चल रहा है। इसमें गर्मी खूब पड़नी चाहिए। पड़ी भी। पचास डिग्री तक तापमान चला गया। रोहिणी के बाद मृग नक्षत्र आने वाला है। उसमें खूब हवा चलनी चाहिए। यदि इससे उल्टा हो तो राजस्थान में कहावत है- 'रोहिणी बाजै अर मृग तपै तो गहला हाळी क्यूं पचै' इतना ही नहीं मृग नक्षत्र में हवा नहीं चले तो क्या-क्या आपदाएं आने वाली हैं, उनका भी पूरा हिसाब रखता है यहाँ का किसान; यथा-

दो टीडी दो कातरा, दो मूसा दो ताव।
दो झेला दो झांझळी, दोय घटावै भाव।।

अर्थात् मृग नक्षत्र के पहले दो दिन हवा नहीं चले तो टिड्डी का उपद्रव होता है। उससे अगले दो दिन हवा नहीं चले तो कातरे का प्रकोप होता है। उससे अगले दो दिन हवा नहीं चले तो चूहों का खेतों में प्रकोप होता है। उससे अगले दो दिन हवा नहीं चले तो बुखार का प्रकोप होता है। उससे अगले दो दिन हवा नहीं चले तो हरी भरी फसल को झोलर (गर्म हवा) जला डालती है। उससे अगले दो दिन हवा नहीं चले तो महामारी अर्थात् वर्षा का अभाव भुगतना पड़ता है। उससे अगले दो दिन हवा नहीं चले तो मंदी का दौर आता है। मृग नक्षत्र में अंतिम दिन खोड़िया मृग होता है। वह 21 जून को आता है, जैसे मकर संक्रान्ति चौदह जनवरी को आती है। उसके लिए कहावत है - 'खोड़ियो मिरजा अमूम्मो जाय, सांवण का दिन सतरा खाय'। इसके बाद आद्रा नक्षत्र आता है। उसमें कहावत है 'आदरा भरै खादरा'। यदि आद्रा नक्षत्र में हवा चले तो अच्छी नहीं मानी जाती। 'आदरिया पड़ग्या बाय, झूंपड़ी झोला लाय'। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आता है। उसमें लोकोक्ति है 'पुनरवसु बायला, तो मामा है न मामला, कनै व्है सो खायला'।

यहाँ का किसान तो अकाल का एक शताब्दी का हिसाब रखता है। एक शताब्दी में

सात काल, सत्ताइस जमाना, तरेसठ कुदरा काचा।
तीन काल तो इस्या पड़ै, जको गावां पूत मिलै नहिं पाछा।

अर्थात् एक शताब्दी में सात अकाल पड़ते हैं। सताईस अच्छी फसल के वर्ष होते हैं अर्थात् चार वर्ष में एक वर्ष अच्छी फसल का। एक शताब्दी में तरेसठ ऐसे वर्ष होते हैं, जहाँ चार-छः माह के गुजारे लायक काम चलाऊ अनाज होता है। एक शताब्दी में तीन तो ऐसे भयानक अकाल पड़ते हैं जिनमें माँ-पुत्र बिछुड़ जाते हैं।

यहाँ के लोग जल के लिए केवल वर्षा पर ही आश्रित नहीं हैं। वर्षा का क्या पता बरसे, नहीं बरसे। अपने पेड़-पौधों के बल पर भी यहाँ के लोग उजड़ने से बच गए। खेजड़ी, जाल, कैर, फोग इत्यादि के लिए कहावत है कि अकाल-अभाव में भाई साथ छोड़ देता है पर ये वनस्पतियाँ साथ नहीं छोड़तीं। अच्छे जमाने में तो उक्त वनस्पतियाँ एक बार फसल देती हैं पर अकाल में दो बार फसल देती हैं। सांगरी-खोखा, पीलू-जालोटिया, कैर-ढालू, फोगला मनुष्य को तृप्ती देते है तो लूंग, पत्ता, घिंटाल, लहासू, पशुओं की भूख मिटाते हैं। ये वनस्पतियाँ सर्वाधिक महत्त्व का काम करती हैं प्यास बुझाने का। रेगिस्तान के जाल के वनों में जंगली पशुओं के खाने व पानी दोनों की पूर्ति वनस्पतियों के पत्तों से होती है। उनकी छाया में आश्रय लेते हैं। इसीलिए राजस्थान में कहावत है 'सिर साटै रूंख बंचै तो सस्तो जांण, कोग के चार लहासू चूसने से एक लीटर पानी की पूर्ति होती है। जाल के पांच पत्ते चूसने से एक लीटर पानी की पूर्ति हो जाती है। इसलिए लूणकरणसर की फायरिंग रेंज में तो सैनिकों को यह सलाह दी जाती है कि साथ में जाल के पत्ते रखो जिससे आपातकाल में पानी की पूर्ति की जा सके। इतनी गहरी समझ रखने वाले लोगों को आज की अधकचरी परदेशी पढ़ाई पढ़ने वाले लोग ठूंठ, गंवार आदि शब्दों से लज्जित करने में संकोच नहीं करते।

अब करें वायुमण्डल की बात। वायु जीवन के लिए प्राण है। वायु के उनचास प्रवाह हैं। उसी के अनुसार सूरियों, उतरार्ध, जल वरवा, परवा, बूढ परवा, दिखणाद, नागोरण, पिछवा, आथूण इत्यादि प्रवाहों के हिसाब से नाम हैं। अनेक कहावतें भी हैं।

सावण में सूरियो भलो, भादूजै परवाई।
असोजां में पिछवा चालै, निपजै साख सवाई।।
परवा चाल र पिछवा घिरै, तो घट बैठां पणिहार भरै।

आज वायुमण्डल का चक्र भी डगमगा गया है। वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि बहुत से नगर शुद्ध सांस लेने योग्य नहीं रह गए हैं। इन सबको प्रदूषण मुक्त करने के लिए अपने पुरखों के रास्ते के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। विज्ञान तो विनाशक हो गया है। प्रयोगशालाओं में वायरस बनाए जाने लगे हैं। इन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति से, स्वावलम्बी जीवनशैली से ही मात दी जा सकती है।

वृक्ष वायुमण्डल के फेफड़े होते हैं। एक खेजड़ी हमें कितना देती है वह कल्पना से बाहर है। अपने जीवनकाल में दी गई, प्राण वायु की कीमत करोड़ो से ऊपर जाती है। उसकी पत्तियों का लूंग पशुओं के लिए पौष्टिक चारा है। ईंधन के लिए उसकी लकड़ियाँ श्रेष्ठ होती हैं। यज्ञ में समीधा के रूप में खेजड़ी की लकड़ी ही काम में ली जाती है। वैदिक संस्कृत में खेजड़ी को शमी कहते हैं। ऐसा ही बोरड़ी-झाड़ी के लिए समझना चाहिए। बोरड़ी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। उसके पत्तों का चारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राजस्थान में देवी-देवताओं के ओरण (रक्षितवन) बोरड़ियों के ही हैं। बद्रीनाथ धाम बोरड़ी के प्रतीक की याद दिलाता है, जहाँ नर-नारायण ने तपस्या कर असुर संहार किया था।

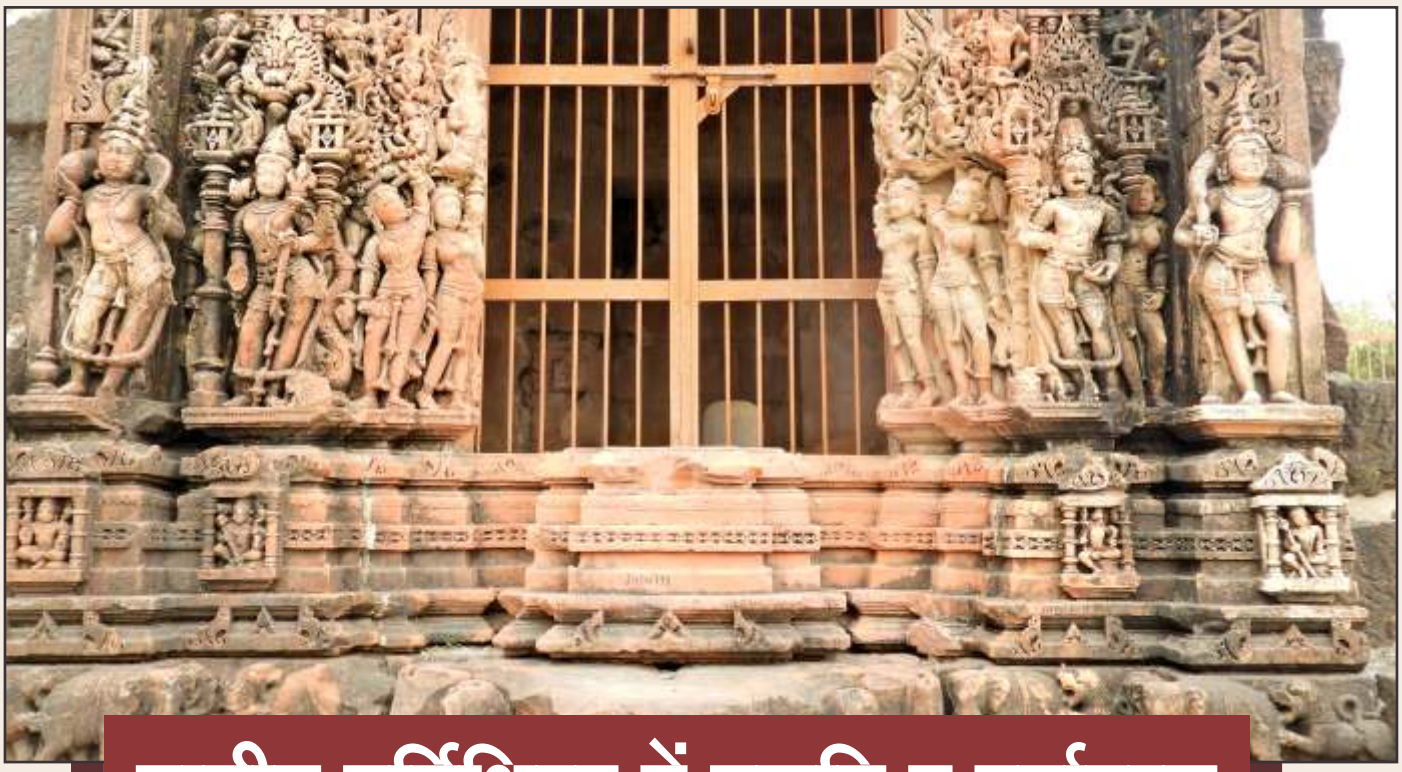

प्राचीन मूर्तिशिल्प में प्रकृति व पर्यावरण

आलेख : राहुल सेन
छाया : सुप्रभा कविराज

प्रकृति के पंचतत्त्व या पंचमहाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। 'ऐतेरेयोपनिषत' के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश को मिलाकर हुआ है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के मूर्तिशिल्प में प्रकृति के पंचतत्त्व का उल्लेखनीय अंकन देखा जा सकता है।

हाड़ौती की मूर्तिशिल्प परम्परा में देव प्रतिमाओं को प्रमुखता से उकेरा गया, वहीं प्रकृति व पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का भी प्रचुर अंकन किया गया। एक ओर जहां पर्वत व समुद्र का चित्रण हुआ, वहीं बहती नदी व नदियों की मानवाकृतियां शिल्पियों की छैनी-हथौड़ी से मूर्तियों के रूप में जीवन्त हुईं। इसी के साथ वनस्पति को भी मूर्तियों के रूप में बहुतायत से उत्कीर्ण करते हुए उनके महत्त्व को प्रतिपादित किया गया।

प्रथम वेद ऋग्वेद का शुभारम्भ ही 'अग्नि' के स्तवन से होता है-

'अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव ऋत्विजम।
होतारं रत्नघातमम।।' (ऋग्वेद, 1.1.1.)

यहाँ के मूर्तिशिल्प में अग्नि को विभिन्न रूप में दर्शाया गया है। कोटा के राजकीय संग्रहालय में देव स्वरूप चतुर्हस्त अग्नि की सुन्दर मूर्ति प्रदर्शित है। यह मूर्ति 10वीं सदी की है और अटरू से प्राप्त हुई है। मूर्ति में अग्नि देव मुकुट से सुशोभित है, इसके पीछे अग्नि की ज्वाला निकलती हुई अंकित की गई है। अग्नि की अक्षमाला व जटा को समस्त प्रकार की औषधियों का द्योतक माना गया है। अग्नि से सम्बन्धित एक अन्य मूर्ति झालावाड़ के संग्रहालय में देखी जा सकती है। यह मूर्ति गौरी की है। झालरापाटन से प्राप्त यह रचना 12वीं सदी की है। इसमें देवी तपस्यारत मुद्रा में हैं। उनके दोनों ओर दो-दो अग्नि कुण्ड हैं। कुण्डों से निकलती लपटों का बहुत सुन्दर अंकन किया गया है। यहां बूंदी के संग्रहालय में प्रदर्शित मूर्ति भी उल्लेखनीय है। नवीं सदी की यह मूर्ति बारां से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति में चतुर्हस्त अग्नि के बाएं पैर के पास अग्निकुण्ड का अंकन है।

इसी तरह हाड़ौती के मूर्तिशिल्प में जल को विभिन्न रूपों में बहुलता से अंकित किया गया है। इसमें जल की बूंदों से लेकर जलघट, नदियों व सागर तक का अंकन कहीं सीधे, तो कहीं प्रतीकात्मक रूप में किया गया है।

जल की बूंदों का सर्वाधिक प्रभावी अंकन सद्यस्नाता नारी की मूर्तियों में हुआ है। इसमें स्नान से निवृत्त स्त्री के केश से झरती बूंदों का अंकन प्रमुखता से किया जाता है। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए कहीं-कहीं केश के झरती जल बूंदों का पान करते हुए हंस उत्कीर्ण किए जाने की परम्परा रही है। कृष्ण-विलास से प्राप्त ऐसी एक मूर्ति बारां के संग्रहालय में प्रदर्शित है, जो 12वीं शताब्दी ई. की है। इसमें स्नान के बाद नारी के केश से गिरती बूंदों का पान करते हंस का अनुपम अंकन है।

संग्रहालयों से बाहर भी इस प्रकार की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। बूंदी के एक शिवालय में स्थापित गजलक्ष्मी की मूर्ति में सद्यस्नाता देवी का अंकन किया गया है। रचना में गजों द्वारा घट से स्नान कराई जा रही लक्ष्मी का चित्रण है। द्विभुजी देवी अपने हाथों से केशराशि का जल निचोड़ रही हैं। नीचे उत्कीर्ण हंस केशराशि से गिरते जल का पान कर रहे हैं। तालाब के तट पर मन्दिर में पूजित यह प्रतिमा उत्तर मध्ययुगीन मानी जाती है।

झालरापाटन के सूर्य मन्दिर में स्थापित स्नाता सुन्दरी की एक मूर्ति जल से भीगी केशराशि से परिपूर्ण है। सुन्दरी के लम्बे गीले बाल उसके जंघा स्थल से नीचे तक लटक रहे हैं। बालों का पानी निकालने के प्रयास में केश राशि को सुन्दरी ने अपने दाएं हाथ में थाम रखा है। यह रचना भीगे केश सहित सुन्दर नारी काया की लय को सुन्दर रूप से व्यक्त कर रही है।

कोटा के संग्रहालय में 'घटधारिणी' शीर्षक से प्रदर्शित मूर्ति उल्लेखनीय है। इसमें स्थानक स्त्री को जल घट लिए हुए उत्कीर्ण किया गया है। बारां से प्राप्त यह रचना 9वीं सदी की है। हाड़ौती के मन्दिरों में प्रवेश द्वार पर नदियों की उपस्थिति के अतिरिक्त जल से भरे घट भी अंकित किए जाने की परम्परा रही है। कृष्ण-विलास क्षेत्र में स्थित भग्न जैन मन्दिर के द्वारों पर भी घटधारिणियों की अनेक मूर्तियां देखी जा सकती हैं।

वैदिक संस्कृति में नदियों को माता कहा गया है। ऋग्वेद के दशम मण्डल में एक पूरा सूक्त ही नदियों के स्तवन में प्रयुक्त हुआ है। हाड़ौती के अधिकांश मन्दिरों में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर चौखट के दोनों ओर निचले भाग में गंगा तथा यमुना नदियों का मानवीय रूप में अंकन देखा जा सकता है। यह माना जाता है कि प्रवाहमान नदियां देवों का प्रिय आवास है। इसी के साथ गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर नदियों की उपस्थिति मन्दिर में प्रवेश कर रहे उपासक को भी पवित्र करती है। यहां नदी रूप में उत्कीर्ण मूर्तियां जलाभिषेक करने का भाव लिए हुए हैं। गंगा व यमुना के हाथों में कुम्भ की उपस्थिति जल की अमृत समान महत्ता को प्रतिपादित करती है।

नदियों के मानवीय रूप की कल्पना गुप्तकाल की देन है। इसका सर्वाधिक प्रभावी व प्राचीन स्वरूप झालरापाटन में चन्द्रावती के तट पर स्थापित देवकुलिकाओं के द्वार पर उत्कीर्ण नदी मूर्तियों में नजर आता है। इनका निर्माण 8वीं सदी का माना जाता है। देवकुलिकाओं के द्वार पर मत्स्य कन्याओं की आकृतियां भी नदियों के मानवीय स्वरूप की कल्पना से सम्बद्ध हैं। अनेक रचनाओं में वे देवरूप में अपने कंधों पर भारी मत्स्य को उठाए हुए हैं। देवकुलिकाओं के द्वार पर नदियों का यह अंकन हाड़ौती के मूर्तिशिल्प का अनुपम पक्ष है।

द्वार शाखा के अलंकरणों में घुमावदार बेल-बूटों व पुष्पों के रूप में प्रकृति अंकन की परम्परा का प्रभाव भी यहां देखा जा सकता है। संभवतः इसका दार्शनिक पक्ष यह है कि प्रकृति की विराट् रचनात्मक पद्धति प्राणात्मक है। उसी के अंग-प्रत्यंग वृक्ष, लता-पत्रक, जल व मानव हैं। यह संदेश भी निहित है कि सर्वकल्याण व संवर्धन के लिए जहां जल व वनस्पति होंगे, मानव जीवन वहीं समृद्ध होगा।

यहां मुख्य मन्दिर में पांच सुन्दर फलकों पर हंस, जलघट एवं कीर्तिमुखों का अंकन है। मन्दिर का मण्डोवर व उसकी रथिकाएं लता-पत्रकों से सज्जित है। इनके नीचे पूर्ण जलघट हैं। जलघट से लता भी प्रस्फुटित होते हुए देखी जा सकती है।

चन्द्रावती के अतिरिक्त झालरापाटन में ही प्राचीन जैन दिगम्बर शांतिनाथ मन्दिर के गर्भगृह के बाहर भी नदीदेव मूर्तियां हैं। कोटा जिले में बूढ़ादीत, चन्द्रेसल मठ व मानस गांव के प्राचीन मन्दिरों में इनकी उपस्थिति है। बारां जिले में ऐसे मन्दिरों की संख्या सर्वाधिक है, जहां गर्भगृह के बाहर चौखट पर नदीदेव के सुन्दर अंकन हैं। इनमें भण्डदेवरा, सहरोद, बिछालस के मन्दिरों सहित अटरू के गढ़ा मन्दिर, लाल बिहारी, शिव मन्दिर व गणेश मन्दिर प्रांगण के देवालय शामिल हैं। शेरगढ़ में लक्ष्मी-नारायण मन्दिर व सारथल के समीप काकूनी के मन्दिरों में भी नदियों के अंकन दर्शनीय हैं।

झालावाड़ के संग्रहालय प्रदर्शित एक शिल्प में यमुना नदी से सम्बद्ध दृश्यों के साथ नदी के दोनों ओर सांस्कृतिक व सामाजिक जनजीवन का चित्रण किया गया है। झालावाड़ के

रंगपाटन क्षेत्र से प्राप्त यह रचना 10वीं सदी की है। शिलापट्ट पर किए गए अंकन के मध्य भाग में बहती हुई यमुना नदी को दर्शाया गया है। नदी में जलचरों का सुन्दर अंकन है। इसमें मछली और अनेक फणों वाला सर्प शामिल हैं। शीर्ष भाग पर कृष्ण को उत्कीर्ण किया गया है। सभी दृश्यों में कृष्ण के साथ अन्य लोगों की गतिविधियां सम्मिलित हैं। दक्षिण भाग में नीचे शंख, कच्छप व निधियां प्रदर्शित हैं। यह रचना नदी के महत्त्व को बखूबी उजागर कर रही है।

हिन्दू ग्रन्थों में अदिति के पुत्र वरुण को समुद्र का देवता माना गया है। हाड़ौती के मूर्तिशिल्प में वरुण की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वरुण की उल्लेखनीय मूर्ति झालावाड़ के संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह मूर्ति 9वीं सदी की है और झालरापाटन से ही मिली है। इसमें वरुण द्विभंग मुद्रा में खड़े हैं, उनके शीर्ष पर किरीटमुकुट सुसज्जित है। मुख पर स्मित के साथ होंठ कुछ खुले हुए हैं। यहां अलंकृत वनमाला दर्शक का ध्यान आकर्षित करती है। इस क्रम में मैट्रो तथा बारां संग्रहालयों में प्रदर्शित वरुण की मूर्तियां शामिल हैं। यह मूर्तियां 11वीं तथा 12वीं सदी की हैं और कोटा तथा कृष्ण-विलास से प्राप्त हुई हैं।

हाड़ौती के मूर्तिशिल्प में समुद्र मंथन के माध्यम से समुद्र व पर्वत सहित प्रकृति का सकल समावेश देखा जा सकता है। यहां समुद्र मंथन की कथा दर्शाने वाली अनेक मूर्तियां हैं। इसे पशु वराह के शरीर पर भी उत्कीर्ण किया गया है। बारां के कृष्ण-विलास क्षेत्र में चारखम्भा मन्दिर के अधर भाग में तथा बांसथूनी के मन्दिर प्रांगण में रखी एक पशुवराह मूर्ति में समुद्र मंथन का अंकन दर्शनीय है।

हिन्दू धर्म से संबंधित समुद्र मंथन की कथा में समुद्र, पर्वत, वनस्पति, पशु, नाग, वृक्ष, नक्षत्र, आदि प्रकृति प्रदत्त 'रत्न' दर्शाए जाते हैं। यह पौराणिक प्रसंग मनुष्य द्वारा किए गए उन प्रयत्नों से जुड़ा है जो उसे प्रकृति व पर्यावरण के सम्बन्ध में विचार करने और अंततः अमृत प्राप्त करने के उपाय बताने में सक्षम हैं।

हाड़ौती के मन्दिर मूर्तिशिल्प में विष्णु की शयन मुद्रा में रचित मूर्तियों में उन्हें क्षीर सागर में शेष-शैया पर दर्शाया गया है। ऐसी अनेक मूर्तियां हाड़ौती क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। इनमें कोटा के संग्रहालय में प्रदर्शित शेषशायी विष्णु की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। नवीं सदी की यह मूर्ति बाडोली क्षेत्र से प्राप्त की गई थी। शेषशायी विष्णु की यह मूर्ति शिल्प का विवरणात्मक विस्तार दर्शाने वाली है। इसमें विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर लेटे हुए हैं। विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा आसीन हैं। कोटा के अतिरिक्त झालावाड़, बूंदी व बारां के संग्रहालयों में भी शेषशायी मूर्तियां हैं।

वायु शरीर के भीतर प्राण के रूप में व्याप्त है। कहा गया है-

'वायुर्डवा प्राणो भूत्वा शरीरमाविशत' (तैत्तिरीयोपनिषत, 2:4)

हाड़ौती के मूर्तिशिल्प में वायु से सम्बद्ध अनेक मूर्तियां हैं। वायु देव की एक स्वतंत्र मूर्ति झालावाड़ के संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह कृति चन्द्रभागा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो 9वीं सदी की है। इसमें वायु के बायें हाथ में लम्बा दण्ड है, जबकि दायें हाथ से वे शीश तक हवा में लहराते हुए उत्तरीय दण्ड से लिपटते हुए पार्श्व में लटक गया है। यह स्थिति तेज बह रही हवा की स्पष्ट अनुभूति करा रही है। यहां शिल्पी द्वारा बहती हवा को प्रदर्शित करने का कौशल और प्रकृति के प्रति उसका सौन्दर्यबोध इस शिल्प का प्रमुख आकर्षण है। इसमें वायु को सुन्दर आभूषणों से अलंकृत किया गया है। रचना के निम्न भाग में वायु पैरों के पास गतिशील मुद्रा में वाहन मृग का आकर्षक अंकन है।

इसके अतिरिक्त मैट्रो के संग्रहालय में कोटा से प्राप्त 11वीं सदी की वायु मूर्ति के शीर्ष से लहराता उत्तरीय तेज गति से चल रही वायु की अनुभूति कराता है। इसी के साथ बारां के संग्रहालय में 9वीं सदी की काकूनी से प्राप्त मूर्ति तथा विलास से प्राप्त 12वीं सदी की वायु मूर्ति में भी हवा की बयार का अनुभव कराने वाला अंकन देखा जा सकता है।

इन्द्र भी जल व वायु का ही मिश्रित रूप है। हाड़ौती में प्राप्त इन्द्र की मूर्तियां इनका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यहां संग्रहालयों में व बाहर भी इन्हें देखा जा सकता है। इन्द्र की एक आकर्षक मूर्ति झालावाड़ के संग्रहालय में प्रदर्शित है। बारां के काकूनी क्षेत्र से प्राप्त यह मूर्ति 11वीं सदी की है। इस मूर्ति में इन्द्र के दाएं पैर के समीप हवा में लहराता वस्त्र विशेष रूप से उत्कीर्ण किया है।

इसी क्रम में बारां जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर

अटरू-बड़ोरा मार्ग पर स्थित बिछालस के प्राचीन मन्दिर के मण्डोवर में स्थापित इन्द्र की दो मूर्तियों का उल्लेख उचित होगा। बिछालस का यह मन्दिर 12वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करता है। यह मूर्तियां गर्भगृह के बाहर कुछ दूरी के अन्तर पर स्थापित हैं। एक मूर्ति में वस्त्र पट्टिका का अंकन ध्यान आकर्षित करता है, विशेषकर पार्श्व से निकल कर दाएं जानु पर हवा में लहराता वस्त्र का सिरा उल्लेखनीय है।

एक अन्य मूर्ति में इन्द्र देव के दैहिक सौष्ठव व मंद-मंद हवा के संचरण की अनुभूति पर अधिक जोर दिया गया है। इस मूर्ति में भी वस्त्र पट्टिका का सिरा पार्श्व से निकल कर दाएं जानु पर लहराता दिखाया गया है। इसी के साथ मूर्ति के कमण्डलु युक्त बायें हाथ के समीप उत्तरीय का एक छोर भी हवा में लहराता हुआ उत्कीर्ण किया गया है। कुशलता से किया गया यह अंकन इन्द्र के आस-पास प्रवाहित वायु की अनुभूति कराने में सक्षम है। शिल्पी ने इस रचना में वायु को कुशलता से अनुभूत कराया है।

वैदिक साहित्य में पृथ्वी तत्त्व को माता कहकर सम्मानित किया गया है। हाड़ौती के मूर्तिशिल्प में पृथ्वी का अंकन विष्णु के वराह रूप के साथ देखा जा सकता है। इन रचनाओं में पृथ्वी को स्त्री रूप में प्रदर्शित किया गया है। पृथ्वी को नर-वराह की कोहनी पर खड़े या बैठे हुए दर्शाया गया है। हाड़ौती क्षेत्र में विष्णु के नरवराह रूप की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित मूर्तियों के अलावा विभिन्न प्राचीन मन्दिरों में भी नरवराह की अनेक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। झालरापाटन के पद्मनाभ मन्दिर के बाह्य उत्तरी ताक पर और चन्द्रावती देवी मन्दिर के बाहर भी वराह मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। बारां जिले के अटरू क्षेत्र के मन्दिरों में वराह अवतार कथा की मूर्तियों में पृथ्वी का अंकन देखा जा सकता है।

यहां नर-वराह मूर्ति में पृथ्वी को दर्शाने के लिए हाड़ौती के बारां जिले में रामगढ़ क्षेत्र से प्राप्त 9वीं सदी तथा झालावाड़ के चन्द्रभागा क्षेत्र से प्राप्त 10वीं सदी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। यह मूर्तियां वर्तमान में बारां व झालावाड़ जिले के संग्रहालयों में हैं। इन मूर्तियों में नरवराह ने पृथ्वी को अपने वाम हस्त की भुजा पर आश्रय दिया है। शिल्पी ने प्रलय के बाद पृथ्वी के उद्धार के समय हुई हलचल की कल्पना करते हुए विरोधी दिशाओं की गति में संतुलन का अद्भुत अंकन किया है। नर-वराह हाथ पर खड़ी पृथ्वी भी प्रलय की उथल-पुथल में संतुलन रखती हुई अंकित की गई है।

पृथ्वी से सीधे सम्बद्ध वनस्पति की चर्चा की जाए जो उसका भी हाड़ौती के मूर्तिशिल्प में बहुलता से अंकन हुआ है। भारतीय संस्कृति को अरण्य की संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता वनों से ही आरम्भ हुई। वृक्ष जाति के प्रतिनिधि रूप में यहां कल्पवृक्ष का अंकन अधिक हुआ है। इसके बाद आम के वृक्ष का स्थान है। जैन यक्षिणी अम्बिका की मूर्तियों में आम के वृक्ष को प्रमुखता से अंकित किया गया है। फलों में आम, श्रीफल व बिजोरा फल विभिन्न शिल्प रचनाओं में देखे जा सकते हैं।

पुष्पों की बात करें तो हाड़ौती के मन्दिरों, गुंबदों और स्तंभों में पद्म के सुंदर अलंकरण मिलते हैं। अधिकांश देवी-देवताओं की मूर्तियों के हाथ में कमल उत्कीर्ण किया जाता है। विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा व सूर्य ऐसे प्रमुख देवता हैं, जो सर्वदा कमल से युक्त होते है। लक्ष्मी सहित अनेक देवी-देवताओं को पद्म पर आसीन दर्शाया गया है। इनमें जैन तीर्थंकर भी शामिल हैं। कुछ नरवराह की रचनाओं में देवता के शीश पर भी कमल देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी नदी देव के शीश पर सनाल कमल प्रमुखता से अंकित किए जाते हैं।

मूर्तिशिल्प में एकल पुष्प, कलिका और पुष्प गुच्छ के साथ मालाओं में गूंथे गए पुष्प अंकित किए जाने की परम्परा रही है। देवी-देवताओं की मूर्तियों के शीर्ष भाग पर दोनों ओर हाथ में माला लिए गन्दर्भ आकृतियां यहां सहज सुलभ हैं। पद्म पुष्प की ही भांति वनमाला भी अधिकांश देव मूर्तियों में देखी जा सकती है। इनमें से अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनमें मूर्ति की वनमाला को विशेष रूप से अलंकृत किया गया है।

हाड़ौती के मन्दिर मूर्तिशिल्प में विभिन्न संरचनाओं को अलंकृत करने के लिए पुष्पों व लताओं का भरपूर उपयोग किया गया है। लता पत्रक से युक्त घटकों में शिल्पी की कल्पनाशीलता की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। बारां जिले के काकूनी परिसर में स्थापित अलंकृत पाषाण स्तम्भों पर पुष्प व लता पत्रक बहुत ही सुन्दरता के साथ अंकित किए गए हैं।

हाड़ौती के मन्दिरों में प्रकृति से परिपूर्ण बेल-बूंटों का अंकन देख कर प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में मन्दिर ही कलादीर्घा की महत्ती भूमिका भी निभाते थे। मन्दिर की बाहरी दीवारों और उन पर बने चबूतरों, छत, धरणियों, उदम्बरों, द्वार शाखाओं, तोरणों, यज्ञ कुण्डों, वेदिकाओं, स्तम्भों व मन्दिर शिखर के साथ पूर्ण संरचना पर किया गया अंकन और दृश्यावलियां वर्तमान की कला दीर्घाओं का ही तो प्राच्य रूप हैं। ●

पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी वनस्पति

वीरेन्द्र परिहार

छाया : सविता चौहान

मानव जीवन प्रकृति की ही देन है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति को ही जीवन कहा गया है। आदिकाल से इसीलिए जल, अग्नि, वनस्पति, पृथ्वी की पूजा का भी हमारे यहां विधान रहा है। पर इधर पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के चलते भौतिक सुखों की चकाचौंध में हम अपनी नैसर्गिक विरासत को नष्ट करते जा रहे हैं। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि कुछ देर रुककर पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी सोचें और गंभीर चिंतन करें। यह इसलिए भी जरूरी है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया है और पूरी मानवता पर खतरा मंडराने लगा है।

राजस्थान भौगोलिक विषमताओं का प्रदेश है। मरुस्थलीय क्षेत्र की बहुलता होने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिक जरूरी है। इस दृष्टि से देखें तो यह सुखद पहलू भी है कि हमारे यहां मरुस्थल के जो वृक्ष हैं, वह पर्यावरण शुद्धता के एक तरह से वरदान हैं। यही नहीं हमारी खेती से जुड़ी धरोहर भी पर्यावरण संरक्षण आधारित है। खेजड़ी, केर, कुम्हट जैसी वनस्पतियां मरुस्थलीय जीवन के लिए बेहद लाभकारी ही नहीं है बल्कि इन वनस्पतियों के संरक्षण से मरुप्रसार को भी बहुत हद तक रोका जा सकता है। आंवला, अनार और सहजन जैसी वनस्पतियां बहुउपयोगी ही नहीं है मरुस्थल के जीवन का एक तरह से पर्याय हैं।

खेजड़ी तो राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में इस पेड़ की सदा से पूजा होती आयी है। खेजड़ी राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र विशेषकर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जालोर जिलों में बहुतायत से पाई जाती है। पर इधर राज्य वृक्ष के रूप में विख्यात खेजड़ी का दोहन भी इस कदर हुआ है कि अब इसके अस्तित्व का संकट भी गहराने लगा है। इसको विलुप्त होने से बचाने की आवश्यकता है।

राजस्थान इस समय औषधीय पौधों की खेती का भी मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। अश्वगंधा, कालमेघ, गूग्गल, ग्वारपाठा, तुलसी, गिलोय जैसी वनस्पतियां भी पर्यावरण संरक्षण को सशक्त करती हैं। राज्य के अधिकांश किसान आज औषधीय पौधों की खेती करने लगे हैं। औषधीय पादपों की खेती के साथ-साथ इनके विपणन पर भी ध्यान देने लगे हैं।

खेजड़ी पर्यावरण संरक्षण को पल्लवित, पुष्पित करने वाली वनस्पति के रूप में भी अहम स्थान रखती है। यह एक बहु वर्षीय पौधा है जिसे 'प्रोसोपिस सिनेरेरिया' के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में जारी, कांडी, शमी आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को सरकार ने राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ है। यह वृक्ष तेज गर्मी सहन कर सकता है इसलिए गर्मी में भी सदा हरा-भरा रहता है। खेजड़ी की उपयोगिता को इससे ही समझा जा सकता है कि इसकी छाल से पेट के कीड़े मर जाते हैं और सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत मिलती है। खेजड़ी का मुख्य फल है सांगरी। आज तीन सितारा होटलों में पंचकुटा की सब्जी बहुत लोकप्रिय हो रही है। यह सब्जी केर, सांगरी, कुम्हट, गुन्दा और अमचूर से बनाई जाती है। खेजड़ी ने मरुप्रसार को रोकने का अहम काम किया है। काजरी संस्थान जोधपुर ने खेजड़ी पर बहुत अच्छा अनुसंधान कार्य किया है।

बहूपयोगी नीम का वृक्ष भी पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। नीम को 'अजाडिरेक्टा इंडिका' भी कहा जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर नीम में एन्टी-बायोटिक तत्त्व पाए जाते हैं। इसके कारण नीम घाव, दाद, खुजली जैसे रोगों में रामबाण औषधि है। नीम लगाकर हम हरियाली तो कर ही सकते हैं, साथ ही पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। नीम आज जैविक खेती का भी महत्त्वपूर्ण माध्यम है। आज पूरे देश में नीम लेपित यूरिया का प्रचलन बढ़ रहा है। नीम के संवर्धन के लिए यहां पश्चिमी राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षक स्वर्गीय किशोर मल खीमावत का जिक्र करना उचित है। उन्होंने अपने जीवनकाल में जोधपुर एवं पाली जिलों की अधिकांश सड़कों के किनारे हजारों नीम के वृक्ष लगाएं जिससे पर्यावरण सुरक्षित भी हुआ और इसका संरक्षण भी। आज इन मार्गों से गुजरने वाले यात्रियों को एक सुखद छांव का एहसास होता है।

आंवला भी पर्यावरण को संवर्धित करता है। यह बहूपयोगी औषधि के रूप में भी काम करता है। आंवले का सेवन करने से नेत्र ज्योति मजबूत होती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आंवले से मुरब्बा, कैंडी और जूस आदि बनाए जाते हैं जिनका सेवन लगातार बढ़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ अधिकांश क्षेत्रों में आंवले के पेड़ लगाए जा रहे हैं जिनसे छांव मिलती है और साथ ही आरोग्य भी।

राजस्थान इस समय औषधीय पौधों की खेती का भी मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। अश्वगंधा, कालमेघ, गुग्गुलु, ग्वारपाठा, तुलसी, गिलोय जैसी वनस्पतियां भी पर्यावरण संरक्षण को सशक्त करती हैं। राज्य के अधिकांश किसान आज औषधीय पौधों की खेती करने लगे हैं। औषधीय पादपों की खेती के साथ-साथ इनके विपणन पर भी ध्यान देने लगे हैं।

पर्यावरण संरक्षण को संवर्धित करने वाला एक और उपयोगी प्रसिद्ध वृक्ष है सहजन। इसका वानस्पतिक नाम है 'मोरिंगा ओलिफेरा'। इसे सेंजन और सहजना भी कहा जाता है। पोषक तत्त्वों से भरपूर इस वृक्ष को औषधीय भंडार भी कहा जाता है। मानव जाति के लिए कुदरत का उपहार के रूप में प्रसिद्ध सहजन 300 रोगों से मुक्ति के लिए भी काम आता है। आज किसानों द्वारा खेत की मेड पर सहजन के वृक्ष लगाने का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है ताकि पर्यावरण संरक्षित हो सके। इनके अलावा मरुस्थली क्षेत्र में सेवण घास भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। सेवण घास जल को संवर्धित करती है। यह घास जैसलमेर में ज्यादातर पायी जाती है। साथ ही धामण घास भी पर्यावरण को प्रोत्साहित करती है। पर्यावरण को बचाये रखती है। यह भूमि को बांधकर रखती है। मरुस्थल में गुन्दा, केर, कुम्हट भी पर्यावरण को बचाने वाली वनस्पतियां हैं। इनको लुप्त होने से बचाने की आज आवश्यकता है।

ग्रामीण संस्कृति में पर्यावरण

वृक्षों कों धरा का भूषण कहा गया है। लेबनान के दार्शनिक लेखक खलील जिब्रान ने कहा है- 'वृक्ष वह कवितायें हैं, जिनको पृथ्वी ने आकाश के ऊपर लिखा है।' वृक्ष से पानी, पानी से अन्न तथा अन्न से जीवन मिलता है। जीवन को परिभाषित करने के लिए जीव और वन, दोनों जरूरी हैं। जहां वन होता है वहीं जीव होते हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है। यह वृक्ष ही हैं जो भूस्खलन रोवकर मृदा को उर्वरकता प्रदान करते हैं। पहाड़ों को भी समग्रता और पूर्णता प्रदान करने का कार्य वृक्ष ही करते हैं। सोचिए! यदि नंगे पहाड़ कहीं दिखें तो वह दृश्य कितना भयावह होगा! मानो पहाड़ों का श्रृंगार भी पेड़-पौधे और वहां की वनस्पतियां ही हैं।

राजस्थान की लोक संस्कृति में मनुष्य और वृक्षों का अभी भी गहरा संबंध है। शहरों में तो फिर भी आबादी के विस्तार के साथ प्राचीन काल से चली आ रही लोक-परम्पराएं विलुप्त होती जा रही हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षपूजा से अभी भी बहुत से स्तरों पर लोक जुड़े हुए हैं। गांवों में 'वृक्ष में राम रो बासो' (वृक्ष में राम का निवास है) कहते हुए पेड़ों से लोगों का गहरा जुड़ाव है। वृक्षों में भी नीम में नारायण का रूप देखते, उसे पूजा जाता है। गांव-गांव गोगा खेजड़ी की पूजा का विधान है। गोगाजी राजस्थान के लोकदेवता हैं। खेजड़ी का वृक्ष विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थली भाग में ही पाया जाता है इसलिए गांवों में लोकदेवता गोगाजी से जुड़ा हुआ मानते हुए खेजड़ी धोकी यानी पूजी जाती है। इसके साथ ही दूसरे जो लोक देवी-देवता हैं उनके नाम से भी वृक्षों के पूजन का विधान है। गांव-गांव माताजी, भैरूंजी, भोमियांजी आदि देवी-देवताओं के नाम से ओरण भूमि आरक्षित करने का प्रावधान है। ओरण का अर्थ है वह भूमि जहां पर किस भी सूरत में पेड़ काटा नहीं जा सकता। बल्कि लोक जीवन में ओरण को बाड़ (कांटों के पौधों से की जाने वाली चारदीवारी) से सुरक्षित रखा जाता है और यहां पर उगने वाले किसी भी प्रकार के पौधे की एक टहनी तक को तोड़ना और पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना तक पाप माना जाता है। ओरण की सार संभाल धर्म माना जाता है। जो इसे नहीं मानता वह अधर्मी।

बीकानेर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव है-देशनोक। चूहों की देवी के रूप में विश्वभर में विख्यात करणीमाता का मंदिर यहीं है। दूर-दराज से लोग यहां आते हैं, लोक-देवी के दर्शन करने। किसी भी समय यहां आएं, असंख्य चूहे इधर-उधर मंदिर परिसर में विचरण करते मिलेंगे। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि चूहों को देवी की सवारी मानते हुए यहां पूजा जाता है। जीव पूजा, वह भी चूहों की। लोक आस्था का कमाल कहें या फिर विश्वास कहें कि आज तक देशनोक में कभी प्लेग नहीं हुआ। देशनोक चूहों की देवी के रूप में तो विश्वभर में विख्यात है ही परन्तु इससे भी बड़ी बात यह है कि करणीमाता मंदिर के बारह कोस (लगभग 36

किलोमीटर) की परिक्रमा में ओरण छोड़ी हुई है। ओरण माने सुरक्षित पेड़ों का स्थल। सदियों से चली आ रही परम्परा में आज तक यहां से कभी कोई पेड़ नहीं काटता। वर्षों से यह परम्परा अनवरत चली आ रही है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण पहलू पेड़ पूजा का यह है कि ओरण भूमि पर नेहड़ीजी मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिदिन खेजड़ी वृक्ष की आरती उतारी जाती है। पेड़ पूजा का यह विश्वभर में अनूठा उदाहरण है। किसी वार-त्योहार या अवसर विशेष पर नहीं बल्कि प्रतिदिन ही खेजड़ी वृक्ष की पूजा का यह विधान विश्व में अन्यत्र कहां मिलेगा।

खेजड़ी राजस्थान के लोकजीवन का धार्मिक वृक्ष है। जोधपुर जिले का गांव 'खेजड़ली' तो राजस्थान का तीर्थस्थल है। विश्व में शायद ही ऐसा कोई तीर्थस्थल होगा, जो वृक्ष पूजन की परम्परा से जुड़ा हो। रूंख देवता यानी वृक्ष देवता के इस तीर्थस्थल को इतिहास का ऐसा पन्ना कहा जा सकता है, जिसमें पेड़ों के लिए हुए बलिदान की कथा अपने में संजो रखी है।

राजस्थान के लोक जीवन में रूंख यानी पेड़ों की महिमा का गान है। लोग तीज-त्योहार पर ही नहीं बल्कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या की शुरुआत भी घर में लगे पेड़ पूजन से ही करते रहे हैं। कोई भी शुभ कार्य घर में यदि होता है तो उसका आरंभ वृक्ष या उसकी टहनी के पूजन से होता है। लोक विश्वास के अंतर्गत विवाह, नये घर का निर्माण पर गृह प्रवेश, पुत्र-पुत्री जन्म अथवा किसी भी प्रकार के शुभ उत्सव पर होने वाली पूजा की थाली के जल कलश में 'लूंक री टाळी' यानी वृक्ष की टहनी रखी जाती है। कहते हैं, इससे कार्य मनोनुकूल, शुभ होता है। सूखी लकड़ी, जो जलाने के काम में ली जाती है-उसको भरकर यदि ऊँट गाड़ी या बैलगाड़ी से कहीं ले जाया जाता है तो उस सूखी लकड़ी के ढेर में हरे वृक्ष की कोई टहनी भी रखी जाती है। लोक विश्वास इसके पीछे यह है कि भले ही सूखे पेड़ की लकड़ी जलाने के लिए ही काम में ली जाए परन्तु उसमें हरे पेड़ का अंश रहना चाहिए, माने हम हरे पेड़ को नहीं काटते। उसको सूखी लकड़ियों के बीच रखने का अर्थ है, यह जो हरा है, उसे सूखने नहीं दिया जाएगा। वृक्षों के प्रति यह प्रेम ही लोक संस्कृति का सार है। और यही क्यों लोक संस्कृति में वृक्ष का महत्त्व सीधे तौर पर जीवन से है।

लोक जीवन में पीपळ यानी पीपल के पेड़ में परमेश्वर का वास माना जाता है, इसीलिए उसके पूजन की परम्परा बरसों से चली आ रही है। पूजन के साथ ही बाकायदा पीपल पूर्णिमा को अबूझ सावा माना जाता है। यानी पीपल पूर्णिमा में कोई भी कार्य करें तो उसके लिए किसी प्रकार के मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, उस दिन सब शुभ ही शुभ होता है। पीपल सींचने को राजस्थान के लोक जीवन में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गांव-गांव ही नहीं शहरों में भी लोग इसीलिए पीपल पूजते हैं और पींपल के पेड़ को किसी भी स्थिति में काटा नहीं जाता है। हालांकि शहरीकरण के बढ़ते दबाव में आधुनिकता की बसावट ने सैकड़ो-हजारों पीपल के पेड़ लील लिए हैं परन्तु आम व्यक्ति अभी भी पीपल के पेड़ काटने को सबसे बड़ा पाप मानता है। गर्मी में राजस्थान में जब लू चलती है, गर्म हवाओं से आग सी लग जाती है। बीकानेर, चूरू, सीकर आदि जिलों में तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। गांवों में तो रेत अंगारों की भांति गर्म हो जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति अपने लिए ही नहीं सोचता पेड़ों की भी चिंता करता है। लू के थपेड़ों, गर्म हवाओं की चलती आंधियों में पेड़ तक झुलसने लगते हैं, ऐसे में भी महिलाएं नहा धोकर सबसे पहला जो काम करती हैं, वह यही होता है कि पानी के कलश भर-भर कर पीपल या दूसरे पेड़ सींचती और गीत गाती है कि यही धर्म है, इससे पुण्य मिलेगा। रविवार को पीपल की जगह पर आक, कैर, फोग की पूजा की जाती है। राजस्थान की संस्कृति में रचे-बसे इन वृक्षों को पूजने के पीछे भावना यह भी है कि गर्मी इन्सान को ही नहीं लगती, पेड़-पौधों को भी लगती है। जब अपनों को संभाला जाता है तो इस समय में पेड़ों को भी संभालना ही चाहिए। वह जब जीवन जीने के लिए बहुत कुछ देते हैं तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनके लिए गर्मी में कुछ किया जाए।

वृक्ष पूजन की परम्परा राजस्थान में नित्य कर्म के साथ ही विशेष रूप से तीज-त्योहारों से जुड़ी हुई है। चैत्र महीने में गणगौर पूजन होता है। भोर में अविवाहित कन्याएं गीत गाती हुई फोग (मरुस्थली वनस्पति) के फूल चुनकर कलसे की गवर बनाकर महादेवजी से अच्छे वर प्राप्ति की कामना करती है। फोग के फूल इसलिए लेती हैं कि वह मरुस्थली जीवन में रचा-बसा हुआ है। थके-हारे जीव जंतुओं के लिए सदाबहार वनस्पति फोग ही है, और वह सभी को प्रिय है। ऐसे में जो प्रिय है, उसकी पूजा से देवता को प्रसन्न करने का जतन किया जाता है। वृक्षप्रियता से जुड़े ऐसे ही और भी प्रसंग लोक जीवन में आज भी व्याप्त है। समय की आंधी के साथ नई पीढ़ी भले ही बहुत से स्तरों पर इतने दूर भी हो रही है परन्तु वृक्षों के प्रति लगाव, प्रेम के कारण राजस्थान में गांवों में पारिस्थितिकी संतुलन सदा बना रहा है।

लोक संस्कृति के अंतर्गत लोकगीतों, लोक कथाओं, व्रत-कथाओं में धार्मिक मान्यताओं की बातों में पेड़ की ही साक्षी दी जाती है। पेड़ की साक्षी का अर्थ है, जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ किया जाएगा उसकी गवाही पेड़ है। पेड़ से सच्चा कोई हो नहीं सकता। इसलिए कि उसी से यह जीवन है। यह विश्वास, यह लोक मान्यता ही राजस्थान के जन-जीवन का आधार रही है। मसलन चैत्र सुदी चौथ का राजस्थान के जन-जीवन में आसमाता का व्रत रखा जाता है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आसमाता (लोकदेवी) से वर मांगा जाता है। इसके लिए बाकायदा खेजड़ी वृक्ष के पास चार औरतें बैठ जाती हैं। कथा कहती हैं और कथा कहने के साथ ही खेजड़ी की पूजा कर वहां जल से उसे सींचा जाता है।

वृक्ष पूजा की यह परम्परा वर्षपर्यन्त ऐसे ही लोक मान्यताओं में चलती है। चैत्र की चौथ पर आसमाता के व्रत के बाद कार्तिक माह की चतुर्दशी पर भी पेड़-पूजा का व्रत रखा जाता है। इस समय 'झाड़ा-झूड़े' का व्रत कर बोरड़ी (बेर का पेड़) के पास महिलाएं कथा कहती हैं। इस दिन बेर के पेड़ की परिक्रमा की जाती है, ओरण की फेरी लगाई जाती है। व्रत वाले दिन स्नान करके तेल का फोहा बोरड़ी के पेड़ में लगाया जाता है। अनाज के दाने बेर के पेड़ पर चढ़ाए जाते हैं और फिर जल डालकर बारह महीनों में किए हुए पापों की माफी मांगकर प्रायश्चित किया जाता है। इस

दिन जो कहानी कही जाती है, उसका सार भी यही है कि वर्षभर भी यदि आप पाप करते हो परन्तु एक दिन यदि बेर के पेड़ की पूजा कर ली जाती है तो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। पेड़ पूजन का यह विश्वास जताता है कि लोगों में वृक्ष के प्रति कितनी आस्था और विश्वास है।

राजस्थान की लोक संस्कृति में वृक्ष पूजन परम्पराओं से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं, विश्वासों के अंतर्गत हर तीज-त्योहार का नाता किसी न किसी रूप में पेड़ों से ही है। व्रत कथाओं का आधार भी पेड़ ही हैं। करवा चौथ का व्रत पूरे विश्व में मनाया जाता है, ऐसे ही राजस्थान में 'सूरजरोट का व्रत' होता है। इस व्रत में कथा भी कही जाती है। सूरजरोट की व्रत कथा में दरअसल खेजड़ी वृक्ष की साक्षी होती है। इस साक्षी के बगैर इस व्रत का महत्त्व गौण होता है, इसीलिए यहां भी वृक्ष पूज्य है। सूरज रोट व्रत की कथा खेजड़ी की उपस्थिति में होती है। औरतें सात हथेली में आने जितना आटा लेकर उसकी रोटी करती हैं और उसके बीच में छेद रख देती हैं। इस छेद से औरतें सूर्य भगवान् का दर्शन करती हैं। व्रत कथा के दौरान छेद किए आटे की रोटी हाथ में लेकर उसमें हुए छेद से सूरज को देखते हुए बोलती हैं,

'सखी, सखी! चांद-सूरज दीठा?
दीठा जैड़ा तूठा।
सखी, सखी! मां-बाप दीठा?
दीठा जैड़ा तूठा।
सखी, सखी! सासू-सुसरा दीठा?
दीठा जैड़ा तूठा।
सखी, सखी! भाई-भौजाई दीठा?
दीठा जैड़ा तूठा।

कथा यह है कि एक मां-बेटी ने सूरजरोट बनाया। मां की रोटी को बेटी ने बिगाड़ दिया। मां लड़ने को आयी, 'धी रोटा, ला म्हारै सागण रोटै री कोर सखी, सखी!' लड़ते लड़ते वह खेजड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। सूरज भगवान् करते हैं, 'जा रोटी को ढक दे।' थोड़ी देर में वह रोटी सोने की हो जाती है। खेजड़ी के नीचे ही मां-बेटी के झगड़े का न्याय इस तरह से होता है। इस कथा में पेड़ के व्यक्ति से रिश्तों की गहरी अभिव्यंजना है। राजस्थान की व्रत कथाओं के पीछे इसी तरह से कोई न कोई मर्म छुपा है। इस मर्म में पेड़ की साक्षी महत्त्वपूर्ण है। तमाम जो परम्पराएं हैं, व्रत हैं, मान्यताएं हैं और लोक विश्वास हैं, उनके पीछे पेड़ पौधों से जुड़े संदर्भ ही यत्र-तत्र-सर्वत्र हैं। नीम, पीपल, खेजड़ी, बोरड़ी आदि पेड़ों से जुड़ी अनगिनत कहानियां इस बात की गवाह हैं कि वृक्ष है तो जीवन है। यानी वृक्षों को पूजते हुए उनकी सारसंभाल की जाती है तभी व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा रहता है, तभी वह अपने अस्तित्व को बचाकर रख सकता है। उसके तमाम सुख, समृद्धि और जीवन से जुड़ी उम्मीदें वृक्षों से ही हैं। इसीलिए व्रत कथाओं, धार्मिक मान्यताओं, लोक कथा, कहानियों, लोकोक्तियों में वृक्ष के महत्त्व को ही व्यंजित किया गया है।

लोक विश्वासों में वृक्ष कैसे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसे राजस्थान के लोकगीतों में सहज अनुभूत किया जा सकता है। पति बाहर काम करने के लिए गया हुआ है। सुहागन औरतें अपने पति को बुलाने का जतन करते गीतों से उसे संदेश भेजती है-

बाय चल्या हा भंवरजी
पीपळी जी,
कोई हो गई घेर घुमेर
अब घर आज्यो जी

यानी भंवर जी (पति) अब तो घर आ जाओ। पीपल के वृक्ष की दुहाई देती हुई अपने पति को स्मरण करते हुए उन्हें घर आने का संदेशा भेज रही है। ऐसे ही लड़की जब अपने पिता का घर छोड़कर विवाहित होकर ससुराल आ जाती है तो भी वह पीहर में अपने माता-पिता, भाई-भाभी, सखी-सहेलियों की बजाय वहां के वृक्षों को याद करती है। इसीलिए एक लोकगीत में वह कहती है,

'अेंकर दिखा दै बीरा,
पीहरिये रा रूंख'

ससुराल में पत्नी अपने पति से गुहार करती है कि एक बार मुझे अपने पीहर के वृक्षों को तो दिखादें। उनकी बहुत याद आ रही है। वृक्षों से इस लगाव से सहज समझा जा सकता है कि लोक जीवन में वह कितने रचे-बसे हैं। लोक जीवन में एक दूसरे से जब संवाद किया जाता है तब भी मूल में वृक्ष ही है। गांवों में आज भी बुजुर्ग जब आपस में बात करते हैं तो उम्र की जब बात चलती है तो कहा जाता है, 'आं रै साईणा तो खेजड़ा, बोरड़री भी पड़ग्या व्हैला।' यानी इनके साथ उगे हुई खेजड़ी का वृक्ष, बेर का वृक्ष भी अब तो खत्म हो गया होगा। माने पेड़ों को संगी-साथी मानते हुए गांवों में आज भी उनसे जनजीवन का इस प्रकार से रिश्ता है कि उन्हें व्यक्ति अपने से कहीं अलग समझता ही नहीं है। ●

डॉ. अरुणा

वृक्षों के लिये प्राणोत्सर्ग

सिर साटै जे रूंख रहे, तो भी सस्तो जाण।

वीर प्रसूता राजस्थान की धरा ने न केवल देश पर मरने वाले जांबाज ही पैदा किए हैं अपितु वृक्षों के लिये प्राणोत्सर्ग करने वाले स्त्री–पुरुष भी इसी मरुधरा के पुत्र–पुत्री हैं।

वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की अनोखी घटनाएं सम्पूर्ण विश्व में सम्भवत: राजस्थान में ही हुई हैं। राज्य के बिश्नोई समाज ने वृक्षों को बचाने के लिए प्राण देने के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस परम्परा को खड़ाना (साका) कहा जाता है। इस प्रकार का पहला साका सम्वत् 1661 में जोधपुर जिले के रामासड़ी गांव में हुआ था। जहां दो बिश्नोई स्त्रियों, करमा एवं गौरा ने खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए गांव के चौहट्टे पर स्वेच्छा से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। दूसरा साका नागौर जिले में हुआ जब मेड़ता परगने के पोलावास ग्राम में सम्वत् 1700 के चैत्र बदी तीज को राजोद ग्राम के ठाकुरों द्वारा होली जलाने के लिए वृक्ष काटने के विरोध में बूचोजी ने तलवार से अपनी गर्दन कटवा दी।

तीसरा एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साका जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम में हुआ। यहां भाद्रपद शुक्ल दशमी सम्वत् 1787 को जोधपुर रियासत के कारिन्दों द्वारा खेजड़ी के वृक्षों को काटने से बचाने के लिए सर्वप्रथम एक नारी अमृता देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हीं का अनुसरण करते हुए उनकी तीनों पुत्रियों व उनके पति ने भी अपनी जान दे दी। इसके पश्चात् भी जब जोधपुर रियासत के अधिकारियों की वृक्ष काटे जाने की जिद जारी रही तो ग्रामवासियों ने अमृता देवी व उसके परिवार का अनुसरण करते हुए अपना बलिदान दिया। कुल मिलाकर गांव के 363 व्यक्तियों ने वृक्ष बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया।

अमृता देवी की स्मृति अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पहला खेजड़ली दिवस 12 सितम्बर, 1978 को मनाया गया। तत्कालीन मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर, वी.एस. सक्सेना के सहयोग से खेजड़ली गांव में 363 वृक्ष रोपित किए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जगद्गुरु शंकराचार्य ने की। उन्होंने सुबबूल का पांच मीटर ऊँचा वृक्ष भी रोपित किया। कार्यक्रम में देश के अनेक गण्यमान्य नागरिकों ने भाग लिया था।

वृक्षों की रक्षा के लिए आत्म बलिदान की एक और घटना जोधपुर जिले के तिलासणी गांव में हुई। किरपों भाटी द्वारा काटने के विरोध में खींवजी, मोटो व नेतू नैण ने अपने प्राण त्यागे।

उल्लेखनीय है कि बिश्नोई समाज के प्रवर्तक जम्भोजी ने बिश्नाई समाज के 29 नियमों में वृक्ष एवं वन्य जीव संरक्षण को शामिल किया है। बिश्नोई समाज ने अपने गुरु जम्भेश्वर जी के इन वचनों को चरितार्थ किया है कि

''जीव दया पालणी, रूंख लीला नहीं धावै।''

''करे रूंख प्रतिमाल, खेजड़ा रखत रखावै।''

लोकगीत–गान परम्परा 'रामभणत'

डॉ. सत्यनारायण सोनी

लोकजीवन में हाथ से काम के साथ-साथ जबान से गीत-गान की अनूठी परम्परा रही है। यह परम्परा 'रामभणत' या 'रामबाणी' के नाम से जानी जाती रही है। लावणी की वेला तो यह परम्परा पूरे चरम पर होती थी। इस परंपरा में श्रमगीतों और लोकभजनों की गूंज थी। नई पीढ़ी इससे अनजान है।

किसान के जीवन में रामभणत का बड़ा स्थान होता था। एक वक्त था कि लोग-लुगाई घर-बार, खेत-खलिहान, कुएं-बावड़ी पर काम करते इन गीतों को गाया करते। पौ फटने से पहले औरतें घट्टी फेरती, दही बिलोती और फूस बुहारती ये गीत गुनगुनाती थीं। खेतों में हाळी हल चलाते, निंदाण करते, लावणी करते, कुएं का माळी माळीपा करते और पाळी रेवड़ चराते 'रामभणत' करते सुने जाते। ज्येष्ठ-आषाढ़ में बरखा की झड़ी लगती। किसान बैल-ऊंटों को सिंगारते। खेतों में हल जोड़ते और 'तेजा' गाते-

लाग्यो-लाग्यो जेठ-असाढ़ कंवर तेजा रे
लगतोड़ो तो लाग्यो रे सावण भादवो।

इस वेला गाए जाने वाले गीतों में एक गीत इस प्रकार भी है-

'आभो धरर्रायो ओ
म्हारी लाल नणंद बाई का बीरा
आभो धरर्रायो....
किन्नै धरर्रायो ए
म्हारी सदा सुरंगी नार,
किन्नै धरर्रायो।'

(एक औरत अपने पति से कह रही है- आसमान में गर्जना हो रही है, ओ मेरी प्रिय ननद के भाई, आसमान में गर्जना हो रही है। तब उसका पति पूछता है- हे मेरी सदैव सुरंगी रहने वाली नारी, किधर हो रही है गर्जना?)

इसी भांति लावणी मतलब फसल कटाई करती वेला थकान उतारने और जोश भरने के लिए सब लोग मिलकर गाया करते। गाते तो काम करने वालों में फुर्ती आती। गीतों से पहले लंबी राग में जोशीला दोहे बोला जाता। इस दोहे में वीरता का भाव होता। वीरता के भाव वाली राग को यहां सिंधु राग कहा जाता है। कदाचित इसीलिए इस क्रिया को 'सिंधुड़ो लगाना' कहा जाता है। एक व्यक्ति दाएं कान में तर्जनी अंगुली डाल ऊंची राग में दोहा बोलता और कमतर करते दूजे लोग 'स्याबास! स्याबास!' बोलते। एक सिंधुड़ा इस भांति है-

राम खिणावै रामसर, लिछमण बांधै पाळ।
सीता ढोवै टोकरी, है रामचंदर की नार।।

(रामचंद्रजी रामसर यानी अपने नाम पर तालाब खुदवा रहे हैं। लक्ष्मण तट बांध रहे हैं। सीताजी, जो कि राजा रामचंद्र की पत्नी हैं, टोकरी ढो रही हैं।)

अब राजा रामचंद्र का परिवार इतना श्रमशील है तो हम पीछे क्यों!

एक जना गीत गाता। अन्य लोग टेर संभालते और काम करते जाते। बड़े सवेरे से सोपे तक लगातार चलता यह रौनक-मेला। मुर्दा इंसानों में जान फूंकते हैं ये गीत। ऐसा ही एक लोकगीत-

तेरी जोड़ी जुग में थोड़ी रे छोरा रामधनिया,
तेरी जोड़ी आछी मेळी रे छोरा रामधनिया,
तनै क्यांगो सांसो खाग्यो रे छोरा रामधनिया,
तूं काळो किण विध पड़ग्यो रे छोरा रामधनिया।

राजस्थानी के साहित्यकार गिरधरदान रतनू बताते हैं कि 'रामधनिया' एक वास्तविक पात्र है। सींथल के नगरसेठ रामधनजी मूंधड़ा इस भणत के नायक हैं। इनके संतान नहीं थी। इनके एक जाट हाळी था उसने उनको इंगित करके यह भणत गाई थी। उन्होंने अपने भाई की संतान को गोद लिया था। आज उन्हें उस संतान की वजह से नहीं, अपितु इस भणत के कारण अमरता मिल गई।

इन गीतों में भाभी-देवर की ठिसकोलियां भी चला करतीं। एक भाभी सुनार से जेवर घड़वाने की बजाय लुहार से एक अच्छा-सा हंसुआ घड़वाने की बात कहती है-

'भल ए,
खेड़ी को घड़वा दे रे देवर मेरा
असली दांतियो,
बींडो तो लगवा दे
चन्नण काठ गो,
फूली तो लगवा दे रे देवर मेरा
बीजळसार की,
घुघरिया लगवा दे रे देवर
रिमझिम-रिमझिम बाजणा।'

(हे मेरे देवर, मुझे असली फौलाद का हंसुआ गढ़वा दे और उसमें चंदन-काठ का हत्था लगवा दे। उस पर बीजळसार की फूलियां लगवा दे। बीजळसार भी एक मजबूत लोहा होता है, जिससे तलवारें बनती थीं। उस हंसुए में रिमझिम-रिमझिम झनकार करने वाले घुंघरू भी लगवा दे। औरतों को प्राय: आभूषणों का चाव होता है, मगर यहां एक श्रमशील महिला को अपने खेती के औजारों का चाव है।

इन गीतों का महत्त्व बताते हुए मेरे गांव के बुजुर्ग श्योचंदजी ने तो पिछले दिनों यहां तक कहा था कि कविता का बड़ा असर होता है। कविता तो बड़े उपयोगी मंत्र हैं। फसलों को हम ये गीत सुनाया करते थे तो वे भी झूम उठती थीं। निपज बढ़ती थी। यह बात भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, मगर इनके महत्त्व से नकारा नहीं जा सकता।

यह ऐसा जमाना था कि पुरुष हो या महिला, बालक हो या बूढ़े, हर कोई लोकगायक भी था। लोकगीत और लोकसंगीत यहां के कण-कण से गूंजता था। कहा जाता है कि राजस्थान भले ही अपने मरुस्थल के कारण प्रसिद्ध है, किंतु लोकगीतों के मामले में वह एक उर्वर प्रदेश है। पश्चिमी संस्कारों और रीति-रिवाजों से अंधा मोह और जनसंचार का जबरदस्त प्रसार लीलता जा रहा है हमारी इन प्यारी-प्यारी परम्पराओं को। खेती में मशीनों के आगाज से भी यह परम्परा क्षीण क्या पड़ी, लुप्त ही हो गईं। भले ही यह परम्परा लुप्त हो गई है, पर इसके सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य को विस्मृत नहीं किया जा सकता। ●

राज्य प्रतीक

राज्य पक्षी
ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड (गोडावण)

राज्य पशु
चिंकारा एवं ऊंट

राज्य पुष्प
रोहिड़ा

राज्य वृक्ष
खेजड़ी

सेवाभाव से जीता आमजन का दिल

गोविन्द पारीक

पुलिस अहर्निश अपनी सेवाएं प्रदान करती है। कोरोना के इस विकट समय में राजस्थान पुलिस ने अपनी संवेदनशील कार्यप्रणाली से जन-जन में विशिष्ट पहचान बनाई है। कोविड-19 के दौरान राजस्थान पुलिस के जवान और अधिकारी के आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विभागों के साथ समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों ने अपनी सेवाभावना से प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को दिल से छुआ है व अपने लिए स्नेह एवं सम्मान अर्जित किया है। राजस्थान पुलिस के जवानों व अधिकारियों ने न केवल जरूरतमंदों को भोजन, बीमारों को दवाइयां उपलब्ध करवायीं बल्कि बुजुर्गों और निराश्रितों को भी आवश्यकतानुसार मदद की। अनेक थानों से ही भोजन हेतु सूखी सामग्री एवं भोजन बनवाकर भोजन पैकेट्स उपलब्ध करवाये हैं।

राजस्थान पुलिस के महानिदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह ने स्वयं प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर कोविड के कारण कर्फ्यूग्रस्त स्थानों का दौरा किया और जवानों की हौसला-अफजाई की। समाज में पुलिस के प्रति सकारात्मक भाव और अच्छी पुलिसिंग के कारण बढ़ी साख पुलिस की महत्त्वपूर्ण पूंजी है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों का दायित्व है कि इस पूंजी को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने दें। आमजन का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसलिए पुलिसकर्मियों को अपने आचरण से निरन्तर यह सिद्ध करना है कि वे इस सम्मान के वास्तविक पात्र हैं। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित हुए पुलिस कर्मियों का हौसला भी अभिभूत करने वाला है। ये पुलिसकर्मी स्वस्थ होकर फिर से सेवा में जुट जाने के लिए लालायित हैं। यही जज्बा राजस्थान पुलिस की शान है।

अधिकांश पुलिसकर्मियों ने कोरोना की वैश्विक विपदा में शानदार कार्य करके राजस्थान पुलिस को गौरवान्वित किया है।

70 हजार से अधिक चालान

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 70 हजार व्यक्तियों का चालान कर 1 करोड़ 32 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों के 38 हजार चालान, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 5 हजार दुकानदारों, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 300, पान गुटखा तम्बाकू बेचने वाले 200 व्यक्तियों के तथा निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 26 हजार व्यक्तियों के चालान किये गये हैं। नियमों की अवहेलना कर अकारण घूमते पाये गये 4 लाख 27 हजार वाहनों का एमवी एक्ट के तहत चालान कर 1 लाख 41 हजार वाहनों को जब्त किया जा चुका है और 7 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। प्रदेश में करीब 18 हजार 500 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन, महामारी अधिनियम व आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की गई है। महानिदेशक अपराध श्री बी.एल. सोनी इन कार्यवाहियों पर पैनी निगाह रखे हुए हैं।

कोरोना वॉरियर्स पर हमले के मामले में हमलावरों को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कई मामलों में चालान पेश किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 215 मुकदमे दर्ज कर 297 असामाजिक तत्त्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 222 को गिरफ्तार किया गया है। कालाबाजारी करने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 132 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 85 को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस द्वारा इन सभी प्रक्रिया में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।●

वृक्ष पूजा

वैदिककाल से ही मानव प्रकृति की पूजा करता आया है। प्राणिमात्र में परमात्मा के दर्शन करता है। गाय में सारे देवताओं को देखता है, तो वृक्षों में त्रिदेवों के दर्शन करता है। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, अतः पीपल की पूजा वृक्षों में भगवान् विष्णु के रूप में की जाती है। वट वृक्ष में भगवान् शिव का वास माना गया है, शमी वृक्ष में गोगाजी, पाबूजी, भूभूतो जी और झाड़ी में बायांजी का निवास मानते हुए इन वृक्षों की पूजा की जाती है। विष्णु प्रिया के रूप में तुलसी पूजी जाती है।

आलेख एवं छाया : ओम मिश्रा

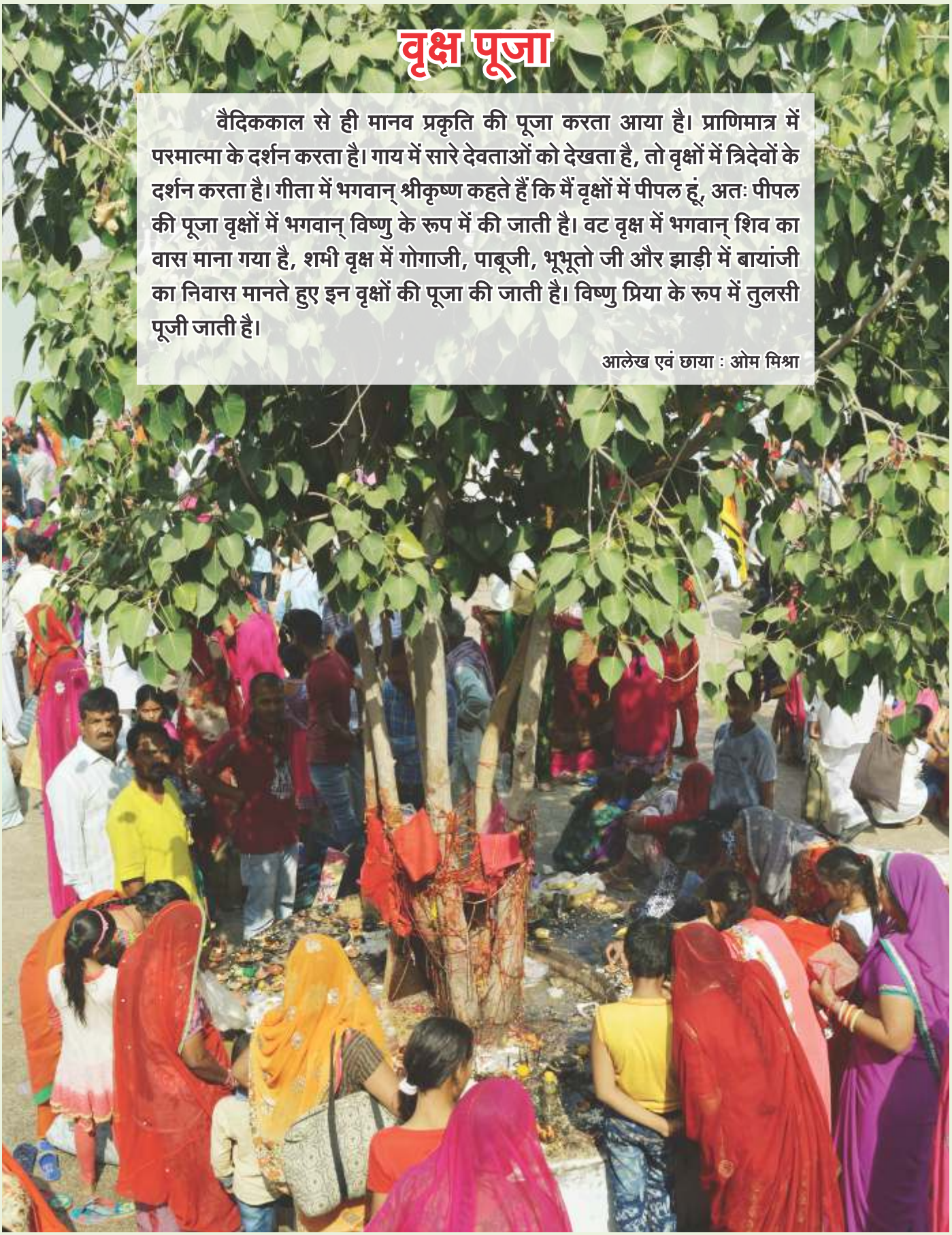

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

"जीवन के साथ आजीविका भी चल सके इसलिए अनलॉक जरूरी है। हमारी छोटी सी लापरवाही कोरोना संक्रमण बढ़ा सकती है। कोरोना से घबराएं नहीं, सभी सावधानियों का पालन करें। सरकार कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है।"

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

कोरोना महामारी से जीवन रक्षा के लिए

क्या करें ✓

साबुन से बार-बार हाथ धोएं

बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें

बुखार/खांसी/सांस की तकलीफ पर अस्पताल जाएं

एक-दूसरे से 2 गज दूरी बनाएं रखें

रोगी एवं जरूरतमंदों की सहायता करें

होम/संस्थागत क्वारंटीन सलाह का पालन करें

क्या नहीं करें ✗

सोशल मीडिया के भ्रामक संदेशों पर ध्यान न दें

हाथ नहीं मिलाएं, नमस्ते अपनाएं

अनावश्यक यात्रा नहीं करें

सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकें

भीड़ व समारोह से बचें

बुजुर्ग/बच्चे/गर्भवती/गंभीर रोगी घर से न निकलें

कोरोना खत्म नहीं हुआ है – बचाव के लिए आपकी सावधानी व सहयोग जरूरी है

मेडिकल हैल्पलाइन 104/108 | कोरोना वॉर रूम 181

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

#DIPRRajasthan

àHmeH d _ÐH$ - gMZm Ed OZgånH$ Am`ŠV, _hÝ gmZr Ûmam gMZm Ed OZgånH$ {d^mJ H$ {bE, emgZ g{Mdmb`, O`na (amOñWmZ) g àH$m{eV gåmXH$- Sm. amOe H$_ma i`mg · _gg nmnba {àÝQ>g, _mVr S>Jar amS>, O`na g _{ÐV, "amOñWmZ gOg'-nîR> g»`m 60, _ë` 20 én`/ 60,000 à{V`m